सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

राज्य सरकार के वित्त

31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

उत्तर प्रदेश सरकार

प्रतिवेदन संख्या 1 – वर्ष 2018

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन

राज्य सरकार के वित्त

31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

उत्तर प्रदेश सरकार

प्रतिवेदन संख्या 1 – वर्ष 2018

vuØef.kdk

fooj.k	lnHkZ	
	çLrj	i"B la[;k
çkDdFku	-	v
dk;Zdkjh lkj	-	vii
v/;k; 1 jkT; ljdkj dk foRr		
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	1.1	1
राज्य के वित्तीय संसाधन	1.2	7
संसाधनों के अनुप्रयोग	1.3	13
शासकीय व्यय एवं निवेश	1.4	19
परिसम्पत्तियाँ एवं देयतायें	1.5	22
ऋण प्रबन्धन	1.6	27
अनुवर्ती कार्यवाही	1.7	28
v/;k; 2 foRrh; çcU/ku ,oa ctVh; fu;U=.k		
विनियोग लेखे का संक्षिप्त विवरण	2.1	29
वित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन	2.2	30
v/;k; 3 foRrh; fjiksfVZx		
वैयक्तिक लेजर खाते/जमा खाते	3.1	35
भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर	3.2	36
विकास प्राधिकरणों एवं आवास विकास परिषदों को अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी का अन्तरण	3.3	38
लेखाओं में अपारदर्शिता	3.4	39
रोकड़ बही का अनुरक्षण न किया जाना	3.5	39
सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों/निगमों के लेखाओं के अन्तिमीकरण में विलम्ब	3.6	40
अघोषित लाभांश	3.7	41
इक्विटी/ऋणों का मिलान न किया जाना	3.8	42
लम्बित प्रकरणों की रिपोर्टिंग	3.9	42

विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों के प्रोफार्मा लेखे	3.10	43
उपभोक्ता प्रमाणपत्र प्रेषित न किया जाना	3.11	43
लम्बित विस्तृत आकस्मिक बिल	3.12	44
जमाओं पर ब्याज का भुगतान न किया जाना	3.13	44
राज्यों के पुनर्गठन के पश्चात् अवशेषों का विभाजन	3.14	45
रोकड़ अवशेष में भिन्नता	3.15	45
धनराशियों को केन्द्रीय सड़क निधि में हस्तांतरण न किया जाना	3.16	45
राजस्व आधिक्य एवं राजकोषीय घाटे पर प्रभाव	3.17	46
ifjf'kf"V;k¡		
ifjf'k"V **1.1**	राज्य का परिदृश्य	49
ifjf'k"V **1.2**	शासकीय लेखे का रूप एवं संरचना तथा वित्त लेखे का प्रारूप	51
ifjf'k"V **1.3**	वर्ष 2016-17 के लिए प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार	53
ifjf'k"V **1.4**	वर्ष 2016-17 के लिए बजट अनुमान, वास्तविक प्राप्तियां एवं व्यय	57
ifjf'k"V **1.5**	राज्य सरकार के वित्त के समयबद्ध आँकड़े	59
ifjf'k"V **1.6**	(अ) वर्ष 2012-17 की अवधि में कर राजस्व (ब) वर्ष 2012-17 की अवधि में करेतर राजस्व	62
ifjf'k"V **1.7**	31 मार्च 2017 को सरकार की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त सार	63
ifjf'k"V **1.8**	आरक्षित निधियों का विवरण	65
ifjf'k"V **2.1**	पुनर्विनियोग के माध्यम से प्रावधान में कमी के बावजूद व्ययाधिक्य	68
ifjf'k"V **2.2**	(अ) विगत वर्षों के व्ययाधिक्य के विनियमितीकरण की आवश्यकता (ब) वर्ष 2016-17 के व्ययाधिक्य के विनियमितीकरण की आवश्यकता	69
ifjf'k"V **2.3**	अनुदान/विनियोग जहाँ बचत ₹ 10 करोड़ से अधिक एवं कुल प्रावधान के 20 *प्रतिशत* से अधिक थी	71
ifjf'k"V **2.4**	₹ 100 करोड़ या उससे अधिक की बचत वाले अनुदान/विनियोग	73
ifjf'k"V **2.5**	अनवरत बचतों वाले अनुदान	76
ifjf'k"V **2.6**	प्रकरण, जिनमें अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए	77
ifjf'k"V **2.7**	निधियों का अधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोग	79
ifjf'k"V **2.8**	वर्ष 2016-17 में अत्यधिक धनराशियों का अभ्यर्पण	83
ifjf'k"V **2.9**	वास्तविक बचत से अधिक अभ्यर्पण (₹ 50 लाख या अधिक)	95
ifjf'k"V **2.10**	अनुदानों/विनियोगों का विवरण, जिनमें बचत हुई परन्तु उसका कोई भाग अभ्यर्पित नहीं किया गया	96

ifjf'k"V **2.11**	अभ्यर्पित न की गयी ₹ एक करोड़ एवं उससे अधिक की बचतें	98
ifjf'k"V **2.12**	व्यय का अतिरेक	101
ifjf'k"V **3.1**	दो *प्रतिशत* अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी के वितरण का विवरण	103
ifjf'k"V **3.2**	रोकड़ बही का अनुरक्षण न किया जाना	104
ifjf'k"V **3.3**	वर्ष 2016-17 में राज्य सरकार द्वारा उन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में निवेश जिनके लेखे 31 मार्च 2017 तक बकाये थे	105
ifjf'k"V **3.4**	वर्ष 2016-17 में राज्य सरकार द्वारा उन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में निवेश जिनके लेखे 31 मार्च 2016 तक बकाये थे	107
ifjf'k"V **3.5**	लाभ अर्जित करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम	108
ifjf'k"V **3.6**	विभागवार/अवधिवार लम्बित प्रकरणों का विवरण (जिनमें अन्तिम कार्यवाही मार्च 2017 तक लम्बित थी)	110
ifjf'k"V **3.7**	चोरी, दुर्विनियोग, शासकीय सामग्रियों की हानि एवं गबन के कारण राज्य सरकार को हुई क्षति के प्रकरणों का विभागवार/श्रेणीवार विवरण	111
ifjf'k"V **3.8**	विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों के लेखाओं का अन्तिमीकरण और निवेशों का विवरण	112
ifjf'k"V **4**	'kCnkoyh ¼vfrfjDr vkdM½	
	गणना का आधार	113
	पदों की व्याख्या	114
	प्रथमाक्षरी	116

ikDdFku

यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त पर आधारित यह प्रतिवेदन वर्ष 2016-17 में राज्य के वित्तीय प्रदर्शन का आकलन करता है एवं राज्य विधायिका के समक्ष वित्तीय आंकड़ों का लेखापरीक्षा विश्लेषण प्रस्तुत करता है। इस प्रतिवेदन में उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन (संशोधन) अधिनियम, 2017, चौदहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट एवं बजट अनुमान 2016-17 द्वारा परिकल्पित लक्ष्यों के सापेक्ष वित्तीय प्रदर्शन का विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है। यह प्रतिवेदन तीन अध्यायों में संरचित है।

v/;k; **1** वित्त लेखे की लेखापरीक्षा पर आधारित है एवं 31 मार्च 2017 को उत्तर प्रदेश सरकार की राजकोषीय स्थिति का मूल्यांकन करता है। यह ब्याज भुगतान, वेतन एवं मजदूरी, पेंशन, सब्सिडी, ऋणों के भुगतान एवं उधार पर व्यय की प्रवृत्ति पर प्रकाश डालता है।

v/;k; **2** विनियोग लेखे की लेखापरीक्षा पर आधारित है एवं इसमें अनुदानवार विनियोगों तथा सेवादायी विभागों द्वारा किस प्रकार आवंटित संसाधनों का प्रबन्धन किया गया है, का विवरण है।

v/;k; **3** उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न रिपोर्टिंग आवश्यकताओं एवं वित्तीय नियमों के अनुपालन का लेखा–जोखा है।

लेखापरीक्षा का निष्पादन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप किया गया है।

कार्यकारी सार

राज्य की राजकोषीय स्थिति

मुद्रास्फीति को गणना में लेने के बाद भी अवधि 2012-13 से 2016-17 में राजस्व प्राप्तियों, राजस्व व्यय तथा पूँजीगत व्यय में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के *प्रतिशत* में वृद्धि हुई।

(पैरा 1.1.1)

राज्य द्वारा बजट अनुमान तथा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम द्वारा लक्षित राजस्व आधिक्य तथा सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) के सापेक्ष बकाया ऋण के अनुपात के लक्ष्य को प्राप्त नही किया गया। अग्रेतर, स.रा.घ.उ. के सापेक्ष राजकोषीय घाटे का अनुपात भी बजट अनुमान 2016-17, चौदहवें वित्त आयोग तथा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम के लक्ष्य से अधिक रहा।

(पैरा 1.1.2)

उत्तर प्रदेश सरकार का प्राथमिक घाटा ₹ 2,317 करोड़ (2012-13) से बढ़कर 2016-17 में ₹ 29,052 करोड़ हो गया, जो यह दर्शाता है कि राज्य के प्राथमिक व्यय को पूरा करने के लिए गैर–ऋण प्राप्तियाँ पर्याप्त नहीं थीं।

(पैरा 1.1.2.2)

संसाधनों का संग्रहण

राजस्व प्राप्तियों में वर्ष 2015-16 के सापेक्ष ₹ 29,799 करोड़ (13 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई जो बजट अनुमान से कम (₹ 24,680 करोड़) थी।

राजस्व व्यय में वर्ष 2015-16 के सापेक्ष ₹ 23,856 करोड़ (11 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई जो बजट अनुमान से कम (₹ 16,763 करोड़) थी।

पूंजीगत व्यय में वर्ष 2015-16 के सापेक्ष ₹ 5,366 करोड़ (आठ *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई जो बजट अनुमान से कम (₹ 2,089 करोड़) थी।

***संस्तुति:** वित्त विभाग को बजट तैयार करने की प्रक्रिया को तर्कसंगत बनाना चाहिए जिससे बजट अनुमान तथा वास्तविकताओं में लगातार बढ़ते अन्तर को कम किया जा सके।*

(पैरा 1.1.1 एवं 1.1.3)

महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष का सार एवं संस्तुतियाँ

करों के संग्रह की लागत

बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर, जो राज्य के स्वयं कर राजस्व का 45 *प्रतिशत* है, की संग्रह लागत अखिल भारतीय औसत संग्रह लागत से लगभग दोगुना है एवं पड़ोसी राज्यों बिहार, झारखंड एवं मध्य प्रदेश से भी अधिक है। राज्य में करों की वास्तविक प्राप्तियों में बजट अनुमानों के सापेक्ष निरन्तर कमी रही।

***lLrfr:** वित्त विभाग तथा बिक्री कर विभाग को इसकी समीक्षा करनी चाहिए कि बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर की संग्रह लागत अखिल भारतीय स्तर से लगभग दोगुनी क्यों है तथा संग्रह लागत को कम करने के उपाय करना चाहिए।*

(iLrj 1.2.2.2)

uohu i'ku ;ktuk ¼,u-ih-,l-½

नवीन पेंशन योजना के अन्तर्गत अवधि 2005 से 2008 में पेंशन अंशदान का विवरण राज्य लेखे में उपलब्ध नहीं था, जिसके कारण लेखापरीक्षा में यह आगणित करना सम्भव नहीं था कि योजना के प्रारम्भ से कर्मचारियों के वेतन से कटौती की जाने वाली पेंशन अंशदान की धनराशि की वास्तव में कटौती की गयी थी, राज्य सरकार द्वारा सम्पूर्ण समतुल्य अंशदान दिया गया था तथा एन.एस.डी.एल. को हस्तान्तरित किया गया था। अवधि 2008-09 से 2016-17 में कर्मचारी अंशदान ₹ 2,830 करोड़ के सापेक्ष राज्य सरकार द्वारा वास्तव में मात्र ₹ 2,247 करोड़ का समतुल्य अंशदान किया गया, परिणामतः अंशदान ₹ 583 करोड़ कम रहा। सम्पूर्ण अंशदान ₹ 5,660 करोड़ (2008-09 से 2016-17 की अवधि में कर्मचारी अंशदान तथा राज्य सरकार का समतुल्य अंशदान) के सापेक्ष मात्र ₹ 5,001.71 करोड़ एन.एस.डी.एल. को हस्तान्तरित किया गया तथा लोक लेखे के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 8342 में ₹ 545.68 करोड़ अवशेष था।

अग्रेतर, कर्मचारी अंशदान (1 अप्रैल 2005 अथवा उसके पश्चात नियुक्त कर्मचारियों के वेतन से कटौती) जो 2008-09 के ₹ 5.03 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2015-16 में ₹ 636.51 करोड़ हो गया था, वर्ष 2016-17 में उल्लेखनीय रूप से घटकर ₹ 199.24 करोड़ हो गया। यह कमी नवीन पेंशन योजना के अन्तर्गत कर्मचारी अंशदान हेतु लोक लेखे में नियत मुख्य शीर्ष 8342 के अतिरिक्त किसी अन्य शीर्ष में कर्मचारी अंशदान के अनियमित हस्तान्तरण के कारण हो सकती है तथा इसे शीघ्रता से ठीक किया जाना आवश्यक है।

***lLrfr:** राज्य सरकार को 1अप्रैल 2005 अथवा उसके बाद नियुक्त कर्मचारियों को उनकी नियुक्ति की तिथि से नवीन पेंशन योजना में आच्छादित करना सुनिश्चित करने के लिए तुरन्त कार्यवाही प्रारम्भ करनी चाहिए। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कर्मचारी अंशदान की पूर्ण कटौती के सापेक्ष राज्य सरकार द्वारा समतुल्य अंशदान करते हुए समयबद्ध प्रक्रिया में समस्त धनराशि एन.एस.डी.एल. को हस्तान्तरित कर दी जाये।*

(iLrj 1.3.4.1)

ykd 0;; dh i;kIrrk

विकास एवं आर्थिक सेवाओं पर व्यय का कुल व्यय से अनुपात सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत से कम था।

(iLrj 1.3.5.1)

flpkb fuek.k dk;k d foRrh; ifj.kke

तेरहवें एवं चौदहवें वित्त आयोग द्वारा सिंचाई परियोजनाओं की लागत वसूली दर (राजस्व व्यय के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियाँ) का निर्धारण इन परियोजनाओं की वाणिज्यिक उपादेयता के आकलन हेतु किया गया था। लागत वसूली में अन्तर, जिसमें पिछले दो वर्षों की अवधि में सुधार हुआ है, परन्तु अभी भी यह तेरहवें एवं चौदहवें वित्त आयोग के अनुमानों के आधे से कम है। इसमें अन्य पड़ोसी राज्यों झारखंड, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ की तुलना में और सुधार किया जाना है।

lLrfr: राज्य सरकार को सिंचाई परियोजनाओं पर लागत वसूली में सुधार हेतु उपाय प्रारम्भ करने चाहिये।

(iLrj 1.4.1)

vi.kZ ifj;kstuk,a

अपूर्ण कार्यो पर धनराशियों का अवरोधन व्यय की गुणवत्ता को दुष्प्रभावित करता है। लोक निर्माण विभाग तथा सिंचाई विभाग के 611 अपूर्ण परियोजनाओं में से अद्यतन 55 परियोजनाओं की लागत में ₹ 17,010 करोड़ की वृद्धि हुई।

lLrfr: लोक निर्माण विभाग तथा सिंचाई विभाग को परियोजनाओं की लागत में वृद्धि को कम करने परियोजनाओं को नियत अवधि में पूर्ण करने हेतु प्रक्रिया तंत्र को विकसित करना चाहिए।

(iLrj 1.4.2)

fuos'k ,oa izfrQy rFkk fn;s x;s _.k

वर्ष 2012-17 की अवधि में सरकार की ऋण लागत तथा क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में निवेशों के प्रतिफल में अन्तर के आधार पर, ₹ 21,964 करोड़ की अनुमानित हानि हुई। अक्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में निवेश पर प्रतिफल का आगणन नहीं किया जा सका।

राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋणों से प्राप्त ब्याज तथा लिए गए उधार पर भुगतानित ब्याज की धनराशि में अन्तर के आधार पर भी राज्य सरकार को ₹ 1,170 करोड़ की अनुमानित हानि हुई।

lLrfr: राज्य सरकार को अपने निवेश तथा विभिन्न इकाइयों को दिये गये ऋण को इस प्रकार तर्कसंगत बनाना चाहिए जिससे निवेश तथा ऋण पर प्रतिफल कम से कम सरकार की ऋण लागत से मेल खाये।

(iLrj 1.4.3 ,o 1.4.4)

vkjf{kr fuf/k;ksa dk vUrxZr ysunsu

वर्ष 2014-17 की अवधि में 21 आरक्षित निधियों में से (अन्तिम अवशेष **₹** 51,015.35 करोड़ के साथ) 18 संचालित थीं तथा तीन आरक्षित निधियां असंचालित थीं। यद्यपि यह देखा गया कि विगत पांच वर्षों के दौरान 18 संचालित निधियों के इस अत्यधिक अवशेष का कोई निवेश नहीं किया गया। यह भी देखा गया कि शेष तीन असंचालित आरक्षित निधियों में **₹** 45.20 करोड़ की धनराशि मुख्य शीर्ष 8115–ह्रास आरक्षित निधि (**₹** 44.42 करोड़) तथा मुख्य शीर्ष 8223–अकाल राहत निधि (**₹** 0.78 करोड़) का निवेश दशकों पूर्व किया गया था, लेकिन खाते में कोई ब्याज क्रेडिट नहीं हुआ।

आरक्षित निधियों के अन्तर्गत हस्तान्तरण तथा उससे वितरण समेकित निधि के उपयुक्त राजस्व एवं व्यय शीर्ष के अन्तर्गत डेबिट एवं क्रेडिट प्रविष्टियों के माध्यम से प्रभावित होती है। ये केवल वास्तविक नकद हस्तान्तरण का प्रतिनिधित्व करते हैं, यदि ये रिजर्व बैंक जमा (आर.बी.डी) को सीधे या निवेश के माध्यम से प्रभावित करते हों। चूँकि इसमें वास्तविक नकद बहिर्प्रवाह नहीं था, उ.प्र. सरकार द्वारा आरक्षित निधियों के सापेक्ष प्रदर्शित लेन देन केवल पुस्तक प्रविष्टियाँ ही थीं जो आरक्षित निधियों के सृजन एवं संचालन के मूलभूत विचारधारा का उल्लंघन करती हैं। इसका प्रभाव केवल सम्बन्धित वर्षों के लिये अनुचित रूप से राजस्व आधिक्य एवं राजकोषीय घाटे की अनुकूल स्थिति दर्शाता है।

तथापि, इन निधियों में कई वर्षों से पड़े हुए बकाया अवशेष राज्य की बड़ी देनदारी को दर्शाते हैं। विशिष्ट आरक्षित निधियों के सापेक्ष ऋणात्मक तथा डेबिट अवशेषों को समेकित निधि से विनियोग द्वारा विनियमितीकरण कराये जाने की आवश्यकता है।

laLrqfr% वित्त विभाग को आरक्षित निधियों के अन्तर्गत लेनदेन एवं अवशेषों का रख– रखाव पुस्तक प्रविष्टियों के माध्यम से किये जाने की समीक्षा करनी चाहिये तथा नकद लेखांकन के सिद्धांतों का पालन रिजर्व बैंक के साथ अवशेषों के वास्तविक निवेश के माध्यम से करना चाहिए।

(izLrj 1.5.2)

fu{ksi fuf/k

बारहवें वित्त आयोग ने बकाया देनदारियों[1] के परिशोधन के लिए राज्य सरकारों द्वारा समेकित निक्षेप निधि (स. नि. नि.) के सृजन की सिफारिश की थी। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) जो निधि को प्रशासित करने के लिए उत्तरदायी हैं, के दिशानिर्देशों के अनुसार विगत वित्तीय वर्ष के अन्त में बकाया देनदारियों के 0.5 *प्रतिशत* का न्यूनतम वार्षिक योगदान निर्धारित है। तदनुसार, राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2016-17 में ₹ 1,836.26 करोड़ (₹ 3,67,251.80 करोड़, अर्थात 31 मार्च 2016 को बकाया देनदारियों, का 0.5 *प्रतिशत*) का योगदान किये जाने की आवश्यकता थी।

तथापि, राज्य सरकार ने इन दिशानिर्देशों[2] के संदर्भ में स. नि. नि. (मौजूदा निधि को सम्मिलित करते हुये) की स्थापना के लिए कोई कार्यवाही नहीं की।

वर्ष 2016-17 में राज्य सरकार ने निक्षेप निधि के लिए समेकित निधि के अन्तर्गत ₹ 10,772.35 करोड़ का प्रावधान किया तथा राजस्व मद में ₹ 4,145.61 करोड़ का हस्तान्तरण किया। निक्षेप निधि के लेन–देनों का निवल प्रभाव यह रहा कि राज्य के बकाये दायित्व में ₹ 6,627 करोड़ की वृद्धि हो गई।

laLrqfr% राज्य सरकार द्वारा बारहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुये आरबीआई द्वारा निवेश किए जाने वाले समेकित निक्षेप निधि का गठन किया जाना चाहिये। इसके अतिरिक्त, निधि से स्थानान्तरित धनराशि को राजस्व प्राप्ति नहीं माना जाना चाहिए। किसी भी स्थिति में, राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निधि की शेष राशि वास्तव में निवेश की जाये और वह मात्र पुस्तक प्रविष्टि न हो।

(izLrj 1.5.2.1)

jkT; lM+d ,oa lsrq vkfn ij 0;;

राज्य सरकार द्वारा कई वर्षों से मुख्य शीर्ष 3054/5054 और मुख्य शीर्ष 8225– सड़क एवं सेतु निधि के बीच एक रूप स्थानान्तरण और विपरीत स्थानान्तरण किया जा रहा है। यदि वर्ष दर वर्ष स्थानान्तरण का शुद्ध प्रभाव शून्य है तो आरक्षित निधि के सृजन का उद्देश्य निरर्थक है। अग्रेतर, 31 मार्च 2017 को निधि में (–)₹ 321.46 करोड़ का ऋणात्मक आदिशेष था, जो उपलब्ध शेष से अधिक भुगतान का संकेत देता है। यह ऋणात्मक आंकड़ा वर्ष 2014-15 के लेखे से प्रदर्शित हो रहा है। ऋणात्मक शेष राशि को समेकित निधि से विनियोग द्वारा नियमित किया जाना है।

[1] राज्य सरकार के आन्तरिक ऋण एवं लोक लेखे दायित्व के रूप में परिभाषित।

[2] जैसा कि इन राज्यों ने दिशानिर्देशों के अनुसार समेकित निक्षेप निधि की स्थापना की है–आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, उड़ीसा तथा जम्मू–कश्मीर।

laLrqfr % वित्त विभाग द्वारा मुख्य शीर्ष 8225– सड़क और सेतु निधि के अन्तर्गत सड़क और सेतुओं पर आरक्षित निधि को बनाए रखने की आवश्यकता की जांच की जानी चाहिए और अविलम्ब ऋणात्मक शेष (–)₹ 321.46 करोड को नियमित भी करना चाहिए।

(iSjk 1.5.2.2)

jkT; vkink vuqfØ;k fuf/k (jk-vk-v-fu-)

भारत सरकार के दिशानिर्देश, कि रा.आ.अ.नि. का संचालन ब्याज सहित आरक्षित निक्षेप निधि के अन्तर्गत किया जाना चाहिए, के विपरीत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपने रा.आ.अ.नि. का संचालन ब्याज रहित आरक्षित निधि के अन्तर्गत किया जा रहा है। अग्रेतर, निधि में अवशेष धनराशियां मात्र पुस्तक प्रविष्टियाँ थी और निवेशित नहीं थीं।

अग्रेतर, वर्ष 2016-17 के लिए ₹ 19.08 करोड़ की ब्याज की धनराशि (अर्थोपाय अग्रिम पर देय औसत ब्याज की दर 7.5 *प्रतिशत* के आधार पर) राज्य सरकार द्वारा भुगतान नहीं की गयी थी, वर्ष 2016-17 के लिए राजस्व व्यय निधि के लिए अभुगतानित ब्याज के आधार पर ₹ 19.08 करोड़ की न्यूनता रही। रा.आ.अ.नि. के संचालन से अदेय ब्याज राज्य के अलेखांकित दायित्व को प्रदर्शित करता है।

laLrqfr% राज्य सरकार द्वारा रा.आ.अ.नि. की शेष राशि को मुख्य शीर्ष 8121–सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधि ''ब्याज सहित आरक्षित निधि'' की श्रेणी में स्थानान्तरित किया जाना चाहिए एवं अर्थोपाय अग्रिम पर आर.बी.आई. द्वारा लागू ब्याज की दर के औसत के आधार पर अर्जित ब्याज निधि में जमा किया जाना चाहिए। राज्य सरकार को दिशानिर्देश में निर्धारित शैली में निधि के अवशेषों का निवेश करने की भी आवश्यकता है।

(iSjk 1.5.2.3)

vkdfLed nk;rk,a&izR;kHkwfr;ksa dh fLFkfr

बारहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के उपरान्त भी राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूति विमोचन निधि का गठन नहीं किया गया अथवा राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली प्रत्याभूति की सीमा का निर्धारण करने के लिए कोई नियम नहीं बनाया गया। राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम वार्षिक अंशदान ₹ 298.27 करोड़ (वर्ष 2016-17 के प्रारम्भ में बकाया प्रत्याभूति ₹ 59,653.72 करोड़ के 0.5 *प्रतिशत* की दर से) किया जाना चाहिए था, जो नहीं किया गया।

दो कम्पनियों द्वारा देय गारन्टी फीस ₹ 0.92 करोड़ का भुगतान नहीं किया गया था। इसके बावजूद, वर्ष 2016-17 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दोनों कम्पनियों को इक्विटी तथा सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गयी, यद्यपि दोनों कम्पनियों के लेखे वर्ष 2015-16 से बकाया थे।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम को प्रत्याभूत की जाने वाली अधिकतम धनराशि ₹ 15,690 करोड़ के सापेक्ष बकाया प्रत्याभूत धनराशि (₹ 19,252 करोड़) ₹ 3,562 करोड़ अधिक था। यह उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन है जिसके अनुसार अधिकतम प्रत्याभूत धनराशि से अधिक की प्रत्याभूति नहीं दी जा सकती।

laLrqfr: बारहवें वित्त आयोग के दिशानिर्देशों के अनुरूप राज्य सरकार को प्रत्याभूति विमोचन निधि का गठन एवं संचालन करना चाहिये एवं यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि किसी भी संस्था को निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक की प्रत्याभूति नहीं दी जाये। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्याभूति शुल्क तत्परता से प्राप्त करना सुनिश्चित

किया जाना चाहिये। शासन द्वारा उन संस्थानों को वित्तीय सहायता रोक दी जानी चाहिये जिनके द्वारा प्रत्याभूति शुल्क का भुगतान नहीं किया जा रहा है एवं/अथवा जिनके लेखे बकाया हैं।

(iLrj 1.5.3)

0;;kf/kD;

उ0प्र0 बजट मैनुअल के नियम 140 एवं 174 के अनुसार, विधायिका द्वारा स्वीकृत दत्तमत अनुदान या भारित विनियोग से अधिक व्यय किया जाना वित्तीय अनियमितता को स्थापित करता है। यद्यपि, यह पाया गया कि वर्ष 2016-17 की अवधि में कुल ₹ 6,917.60 करोड का अधिक व्यय था। अग्रेतर, यह संज्ञान में आया कि लोक निर्माण विभाग (लो.नि.वि.) द्वारा तीन अनुदानों के सापेक्ष ₹ 2,122.53 करोड़ का अधिक व्यय किया गया। ऋण के प्रतिदान के अन्तर्गत व्यय का सही आकलन करने में वित्त विभाग स्वयं असफल रहा एवं फलस्वरूप वर्ष 2016-17 के दौरान ₹ 4,794.78 करोड़ का अधिक व्यय हुआ।

laLrfr% *वित्त विभाग को सुनिश्चित करना चाहिये कि वित्त विभाग द्वारा स्वयं एवं किसी भी विभागीय नियंत्रण अधिकारी द्वारा, राज्य विधायिका से नियमानुसार स्वीकृत आवंटन से अधिक व्यय न किया जाय ।*

(iLrj 2.2.1)

vf/kd gq, 0;;ksa ds fofu;ferhdj.k dh vko';drk

पिछले दशक (वर्ष 2005-16) से सम्बन्धित 95 अनुदानों एवं 38 विनियोगों के व्ययाधिक्य ₹ 24,144.20 करोड़ का विनियमितीकरण कराये जाने में राज्य सरकार असफल रही। वर्ष 2016-17 में, अनुदानों/विनियोगों के पाँच प्रकरणों में राज्य की समेकित निधि से प्राधिकृत धनराशि से किये गये अधिक व्यय ₹ 5,662.17 करोड़ को विनियमित किये जाने की आवश्यकता थी।

laLrfr% *वर्तमान में व्ययाधिक्य के सभी प्रकरणों को तत्परता से विनियमित किये जाने की आवश्यकता है एवं भविष्य में अत्यन्त एवं अधिकतम आकस्मिक स्थिति के प्रकरणों को छोड़कर, जिसकी पूर्ति आकस्मिकता निधि से नहीं की जा सकती, इस प्रकार के अदत्तमत व्यय को पूर्ण रूप से रोका जाना चाहिए।*

(iLrj 2.2.2)

cpr

41 अनुदानों/विनियोगों से सम्बन्धित 59 प्रकरणों में ₹ 43,036.89 करोड़ की बचत हुई जिसमें प्रत्येक प्रकरण में ₹ 100 करोड़ से अधिक की बचत थी, लेखे के राजस्व दत्तमत शीर्ष के अन्तर्गत ₹ 500 करोड़ से अधिक की बचतें 15 अनुदानों एवं पूंजीगत दत्तमत शीर्ष के अन्तर्गत ₹ 500 करोड़ से अधिक की बचतें लेखे के छः अनुदानों में हुई। 17 अनुदानों के अन्तर्गत 22 प्रकरणों में विगत पाँच वर्षों से अनवरत बचत (₹ 100 करोड़ और अधिक), ₹ 102.54 करोड़ एवं ₹ 3,300.96 करोड़ के मध्य थी।

laLrfr% *सभी प्रत्याशित बचतों को समय से अभ्यर्पित कर देना चाहिये जिससे निधियों का उपयोग विकास के अन्य उद्देश्यों के लिये किया जा सके।*

(iLrj 2.2.3 ,oa 2.2.4)

राज्य आकस्मिकता निधि से अग्रिम - प्रतिपूर्ति नहीं की गयी

आकस्मिकता निधि से दिसम्बर 2016 से फरवरी 2017 के दौरान ₹ 308.12 करोड़ की धनराशि आहरित की गयी जिसकी प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष (मार्च 2017) के अन्त तक नहीं हुई थी। अग्रेतर, अग्रिम में से, उ.प्र. जल निगम को दिसम्बर 2016 से जनवरी 2017 के दौरान ₹ 300 करोड़ ब्याज रहित ऋण के रूप में वेतन तथा सेवानिवृत्तिक प्रतिबद्धता की पूर्ति के लिए दिया गया। यह आकस्मिक तथा अप्रत्याशित व्यय का समावेश नहीं करता एवं उ. प्र. आकस्मिकता निधि के नियमों के विपरीत वर्ष के दौरान इसकी प्रतिपूर्ति भी नहीं की गयी।

संस्तुतिः राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि आकस्मिक एवं अप्रत्याशित *प्रकृति के व्यय को छोड़कर आकस्मिकता निधि से किसी अग्रिम का आहरण न किया जाय।*

(प्रस्तर 2.2.11)

व्यय का अतिरेक

राज्य सरकार द्वारा व्यय के अतिरेक के सम्बन्ध में कोई नियम नहीं बनाये गये हैं। अग्रेतर, उ.प्र. सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं जैसे स्वच्छ भारत मिशन (₹ 80.82 करोड़) एवं ग्राम पंचायत को सहायता अनुदान (₹ 2,972.99 करोड़) के लिए कुल ₹ 3,053.81 करोड़ के स्वीकृति आदेशों को एक ही दिन, 30 मार्च 2017, को निर्गत किया गया।

संस्तुतिः शासन को यह सुनिश्चित करने के लिये नियम बनाना चाहिये कि बजट प्रावधान अनुपयोगी न रहे एवं वित्तीय वर्ष के अन्त में व्यय के अतिरेक पर नियन्त्रण हो।

(प्रस्तर 2.2.12)

वैयक्तिक लेजर खाता/जमा खाता

उ.प्र. बजट मैनुअल के प्रावधानों के अनुसार, सभी अन्तिम बचतों को 25 मार्च तक वित्त विभाग को समर्पित कर देना चाहिए, इसके विपरीत शासन के पी.एल. खातों में 31 मार्च 2017 तक अन्तिम अवशेष ₹ 6,835.75 करोड़ था। अग्रेतर, नियमों के विपरीत उ.प्र. सरकार 341 पी.डी./पी.एल.ए. जिसमें तीन वर्षों से अधिक समय से लेन–देन नहीं हुआ था, को बन्द करने में असफल रही।

राज्य सरकार के विभागों द्वारा नियमित रूप से अव्ययित धनराशि को पी.डी./पी.एल. खातों में अन्तरित किया जाता रहा है। विभागों की ऐसी प्रथा विधायी उद्देश्य का उल्लंघन है, क्योंकि विधायिका का उद्देश्य है कि उनके द्वारा वित्तीय वर्ष के लिये अनुमोदित निधियां उसी वित्तीय वर्ष में व्यय हो। वित्त विभाग, जो लोक वित्त का अभिरक्षक है, द्वारा ऐसे अनियमित व्यवहार पर नियन्त्रण हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गयी अथवा सम्बन्धित अधिकारी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की संस्तुति नहीं की गयी।

संस्तुतिः वित्त विभाग द्वारा सभी पी.डी./पी.एल. खातों की समीक्षा किये जाने की आवश्यकता है एवं इन पी.डी./पी.एल. खातों में अनावश्यक पड़े सभी धनराशियों को तत्काल समेकित निधि में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। अग्रेतर, वित्तीय नियमावली में निहित निर्देशों को वित्त विभाग द्वारा दोहराते हुये यह सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता है कि नियमों के अनुसरण करने में असफल रहे विभागीय अधिकारियों के विरूद्ध उचित कार्यवाही की जाये।

(प्रस्तर 3.1)

भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर

बोर्ड द्वारा आरम्भ से ही (नवम्बर 2009) अपने लेखे तैयार नहीं किये गये हैं, इसलिए आय एवं व्यय की प्रामाणिकता लेखापरीक्षा में सुनिश्चित नहीं की जा सकी। बोर्ड के पास मार्च 2017 में ₹ 3,194.96 करोड़ उपलब्ध थे, जो बैंक खातों में रखे गये थे।

बोर्ड द्वारा स्थायी परिसम्पत्ति पंजिका का अनुरक्षण नहीं किया गया जिसके अभाव में सृजित परिसम्पत्तियों के भौतिक अस्तित्व तथा उनकी स्थिति को सत्यापित नहीं किया जा सका।

उ.प्र. सरकार द्वारा मार्च 2017 तक बोर्ड को ₹ 34.48 करोड़ स्थानान्तरित किया जाना शेष था अतः उक्त धनराशि से राजस्व आधिक्य में अतिशयता एवं राजकोषीय घाटा में न्यूनता रही।

शासनादेशों (अगस्त 2012 एवं सितम्बर 2016) द्वारा उपकर की प्राप्तियों को शासकीय लेखे (राज्य की समेकित निधि) में लाये बिना सीधे बोर्ड द्वारा संचालित राष्ट्रीयकृत बैंक खाता में जमा किये जाने के निर्देश सरकारी लेखांकन के सिद्धान्तों का उल्लंघन है। परिणामस्वरूप, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है कि कितनी धनराशि का संग्रहण उपकर निर्धारण अधिकारियों द्वारा किया गया एवं कितनी धनराशि बोर्ड को स्थानान्तरित की गयी।

संस्तुति: उ.प्र. बी.ओ.सी.डब्लू. कल्याण बोर्ड द्वारा समय से लेखे की तैयारी प्रारम्भ किया जाना तथा भवन एवं सन्निर्माण श्रमिकों की कार्य की दशा में सुधार एवं उन्हें पर्याप्त वित्तीय सहायता दिये जाने के अधिदेश की पूर्ति हेतु सम्बन्धित अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना चाहिए। उपकर को, समेकित निधि के माध्यमों से, के स्थान पर बोर्ड के बैंक खाते में सीधे स्थानान्तरण किये जाने के अपने आदेशों की उ.प्र. सरकार द्वारा समीक्षा भी की जानी चाहिए।

(प्रस्तर 3.2)

विकास प्राधिकरणों एवं आवास विकास परिषदों को अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी का अन्तरण

उ.प्र. सरकार द्वारा अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी के रूप में प्राप्त धनराशि के लिए अलग से उप शीर्ष नहीं खोला गया है। परिणामस्वरूप यह आकलन करना सम्भव नहीं है कि संपूर्ण दो *प्रतिशत* अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी प्राप्त की गयी तथा सम्बन्धित प्राधिकरणों इत्यादि को स्थानान्तरित कर दी गयी। धनराशि का स्थानान्तरण लखनऊ विकास प्राधिकरण के माध्यम से किये जाने के उ.प्र. शासन के आदेश (सितम्बर 2015) ने अपारदर्शिता को बढ़ा दिया।

अग्रेतर, अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी का 25 प्रतिशत डेडीकेटेड नगर परिवहन निधि को स्थानान्तरित किये जाने का शासन का आदेश (सितम्बर 2013) उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत था, जिसमें इस प्रकार के किसी विभाजन का प्रावधान नहीं है।

संस्तुति: उ.प्र. सरकार द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी की प्राप्तियां एवं उ.प्र. नगर योजना एवं विकास अधिनियम में विनिर्दिष्ट प्राधिकरणों/निगमों आदि को स्थानान्तरित धनराशि, लेखे में पूर्णरूपेण एवं पारदर्शिता से प्रदर्शित हो। अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी की 25 प्रतिशत धनराशि डेडीकेटेड नगर परिवहन निधि को हस्तान्तरण सम्बन्धी आदेश, जो अधिनियम के प्रावधानों के प्रतिकूल है, की समीक्षा भी उ.प्र. सरकार द्वारा की जानी चाहिए।

(प्रस्तर 3.3)

y[k e vikjnf'krk

उ.प्र. शासन के विभागों द्वारा लघु शीर्ष 800 का नियमित रूप से परिचालन किया जा रहा है, जिसे केवल असाधारण मामलों में ही परिचालित किया जाना चाहिये। वर्ष 2016–17 के दौरान प्राप्तियों के अन्तर्गत ₹ 36,826.27 करोड़ एवं व्यय के अन्तर्गत ₹ 35,329.20 करोड़ लघु शीर्ष 800 में पुस्तांकित किया गया जिसके परिणामस्वरूप लेनदेनों में अपारदर्शिता रही।

lLrfr% वित्त विभाग को लघु शीर्ष 800 के अन्तर्गत वर्तमान में दर्शित हो रहे सभी मदों की विस्तृत समीक्षा महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के परामर्श से संचालित करनी चाहिए एवं यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि भविष्य में ऐसे सभी प्राप्तियों एवं व्ययों को लेखे के समुचित शीर्ष के अन्तर्गत पुस्तांकित किया जाये।

(iLrj 3.4)

lkoZtfud {k= d miØek@fuxek d y[kkvk dk vfUrehdj.k

56 क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों (230 लेखे) एवं 36 अक्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों के लेखे (527 लेखे) एक से 34 वर्षों से बकाया है। इसके बावजूद, वित्त विभाग द्वारा इन पी.एस.यू. को बजटीय समर्थन उपलब्ध कराया गया, जिनमें से केवल वर्ष 2016-17 में ही ₹ 21,038.52 करोड़ उपलब्ध कराया गया था।

lLrfr% वित्त विभाग को उन सभी पी.एस.यू. के प्रकरणों की समीक्षा करनी चाहिए जिनके लेखे बकाया है एवं सुनिश्चित करना चाहिये कि उचित समयान्तर्गत लेखे वर्तमानकालिक बने एवं उन सभी प्रकरणों में वित्तीय समर्थन रोक देना चाहिए जहाँ लेखे निरन्तर बकाया हैं।

(iLrj 3.6)

ykHkka'k v?kkf"kr

राज्य सरकार के नीति के विपरीत कि सभी लाभ अर्जित करने वाली पी.एस.यू. के लिए यह आवश्यक है कि राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अंश पूंजी के योगदान का पांच *प्रतिशत* न्यूनतम रिटर्न भुगतान करे, 10 लाभ अर्जित करने वाले पी.एस.यू. ने ₹ 507.48 करोड़ का लाभांश घोषित नहीं किया।

lLrfr% राज्य सरकार द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि लाभ अर्जित करने वाले पी.एस.यू. द्वारा वर्ष के अन्त तक विनिर्दिष्ट लाभांश को निश्चित रूप से शासकीय लेखे में जमा कराया जाये।

(iLrj 3.7)

miHkkx iek.k&i=k dk iLrr u fd;k tkuk

उत्तर प्रदेश शासन के विभाग ₹ 97,906.27 करोड़ के सहायता अनुदानों के उपभोग प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करने में असफल रहे। कई प्रकरणों में, उन्हीं प्राप्तकर्ताओं द्वारा उन्हीं विभागों से अगला अनुदान प्राप्त करना जारी रखा गया जबकि पूर्व के अनुदानों के उपभोग प्रमाण पत्र लम्बित थे।

lLrfr% वित्त विभाग द्वारा एक समय सीमा निर्धारित किया जाना चाहिए जिसके अन्तर्गत अनुदान अवमुक्त करने वाले प्रशासनिक विभाग अनुदान आदेश में निहित समय से अधिक लम्बित उपभोग प्रमाण पत्रों का संग्रह करें एवं यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसे अवधि में, प्रशासनिक विभाग व्यतिक्रमी अनुदानग्राहियों को अगला अनुदान अवमुक्त न करे।

(iLrj 3.11)

yfEcr foLr`r vkdfLed fcy

वित्त विभाग, जिसे सुनिश्चित करना चाहिये कि मात्र बजट व्यपगत होने से बचाने के लिये संक्षिप्त आकस्मिक देयकों से आहरण न हो, वित्त विभाग ने स्वयं ही वित्तीय वर्ष के अन्तिम चार दिनों में ए.सी. देयकों के माध्यम से ₹ 32.63 करोड़ आहरित किये।

laLrqfr% वित्त विभाग को सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी नियन्त्रक अधिकारियों द्वारा निर्धारित अवधि से अधिक समय से लम्बित सभी ए.सी. देयकों का समायोजन समयबद्ध तरीके से किया जाय एवं यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि मात्र बजट व्यपगत होने से बचाने के लिये ए.सी. देयकों से आहरण न हो।

(iLrj 3.12)

tekvksa ij C;kt dk Hkqxrku u fd;k tkuk

वित्त विभाग जमाओं पर ब्याज पुस्तांकित करने में असफल रहा। ऐसे अपुस्तांकित ब्याज के कारण मात्र वर्ष 2016–17 में राजस्व आधिक्य में ₹ 256.92 करोड़ की अतिशयता हुई।

laLrqfr% वित्त विभाग को मुख्य शीर्ष 8336 से 8342 के अन्तर्गत सभी ब्याज सहित जमाओं पर ब्याज दर्ज करने हेतु समुचित कार्यवाही के लिये अवशेषों की समीक्षा करनी चाहिए।

(iLrj 3.13)

jkT; ds iquxZBu ds i'pkr~ vo'ks"kksa dk foHkktu

राज्य सरकार द्वारा अभी भी (नवम्बर 2000 से) उत्तराधिकारी राज्यों उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड के मध्य जमा और अग्रिम के अन्तर्गत प्रदर्शित अवशेष धनराशि ₹ 8,757.37 करोड़ विभाजन हेतु अवशेष है।

laLrqfr% राज्य सरकार द्वारा निक्षेप और अग्रिम (₹ 8,757.37 करोड़) के अवशेषों का विभाजन दोनों उत्तराधिकारी राज्यों के मध्य शीघ्र किया जाना चाहिये।

(iLrj 3.14)

jktLo vkf/kD; ,oa jktdks"kh; ?kkVk ij izHkko

लेखापरीक्षा विश्लेषण के अनुसार व्यय एवं राजस्व के त्रुटिपूर्ण पुस्तांकन/लेखांकन के प्रभाव के परिणामस्वरूप राजस्व आधिक्य में ₹ 677.83 करोड़ की अतिशयता तथा राजकोषीय घाटे में ₹ 608.75 करोड़ की न्यूनता रही। निक्षेप निधि के संव्यवहारों के परिणामस्वरूप राज्य के बकाया दायित्व में ₹ 6,627 करोड़ की वृद्धि हुई।

(iLrj 1.1.2 ,oa 3.17)

v/;k; & 1

jkT; ljdkj ds foRr

यह अध्याय राज्य सरकार के वर्ष 2016-17 के वित्त का लेखापरीक्षित परिदृश्य प्रस्तुत करता है एवं विगत पाँच वर्षों की अवधि में समग्र संघटकों को ध्यान में रखते हुए, मुख्य राजकोषीय समूहों का वर्ष 2015-16 की तुलना में परिवर्तनों का समीक्षात्मक विश्लेषण करता है।

यह समीक्षा उत्तर प्रदेश राज्य के वित्त लेखे में सम्मिलित आंकड़ों पर आधारित है। राज्य का परिदृश्य *ifjf'k"V* **1.1** में दिया गया है।

1.1 ldy jkT; ?kjsyw mRikn (l-jk-?k-m-)[1]

वर्तमान तथा स्थिर मूल्य (आधार वर्ष 2011-12) पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद (स.घ.उ.) तथा राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) की वार्षिक प्रवृत्तियों को lkj.kh **1.1** में दर्शाया गया है:

lkj.kh 1-1% Hkkjr dk ldy ?kjsyw mRikn ,oa jkT; dk ldy jkT; ?kjsyw mRikn

fooj.k	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
भारत का सकल घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	99,44,013	1,12,33,522	1,24,45,128	1,36,82,035	1,51,83,709
सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (*प्रतिशत* में)	13.82	12.97	10.79	9.94	10.98
राज्य का वर्तमान मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	8,22,393	9,40,356	10,11,790	11,20,836	12,75,141
वर्तमान मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (*प्रतिशत* में)	13.58	14.34	7.60	10.78	13.77
राज्य का स्थिर मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	7,58,205	8,02,070	8,34,432	9,01,257	9,67,517
स्थिर मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (*प्रतिशत* में)	4.72	5.79	4.03	8.01	7.35

(स्रोतः सकल घरेलू उत्पाद/सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आंकड़े दिनांक 01.08.2017 को सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी किये गये)

शासकीय लेखे की संरचना *ifjf'k"V* **1.2** ds Hkkx&v और वित्त लेखे का प्रारूप Hkkx&c में दर्शाया गया है।

1.1.1 jktdks"kh; ysu&nsuksa dk lkjka'k

lkj.kh **1.2** में राज्य सरकार के वर्ष 2015-16 के सापेक्ष वर्ष 2016-17 के राजकोषीय लेन–देनों का सारांश प्रदर्शित है। *ifjf'k"V* **1.3** वर्ष 2016-17 की प्राप्तियों एवं संवितरणों के साथ–साथ समग्र राजकोषीय स्थिति को प्रस्तुत करता है।

[1] सकल घरेलू उत्पाद एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद दिये गये समयावधि में देश एवं राज्य में उत्पादित सभी आधिकारिक रूप से मान्य अन्तिम सामग्रियों एवं सेवाओं का बाजार मूल्य होता है तथा देश एवं राज्य की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण संकेतक है।

lkj.kh 1-2% o"kZ 2016-17 esa jktdks"kh; ysu&nsuksa dk lkjka'k

¼₹ djksM+ esa½

çkfIr;k¡			lforj.k				
	2015-16	2016-17		2015-16	2016-17		
Hkkx&v: jktLo					vk;kstusRrj	vk;kstukxr	;ksx
jktLo izkfIr;k¡	**2,27,076**	**2,56,875**	**jktLo O;;**	**2,12,736**	**1,86,886**	**49,706**	**2,36,592.**
कर राजस्व	81,106	85,966	सामान्य सेवायें	72,228	88,111	144	88,255
करेतर राजस्व	23,135	28,944	सामाजिक सेवायें	82,486	50,703	41,158	91,861
संघीय करों/शुल्कों का अंश	90,974	1,09,428	आर्थिक सेवायें	47,881	37,430	8,404	45,834
भारत सरकार से अनुदान	31,861	32,537	सहायता अनुदान एवं अंशदान	10,140	10,642	-	10,642
Hkkx&c: iwathxr ,oa vU;							
iwathxr vuqHkkx ds vUrxZr fofo/k izkfIr;k¡	-	-	iwathxr O;;	**64,423**	**9,216**	**60,573**	**69,789**
_.k ,oa vfxzeksa dh olwyh	**726**	**259**	lforfjr _.k ,oa vfxze	**9,118**	**6,741**	**-**	**6,741**
yksd _.k izkfIr;k¡	**74,514**	**67,685**	yksd _.kksa dh vnk;xh	**17,673**	**20,303**	**-**	**20,303**
vkdfLedrk fuf/k	**201**	**173**	vkdfLedrk fuf/k	**44**	**349**	**-**	**349**
yksd ys[kk izkfIr;k¡[2]	**2,65,972**	**3,06,406**	yksd ys[kk lforj.k	**2,64,294**	**2,96,523**	**-**	**2,96,523**
izkjfEHkd jksdM+ vo'ks"k	**(-) 401**	**(-)202***	vfUre jksdM+ vo'ks"k	**(-) 200**	**899**	**-**	**899**
;ksx	**5,68,087.07**	**6,31,196**	;ksx	**5,68,087**	**5,20,917**	**1,10,279**	**6,31,196**

(स्रोतः वित्त लेखे वर्ष 2015-16 एवं 2016-17)

*8 नवम्बर 2000 को अवशेषों के विभाजन पर विभागीय अवशेष ₹ 2.04 करोड़ एवं स्थायी अग्रिम ₹ 0.03 करोड़ उत्तराखण्ड को आवंटित किया गया।

वर्तमान मूल्य एवं स्थिर मूल्य के आधार पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों/राजस्व व्यय/पूँजीगत व्यय को lkj.kh **1.3** में निम्नवत् दर्शाया गया है:

lkj.kh 1.3% ldy jkT; ?kjsyw mRikn ds lkis{k jktLo çkfIr@jktLo O;;@iwathxr O;; dh çofÙk

fooj.k	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	izfr'kr
ldy jkT; ?kjsyw mRikn ds lkis{k jktLo çkfIr						
वर्तमान मूल्य पर राजस्व प्राप्ति (₹ करोड़ में)	1,45,904	1,68,214	1,93,422	2,27,076	2,56,875	-
वर्तमान मूल्य पर राजस्व प्राप्ति की वृद्धि दर (*प्रतिशत* में)	11.49	15.29	14.99	17.40	13.12	14.46
स्थिर मूल्य पर राजस्व प्राप्ति (₹ करोड़ में)	1,34,516	1,43,477	1,59,517	1,82,590	1,94,905	-
स्थिर मूल्य पर राजस्व प्राप्ति की वृद्धि दर (*प्रतिशत* में)	2.79	6.66	11.18	14.46	6.74	8.37
राजस्व प्राप्ति/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	17.74	17.89	19.12	20.26	20.14	19.03

[2] मुख्य लेखाशीर्ष 8009 से 8782 तक सम्मिलित (वित्त लेखे का विवरण संख्या 21)

ldy jkT; ?kjsy mRikn d lkis{k jktLo 0;;						
वर्तमान मूल्य पर राजस्व व्यय (₹ करोड़ में)	1,40,724	1,58,147	1,71,027	2,12,736	2,36,592	-
वर्तमान मूल्य पर राजस्व व्यय की वृद्धि दर (*प्रतिशत* में)	13.59	12.38	8.14	24.39	11.21	13.94
स्थिर मूल्य पर राजस्व व्यय (₹ करोड़ में)	1,29,740	1,34,890	1,41,048	1,71,060	1,79,515	-
स्थिर मूल्य पर राजस्व व्यय की वृद्धि दर (*प्रतिशत* में)	4.73	3.97	4.56	21.28	4.94	7.90
राजस्व व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	17.11	16.82	16.90	18.98	18.55	17.67
ldy jkT; ?kjsy mRikn d lkis{k iwathxr 0;;						
वर्तमान मूल्य पर पूंजीगत व्यय (₹ करोड़ में)	23,834	32,863	53,297	64,423	69,789	-
वर्तमान मूल्य पर पूंजीगत व्यय की वृद्धि दर (*प्रतिशत* में)	10.48	37.88	62.18	20.88	8.33	27.95
स्थिर मूल्य पर पूंजीगत व्यय (₹ करोड़ में)	21,974	28,030	43,955	51,802	52,953	-
स्थिर मूल्य पर पूंजीगत व्यय की वृद्धि दर (*प्रतिशत* में)	1.85	27.56	56.81	17.85	2.22	21.26
पूँजीगत व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	2.90	3.49	5.27	5.75	5.47	4.58

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि मुद्रास्फीति को गणना में लेने के बाद भी अवधि 2012-13 से 2016-17 में राजस्व प्राप्तियों, राजस्व व्यय तथा पूँजीगत व्यय में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के *प्रतिशत* में वृद्धि हुई।

1.1.2 jktdks"kh; fLFkfr dh leh{kk

उज्जवल डिस्काम एश्योरेन्स योजना (उदय) के क्रियान्वयन के कारण विद्युत वितरण कम्पनियों (डिस्कॉम्स) के ऋण को वहन किये जाने के फलस्वरूप राज्य सरकार पर अतिरिक्त भार के सम्बन्ध में iLrj **1.6.4** में विस्तार से उल्लेख किया गया है। राज्य के बजट अभिलेख की राजकोषीय नीति तथा उदय के दिशा निर्देशों में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि उदय के अन्तर्गत राज्य द्वारा वहन किये गये ऋण को राज्य के राजकोषीय घाटे की सीमा की गणना में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। उदय को सम्मिलित न करने पर राज्य का वास्तविक राजकोषीय घाटा तथा बकाया दायित्व क्रमशः ₹ 41,187 करोड़ तथा ₹ 4,08,422 करोड़ था। इस प्रतिवेदन में उल्लिखित विभिन्न बिन्दुओं एवं iLrj **3.17** तथा lkj.kh **3.11** में विस्तार से वर्णित प्रकरणों को संज्ञान में लेने पर राजस्व आधिक्य में ₹ 677.83 करोड़ की अतिशयता होने के कारण यह ₹ 19,605 करोड़ एवं राजकोषीय घाटे में ₹ 608.75 करोड़ की न्यूनता होने के कारण यह ₹ 41,796 करोड़ होगा, जैसा इस प्रतिवेदन के अन्त में lkj.kh **3.11** में वर्णित है। अग्रेतर, निक्षेप निधि के लेन–देनों का प्रभाव, जिसका विवरण iLrj **1.5.2.1** में दिया गया है एवं iLrj **3.17** तथा lkj.kh **3.11** में दर्शाया गया है, के कारण राज्य के बकाया दायित्व में ₹ 6,627 करोड़ की वृद्धि होकर यह ₹ 4,15,049 करोड़ (उदय को छोड़कर) होगा।

उपरोक्त के दृष्टिगत, अवधि 2016-17 में बजट में दिये गये विभिन्न मुख्य घटक, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों तथा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन

(एफ.आर.बी.एम.) अधिनियम में दिये गये लक्ष्य, के सापेक्ष राज्य की वास्तविक (उदय को छोड़कर) तथा लेखापरीक्षा द्वारा आगणित उपलब्धि **lkj.kh 1.4** में प्रदर्शित है:

lkj.kh 1-4% o"k 2016-17 e jkT; dk fu"iknu

e[; jktdk"kh; ldrd	pkngo foRr vk;kx }kjk fu/kkfjr y{;	ctV vuqeku e fu/kkfjr y{;	jktdk"kh; mRrjnkf;Ro ,o ctV icU/ku vf/kfu;e }kjk fu/kkfjr y{;	okLrfod vkdM (mn; dk NkMdj)	ys[kk ijh{kk }kjk vkxf.kr okLrfod vkdM
राजस्व घाटा (–)/आधिक्य (+) (₹ करोड़ में)	शून्य	₹ 28,201 करोड़ का आधिक्य	₹ 28,201 करोड़ का आधिक्य	20,283 करोड़ का आधिक्य	19,605 करोड़ का आधिक्य
राजकोषीय घाटा (–)/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (*प्रतिशत* में))	3.25	2.97	2.97	3.23	3.28
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष कुल बकाया ऋण अनुपात (*प्रतिशत* में)	32.90	30.30	30.30	32.03	32.55

(स्रोतः चौदहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट एवं उत्तर प्रदेश सरकार की राजपत्रित अधिसूचना, दिनांक 22 मार्च 2016)

जैसा उपर्युक्त सारणी में दर्शित है कि राज्य द्वारा बजट अनुमान तथा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम द्वारा लक्षित राजस्व आधिक्य तथा स.रा.घ.उ. के सापेक्ष बकाया ऋण के अनुपात के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया गया। अग्रेतर, स.रा.घ.उ. के सापेक्ष राजकोषीय घाटे का अनुपात भी बजट अनुमान 2016-17, चौदहवें वित्त आयोग तथा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम के लक्ष्य से अधिक रहा।

1.1.2.1 jktdk"kh; ?kkV dk l?kVu ,o foRri"k.k

राजकोषीय घाटा, राजस्व एवं गैर–ऋण प्राप्तियों से राजस्व एवं पूँजीगत व्यय के (ऋण तथा अग्रिमों के सहित) आधिक्य को पूरा करने के लिए राज्य की कुल (मुख्यतः रोकड़ के आहरण तथा भारतीय रिजर्व बैंक के साथ अवशेष के निवेश एवं उधार) आवश्यकता को प्रदर्शित करता है। राजकोषीय घाटे की वित्तीय प्रवृत्ति को **lkj.kh 1.5** में दर्शाया गया है:

lkj.kh 1-5: jktdk"kh; ?kkVk ,o foRri"k.k

¼₹ djkM+ e½

	fooj.k	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
	jktdk"kh; ?kkVk (mn; lfgr)* (dk"Bd e fn;s x;s vkdM ldy jkT; ?kjy mRikn l çfr'kr gA)	19,238 (2.34)	23,680 (2.52)	32,513 (3.21)	58,475 (5.22)	55,988 (4.39)
1	राजस्व आधिक्य	5,180	10,067	22,394	14,340	20,283
2	निवल पूंजीगत व्यय	23,834	32,863	53,297	64,423	69,789
3	निवल ऋण एवं अग्रिम	584	884	1,610	8,392	6,482

jktdks"kh; ?kkVs dh foRrh; çofÙk*						
1	बाजार ऋण	6,263	5,054	13,513	25,301	36,904
2	भारत सरकार से ऋण	(-)1,099	(-)1,075	(-) 875	(-) 803	(-)409
3	एन.एस.एस.एफ. को निर्गत विशेष प्रतिभूतियाँ	2,429	2,768	6,325	4,339	(-)4,532
4	वित्तीय संस्थाओं से ऋण	(-) 681	(-)12	7,146	28,005	15,441
5	लघु बचतें, भविष्य निधि इत्यादि	3,342	2,363	1,686	1,534	1,619
6	निक्षेप एवं अग्रिम	1,753	5,037	1,050	(-) 1,543	(-)301
7	उचन्त एव विविध	3,540	(-)9,637	535	(-) 677	592
8	प्रेषण	986	(-)98	1,608	(-) 197	748
9	अन्य[3]	2,705	19,280	1,525	(-) 2,516	5,926
	jktdks"kh; ?kkVk	**19,238**	**23,680**	**32,513**	**58,475**	**55,988**

*ये सभी आंकड़े वर्ष के अन्तर्गत वितरण/व्यय का निवल हैं।

(स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

* इस सारणी में राजकोषीय घाटा उदय को सम्मिलित करते हुये दर्शाया गया है जिससे वित्त लेखे में दिये गये वित्तीय प्रवृत्ति से मिलाया जा सके।

1.1.2.2 ?kkV@vkf/kD; dh xq.koRrk

राजकोषीय घाटे के सापेक्ष राजस्व घाटे का अनुपात तथा प्राथमिक घाटे[4] का प्राथमिक राजस्व घाटे[5] एवं पूँजीगत व्यय (ऋण तथा अग्रिमों के सहित) में विघटन राज्य के वित्त में घाटे की गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है। राजकोषीय घाटे के सापेक्ष राजस्व घाटे का लगातार उच्च अनुपात दर्शाता है कि राज्य की परिसम्पत्तियों का आधार कम हो रहा है एवं कुछ सीमा तक ऋण (राजकोषीय दायित्व) राज्य की परिसम्पत्तियों द्वारा समर्थित नहीं है। प्राथमिक घाटे का विभाजन (**lkj.kh 1.6**) उस सीमा की ओर इंगित करता है जिस सीमा तक पूँजीगत व्यय बढ़ जाने के कारण घाटा हुआ, जो राज्य की उत्पादक क्षमता में सुधार हेतु वांछित है।

lkj.kh 1.6: izkFkfed ?kkVk@vkf/kD;

¼₹ djksM+ esa½

o"kZ	xSj&_.k izkfIr;k¡	izkFkfed jktLo O;;	iwathxr O;;	_.k ,oa vfxze	izkFkfed O;;	izkFkfed jktLo ?kkVk ¼&½@vkf/kD; ¼$½	izkFkfed ?kkVk ¼&½@vkf/kD; ¼$½
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)	7 (2-3)	8 (2-6)
2012-13	1,46,323	1,23,803	23,834	1,003	1,48,640	(+)22,520	(-)2,317
2013-14	1,68,803	1,40,735	32,863	1,473	1,75,071	(+)28,068	(-)6,268
2014-15	1,93,684	1,52,162	53,297	1,873	2,07,332	(+)41,522	(-)13,648
2015-16	2,27,802	1,91,288	64,423	9,118	2,64,829	(+)35,514	(-)37,027
2016-17	2,57,134	2,09,656	69,789	6,741	2,86,186	(+)47,478	(-)29,052

(स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

तथ्य है कि उत्तर प्रदेश सरकार का प्राथमिक घाटा ₹ 2,317 करोड़ (2012-13) से बढ़कर 2016-17 में ₹ 29,052 करोड़ हो गया, जो यह दर्शाता है कि राज्य के प्राथमिक व्यय को पूरा करने के लिए गैर–ऋण प्राप्तियाँ पर्याप्त नहीं थीं।

[3] आकस्मिकता निधि के अन्तर्गत लेन–देन, आरक्षित निधि, रोकड़ अवशेष, निवेश एवं बॉण्ड।

[4] प्राथमिक घाटा ब्याज भुगतान को छोड़कर राजकोषीय घाटा है।

[5] प्राथमिक राजस्व घाटा, राज्य के ब्याज–रहित राजस्व व्यय एवं इसके गैर–ऋण प्राप्तियों का अन्तर है एवं यह दर्शाता है कि गैर–ऋण प्राप्तियॉ किस सीमा तक राजस्व लेखे के अन्तर्गत किये गये प्राथमिक व्यय को पूरा करने हेतु पर्याप्त है।

1.1.3 ctV vueku ,o okLrfod vkdM

बजट अनुमानों के सापेक्ष वास्तविक प्राप्तियों एवं व्यय में कमी या तो अप्रत्याशित एवं अनपेक्षित घटनाओं अथवा बजट तैयार करने में व्यय एवं प्राप्तियों का कम/अधिक आकलन के कारण लक्षित राजकोषीय उद्देश्यों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है।

वर्ष 2016-17 के लिए वास्तविक के सापेक्ष चयनित राजकोषीय मापदण्डों के बजट अनुमानों को pkV **1.1** एवं ***ifjf'k"V 1.4*** में दर्शाया गया है।

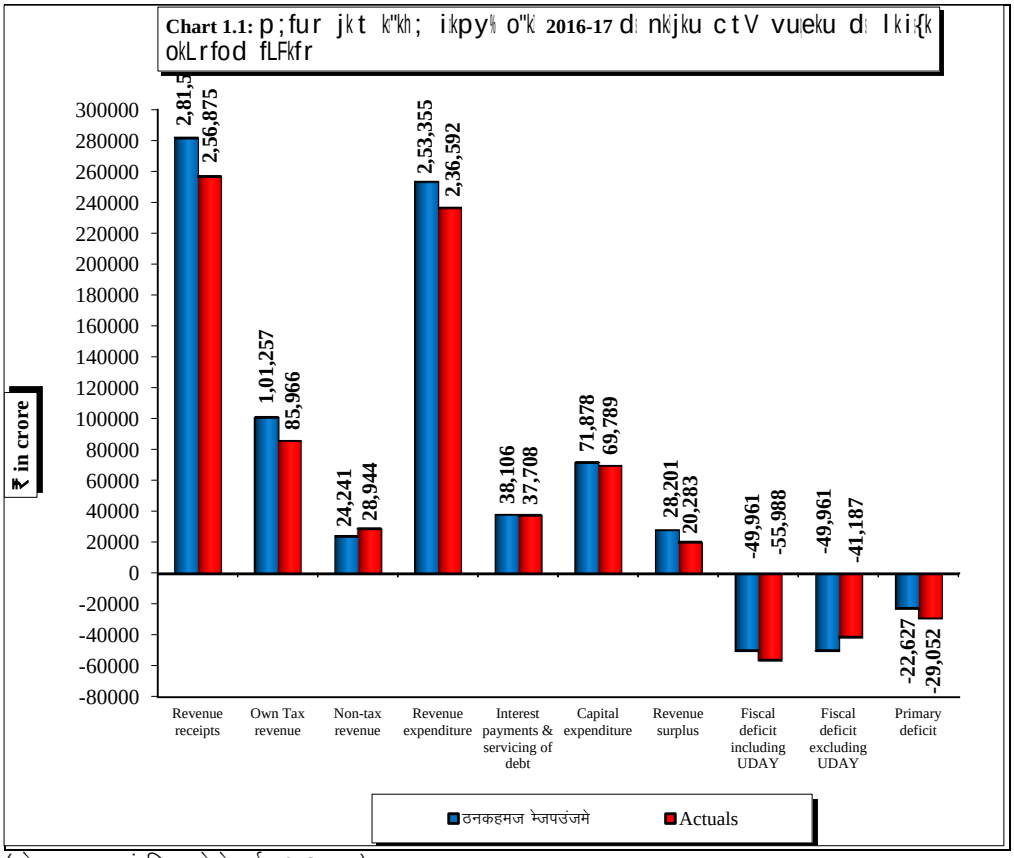

(स्रोतः बजट एवं वित्त लेखे वर्ष 2016-17)

- कर राजस्व में कमी मुख्यतः बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर (₹ 6,057 करोड़) पुनः राज्य आबकारी (₹ 4,977 करोड़) एवं स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क (₹ 4,756 करोड़) में रही।

- करेतर राजस्व (₹ 4,703 करोड़) में वृद्धि मुख्यतः अन्य करेतर राजस्व (₹ 4,150 करोड़) तथा रोकड़ अवशेष के निवेश पर ब्याज प्राप्तियाँ (₹ 415 करोड़) मद में रही।

- राजस्व व्यय में कमी मुख्यतः सामाजिक सेवाएं (₹ 9,929 करोड़), सामान्य सेवाएँ (₹ 4,601 करोड़) तथा आर्थिक सेवाएं (₹ 2,187 करोड़) में रही।

- पूँजीगत व्यय में कमी (₹ 2,089 करोड़) सामाजिक सेवाएं (₹ 1,859 करोड़) तथा सामान्य सेवाएँ (₹ 1,097 करोड़) के कारण रही, जिसे आर्थिक सेवाओं में ₹ 867 करोड़ के अधिक व्यय द्वारा प्रति संतुलित किया गया।

/Lrfr: *वित्त विभाग को बजट तैयार करने की प्रक्रिया को तर्कसंगत बनाना चाहिए जिससे बजट अनुमान तथा वास्तविकताओं में लगातार बढ़ते अन्तर को कम किया जा सके।*

1.2 jkT; d foRrh; lalk/ku

1.2.1 okf"kd foRr y[k d vuqlkj jkT; d lalk/ku

राजस्व प्राप्तियों के अन्तर्गत कर राजस्व, करेतर राजस्व, केन्द्रीय करों तथा शुल्कों में राज्यांश तथा भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान सम्मिलित है। पूँजीगत अनुभाग के अन्तर्गत विविध प्राप्तियां जैसे विनिवेश से प्राप्तियाँ एवं ऋण अग्रिमों की वसूली, आन्तरिक स्रोतों (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्तियाँ/वाणिज्यिक बैंकों से ऋण) तथा भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम के साथ–साथ लोक लेखे के अवशेष सम्मिलित है।

pkV **1.2**] **1.3** तथा **1.4** क्रमशः कुल प्राप्तियों के संघटन, 2012-17 की अवधि में प्राप्तियों के विभिन्न घटकों की प्रवृत्ति तथा वर्ष 2016-17 में संसाधनों के संघटन को दर्शाता है।

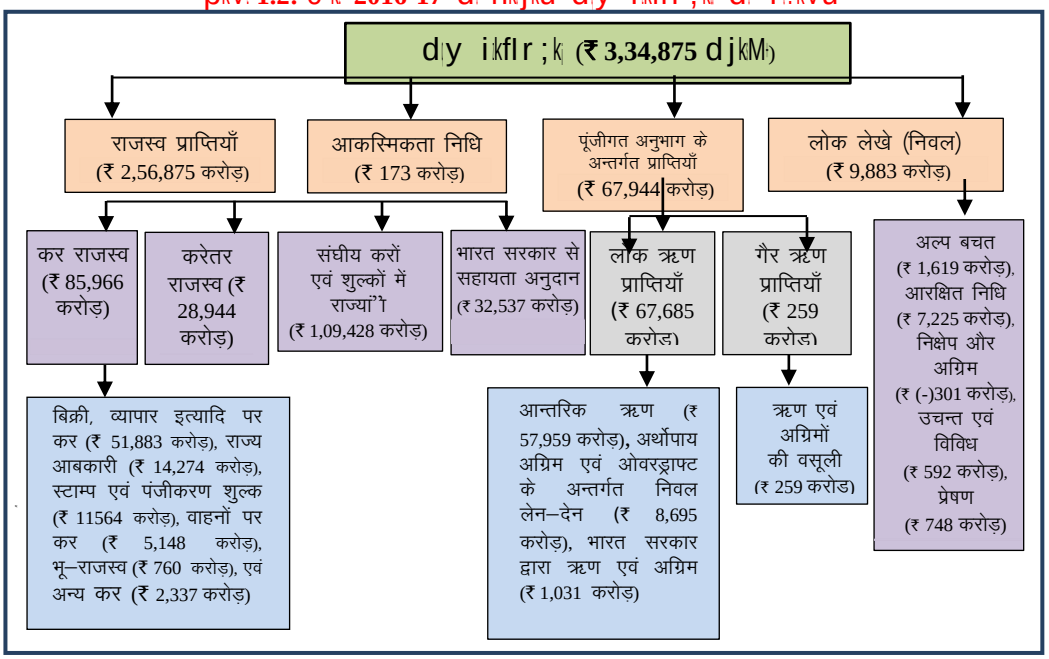

pkV 1.2: o"k 2016-17 d nkSjku dqy izkfIr;ksa d l?kVu

(स्रोतः वित्त लेखे वर्ष 2016-17)

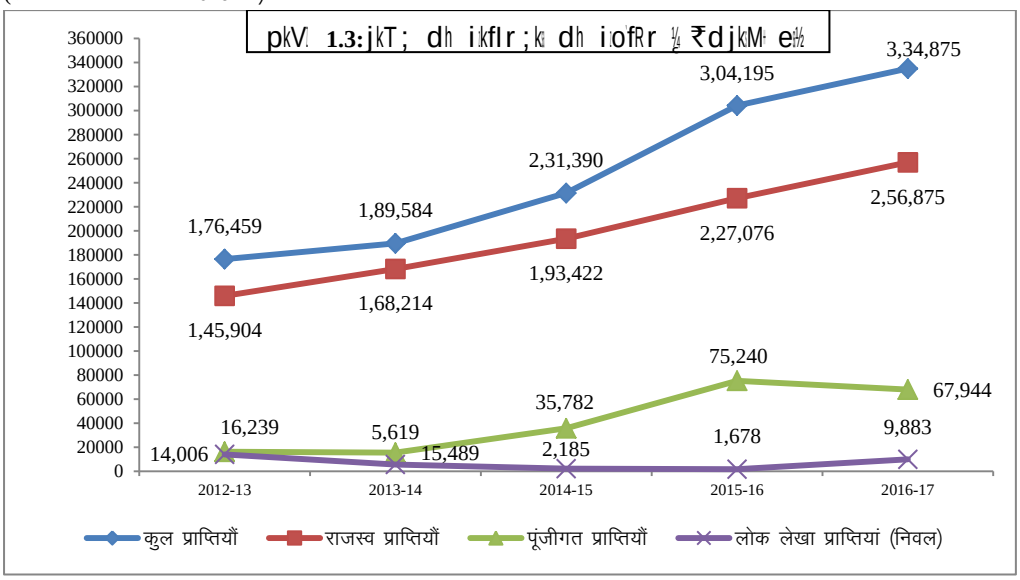

(स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

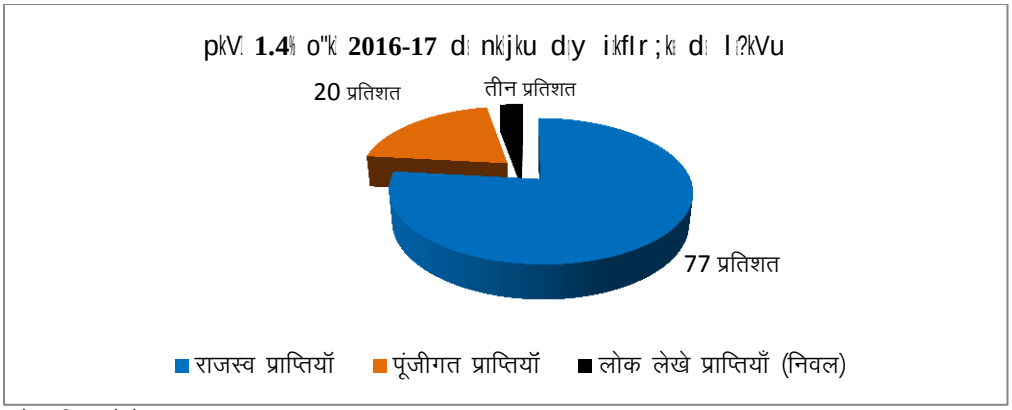

pkV 1.4% o"k 2016-17 d nkjku dy ikfIr;k d I?kVu

(स्रोतः वित्त लेखे 2016-17)

1.2.2 jktLo çkfIr;k

वित्त लेखे के fooj.k 14 में राज्य सरकार के राजस्व प्राप्तियों को विस्तृत रूप से दर्शाया गया है। वर्ष 2012-17 की अवधि में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति एवं संघटन को *ifjf'k"V 1.5* में प्रस्तुत किया गया हैं एवं क्रमशः pkV **1.5** एवं **1.6** में भी प्रदर्शित है।

pkV 1.5% jktLo ikfIr;k dh izofRr

(स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

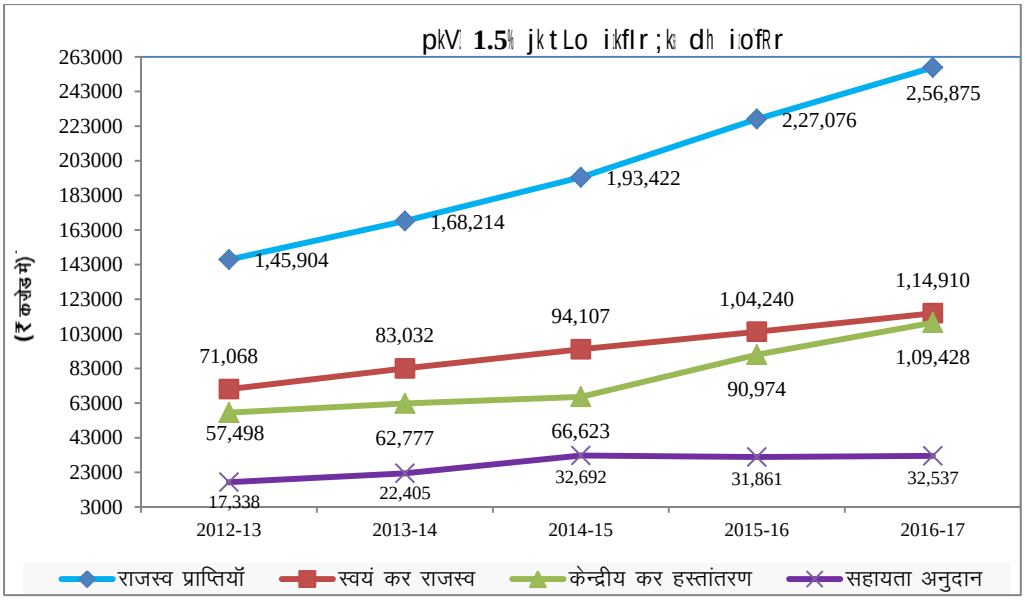

pkV 1.6% o"k 2012-17 d nkjku dy jktLo ikfIr;k d I?kVu ¼₹ djkM e½

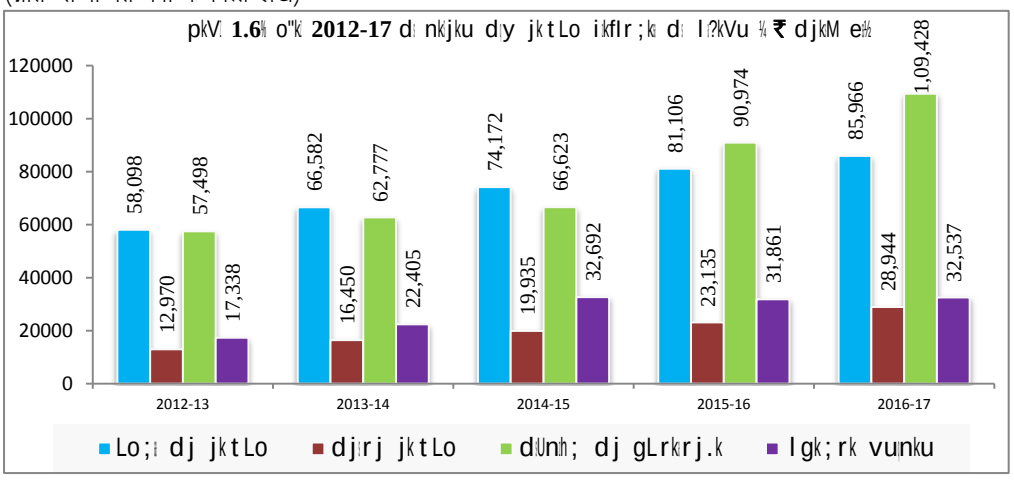

(स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

वर्ष 2016-17 में राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि (₹ 29,799 करोड़: 13 *प्रतिशत*) मुख्यतः भारत सरकार द्वारा राज्य को हस्तान्तरित निवल आय में वृद्धि (20 *प्रतिशत*), वैट एवं बिक्री कर के अन्तर्गत करों के संग्रह में वृद्धि (11 *प्रतिशत*), राज्य मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत अधिक शुल्क की वसूली (43 *प्रतिशत*), सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत वेतन भुगतान की वापसी (32 *प्रतिशत*) तथा भारत सरकार से ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में अंश पूंजी के रूप में प्राप्तियों (109 *प्रतिशत*), के कारण थी, जिसे *पंचायती राज्य* अधिनियम के अन्तर्गत कम प्राप्तियों (61 *प्रतिशत*), स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क के अन्तर्गत कम प्राप्तियों (24 *प्रतिशत*), राज्य कर्मचारी बीमा योजना (60 *प्रतिशत*), मरीजों द्वारा कम अंशदान (37 *प्रतिशत*), लकड़ी तथा अन्य वन उत्पाद की बिक्री एवं वानिकी तथा वन्य जीवन से कम प्राप्तियाँ और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग/अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से परीक्षा शुल्क के रूप में कम प्राप्तियों (42 *प्रतिशत*), के द्वारा प्रति संतुलित किया गया।

1.2.2.1 jkT; dk Lo;a dk Lkalk/ku

संसाधनों के संघटन में केन्द्रीय करों में राज्यांश तथा सहायता अनुदान को सम्मिलित नहीं करते हुए, जो वित्त आयोग की संस्तुतियों पर आधारित होते हैं, राज्य के प्रदर्शन को कर राजस्व तथा करेत्तर राजस्व के आधार पर निर्धारित किया जाता हैं।

अवधि 2012-17 में कर राजस्व तथा करेत्तर राजस्व के संग्रहण के विवरण को ***ifjf'k"V 1.6*** में प्रदर्शित किया गया है। इसमें वर्ष 2012-13 के ₹ 71,068 करोड़ से वर्ष 2016-17 में ₹ 1,14,910 करोड़ अर्थात ₹ 47,842 करोड़ (62 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई।

dj jktLo

वर्ष 2012-17 के दौरान कर राजस्व का विवरण **lkj.kh 1.7** में दिया गया है:

lkj.kh 1.7: dj jktLo dk ?kVd

(₹ djksM+ esa)

dj jktLo	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	o"kZ 2016-17 esa 2015-16 dh lki{k fHkUurk (izfr'kr)
बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	34,870 (60)	39,645 (60)	42,934 (58)	47,692 (59)	51,883 (60)	8.79
राज्य आबकारी	9,782 (17)	11,644 (18)	13,483 (18)	14,084 (17)	14,274 (17)	1.35
वाहनों पर कर	2,993 (5)	3,441 (5)	3,797 (5)	4,410 (5)	5,148 (6)	16.73
स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क	8,742 (15)	9,521 (14)	11,803 (16)	12,404 (15)	11,564 (13)	(-)6.77
भू–राजस्व	805 (1)	772 (1)	527 (1)	505 (1)	760 (1)	50.50
सामान एवं यात्रियों पर कर	1 (0)	1 (0)	1 (0)	1 (0)	0 (0)	(-)100
अन्य कर	905 (2)	1,558 (2)	1,627 (2)	2,010 (3)	2,337 (3)	16.27
;ksx	**58,098**	**66,582**	**74,172**	**81,106**	**85,966**	**5.99**

(स्रोतः सम्बन्धित वर्षो के वित्त लेखे) (कोष्ठक के आंकड़ें करों के संग्रह की कुल कर से प्रतिशतता है)

djrj jktLo

वर्ष 2012-17 के दौरान करेतर राजस्व की प्राप्तियों का विवरण **lkj.kh 1.8** में दिया गया है:

lkj.kh 1.8: djrj jktLo

¼₹ djkM+ e½

jktLo 'kh"k	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	o"k 2016-17 e 2015-16 d lkis{k fHkUurk ¼ifr'kr½
ब्याज प्राप्तियाँ	1,186 (9)	1,619 (10)	2,303 (12)	633 (3)	1,165 (4)	84.04
लाभांश	63 (1)	5 (0)	8 (0)	43 (0)	86 (0)	100
अन्य करेतर प्राप्तियाँ	11,721 (90)	14,826 (90)	17,624 (88)	22,459 (97)	27,693 (96)	23.30
;kx	**12,970**	**16,450**	**19,935**	**23,135**	**28,944**	**25.11**

(स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे) (कोष्ठक के आंकड़ें करों के संग्रह की कुल कर से प्रतिशतता है)

1.2.2.2 lxg dh ykxr

वर्ष 2016-17 में मुख्य राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष संग्रह तथा संग्रह पर लागत का विवरण **lkj.kh 1.9** में दिया गया है:

lkj.kh 1.9: lxg dh ykxr

fooj.k	ldy lxg	lxg ij 0;;	lxg ij fd;s x;s 0;; dh ldy lxg d lkFk ifr'krrk	foxr o"k e vf[ky Hkkjrh; Lrj ij vkSlr
	¼₹ djkM+ e½			
बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	51,883	613	1.18	0.66
स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क	11,564	261	2.26	2.87
राज्य आबकारी	14,273	163	1.15	3.21
वाहनों पर कर	5,148	133	2.58	4.99

(स्रोतः सम्बन्धित विभाग)

यद्यपि, राज्य आबकारी, वाहनों पर कर तथा स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क की संग्रह लागत विगत वर्ष के अखिल भारतीय औसत संग्रह लागत के सापेक्ष कम थी तथापि बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर की संग्रह लागत अखिल भारतीय औसत संग्रह लागत से अधिक थी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर की संग्रह लागत अखिल भारतीय स्तर पर औसत लागत का लगभग दोगुना है एवं अपने पड़ोसी राज्यों[6] से भी अधिक है।

बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर की प्रवृत्ति का विश्लेषण, उ.प्र. के सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात, अखिल भारतीय कर (राज्य बिक्री कर के अन्तर्गत प्राप्तियाँ) के सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात से तुलनात्मक रूप से उच्च अनुपात दर्शाता है जैसा कि **lkj.kh 1.10** में निम्नवत् दिया गया है:

lkj.kh 1.10: l-jk-?k-m- vuqikr d lkis{k fcØh] 0;kikj bR;kfn ij dj

fooj.k	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर (₹ करोड़ में)	34,870	39,645	42,935	47,692	51,883
बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर/उ.प्र. का स.रा.घ.उ. का अनुपात	4.24	4.22	4.24	4.25	4.07
अखिल भारतीय कर (राज्य बिक्री कर के अन्तर्गत प्राप्तियाँ) का स.घ.उ. से अनुपात	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02

[6] बिहार–0.72; झारखण्ड– 0.41; मध्य प्रदेश– 0.57

अग्रेतर, विगत पाँच वर्षों की अवधि (2012 – 2017) में राज्य के बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर में वास्तविक संग्रह की प्रवृत्ति की समीक्षा भी यह दर्शाती है कि वास्तविक संग्रह हमेशा बजट अनुमानों से कम रहा है, जैसा कि **lkj.kh 1.11** में निम्नवत् दर्शाया गया है:

lkj.kh 1.11: ctV vuqeku ,oa okLrfod 0;; dh izofRr;k

¼₹ djksM+ esa½

fcØh] 0;kikj bR;kfn ij dj	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
बजट अनुमान	32,000	43,936	47,500	52,673	57,940
वास्तविक व्यय	34,870	39,645	42,935	47,692	51,883

विगत तीन वर्षों में बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर के संग्रह में कमी अनुमानों तथा कर संग्रह के प्रयासो में असमानता के स्तर को दर्शाता है।

***laLrqfr:** वित्त विभाग तथा बिक्री कर विभाग को इसकी समीक्षा करनी चाहिए कि बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर की संग्रह लागत अखिल भारतीय स्तर से लगभग दोगुनी क्यों है तथा संग्रह लागत को कम करने के उपाय करने चाहिए।*

1.2.2.3 Hkkjr ljdkj ls izkIr lgk;rk vuqnku

राज्य सरकार वित्त आयोग की संस्तुति पर भारत सरकार से सहायता अनुदान एवं संघीय करों एवं शुल्कों में अंश प्राप्त करती है। भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान का विवरण **lkj.kh 1.12** में निम्नवत् दिया गया है:

lkj.kh 1.12: Hkkjr ljdkj ls izkIr lgk;rk vuqnku

¼₹ djksM+ esa½

fooj.k	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
आयोजनेत्तर अनुदान	4,341	7,934	6,809	8,274	9,335
राज्य आयोजनागत योजनाओं हेतु अनुदान	5,519	6,595	6,576	1,933	232
केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं हेतु अनुदान	12	226	17	16	56
केन्द्रीय पुरोनिधानित आयोजनागत योजनाओं हेतु अनुदान	7,466	7,650	19,289	21,638	22,914
dqy vuqnku	**17,338**	**22,405**	**32,691**	**31,861**	**32,537**
विगत वर्ष से वृद्धि/कमी की प्रतिशतता	(-)2.38	29.22	45.91	(-) 2.54	2.12
राजस्व प्राप्तियाँ	1,45,904	1,68,214	1,93,422	2,27,076	2,56,875
कुल अनुदान में राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता	11.88	13.32	16.90	14.03	12.67

(स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

1.2.2.4 jktLo cdk;k

राजस्व बकाया का विस्तृत विवरण **lkj.kh 1.13** में निम्नवत् दिया गया है:

lkj.kh 1.13: jktLo cdk;k

¼₹ djksM+ esa½

Ø- la-	jktLo dk 'kh"kZ	foHkkx dk uke	31 ekpZ 2017 dks dqy cdk;k /kujkf'k	ikap o"kZ ls vf/kd vof/k ls cdk;k /kujkf'k
1.	बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	बिक्री कर विभाग	27,214.14	11,803.03
2.	मनोरंजन कर	संस्थागत वित्त विभाग	336.00	8.02
		;ksx	**27,550.14**	**11,811.05**

(स्रोत: सम्बन्धित विभाग)

laLrqfr: वित्त विभाग को राजस्व बकाया के त्वरित संग्रह हेतु प्रणाली विकसित करनी चाहिये।

1.2.3 iw¡thxr vuqHkkx dh vUrxZr izkfIr;k¡

वर्ष 2012-17 की अवधि में पूंजीगत अनुभाग के अन्तर्गत प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ **lkj.kh 1.14** में दी गई है:

lkj.kh 1.14: iw¡thxr vuqHkkx ds vUrxZr izkfIr;ksa dh izo`fRr;k¡

¼₹ djksM+ esa½

iw¡thxr vuqHkkx ds vUrxZr jkT; dh izkfIr;ksa ds lzksr	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
iw¡thxr vuqHkkx ds vUrxZr izkfIr;k¡	**16,239**	**15,489**	**35,782**	**75,240**	**67,944**
ऋण एवं अग्रिमों की वसूली	419	589	262	726	259
लोक ऋण प्राप्तियाँ	15,820	14,900	35,520	74,514	67,685
पूंजीगत अनुभाग के अन्तर्गत गैर ऋण प्राप्तियों की वृद्धि दर	215	41	(-)56	177	(-)64
पूंजीगत अनुभाग के अन्तर्गत ऋण प्राप्तियों की वृद्धि दर (*प्रतिशत* में)	(-)18	(-)5	131	110	(-)10

(स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

1.2.3.1 vkUrfjd lzksrksa ls _.k izkfIr;k¡

वर्ष 2012-13 से वर्ष 2016–17 तक की अवधि में आन्तरिक स्रोतों से प्राप्त ऋणों का विवरण **lkj.kh 1.15** में दर्शाया गया है:

lkj.kh 1.15: vkUrfjd lzksrksa ls _.k izkfIr;k¡

¼₹ djksM+ esa½

fooj.k	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
बाजार ऋण	9,500	8,000	17,500	30,000	41,050
वित्तीय संस्थानों से प्राप्त ऋण	1,421	1,494	7,176	31,669	16,909

(स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

राज्य द्वारा निवेशों पर प्राप्त ब्याज से अधिक दर पर उधार लेने के प्रभाव का वर्णन **izLrj 1.4.3** में किया गया है।

1.2.3.2 Hkkjr ljdkj ls izkIr _.k ,oa vfxze

वर्ष 2012-17 की अवधि में राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार से प्राप्त ऋणों एवं अग्रिमों का विवरण **lkj.kh 1.16** में दिया गया है:

lkj.kh 1.16: Hkkjr ljdkj ls izkIr _.k ,oa vfxze

¼₹ djksM+ esa½

fooj.k	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम	296	390	486	594	1,031

(स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

1.2.3.3 yksd ys[kk izkfIr;k¡

अल्प बचत, भविष्य निधि और आरक्षित निधि आदि जो समेकित निधि के अंग नहीं हैं, से सम्बन्धित प्राप्तियाँ एवं संवितरण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266(2) के अन्तर्गत स्थापित लोक लेखे में रखे जाते हैं एवं ये विधायिका के मत पर आधारित नहीं होते हैं।

इनके सम्बन्ध में सरकार बैंकर अथवा ट्रस्टी का काम करती है। वित्त लेखे के fooj.k l[;k **21** मे लोक लेखे के प्राप्तियों एवं संवितरण की स्थिति दी गयी है एवं लोक लेखे (निवल) का विवरण lkj.kh **1.17** में दिया गया है:

lkj.kh 1.17: yksd ys[kk ¼fuoy½ dh fLFkfr

¼₹ djksM+ esa½

fofHkUu 'kh"kksZa ds vUrxZr lalk/ku	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
yksd ys[kk ¼fuoy½	**14,006**	**5,619**	**2,185**	**1,678**	**9,883**
क. अल्प बचत, भविष्य निधि आदि	3,341	2,363	1,686	1,534	1,619
ख. आरक्षित निधि	4,386	7,954	(-) 2,694	2,561	7,225
ग. निक्षेप एवं अग्रिम	1,753	5,037	1,050	(-)1,543	(-)301
घ. उचन्त एवं विविध	3,540	(-) 9,637	535	(-)677	592
ड. प्रेषण	986	(-) 98	1,608	(-)197	748

(स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

आरक्षित निधियों के अन्तर्गत लेन–देनों के प्रभाव का वर्णन izLrj **1.5.2** में किया गया है।

1.3 lalk/kuksa dk vuqiz;ksx

1.3.1 O;; dk l?kVu ,oa mueas of) ;k

pkVZ **1.7** एवं **1.8** वर्ष 2012-17 की अवधि में क्रमशः कुल व्यय की प्रवृत्तियों एवं संघटन को प्रस्तुत करता है।

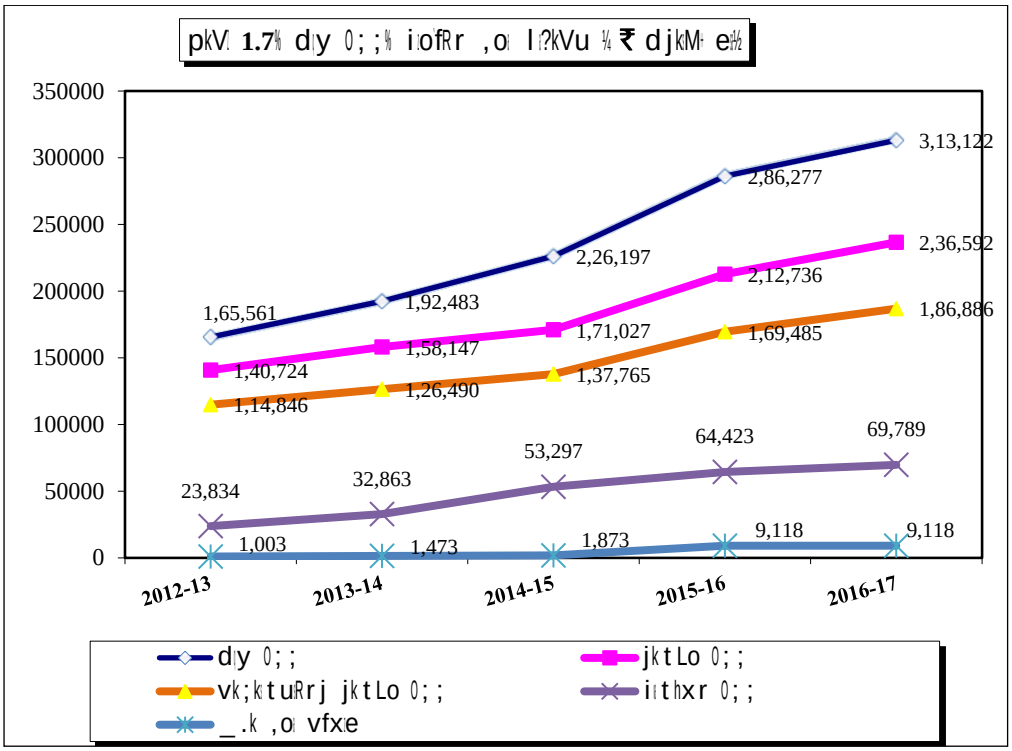

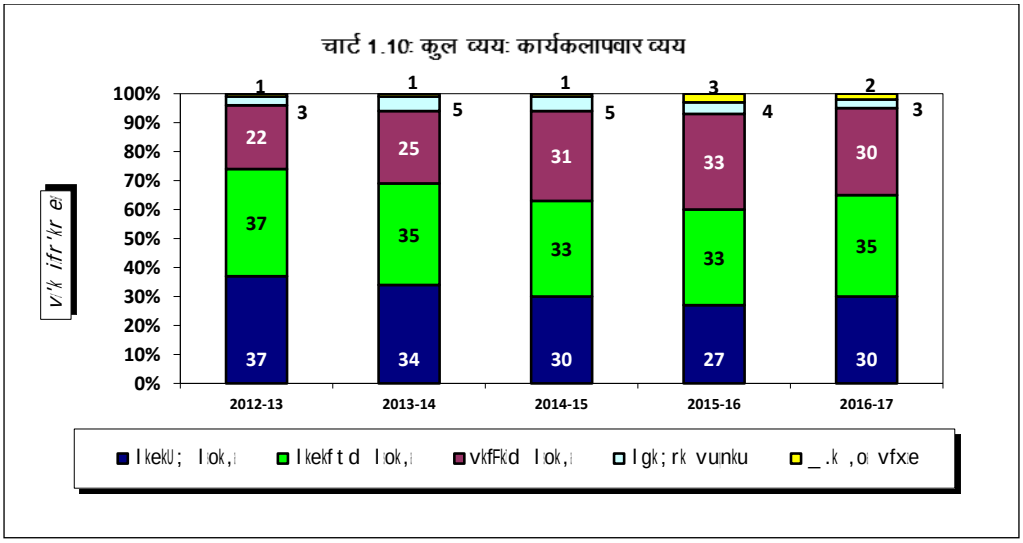

(स्रोतः सम्बन्धित वर्षो के वित्त लेखे)

वर्ष 2015-16 के सापेक्ष 2016-17 में राजस्व व्यय में कुल वृद्धि ₹ 23,856 करोड़ (11 *प्रतिशत*), थी। विगत वर्ष के सापेक्ष वृद्धि मुख्यतः चुनाव[7] (175 *प्रतिशत*), अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम[8] (80 *प्रतिशत*), ऋण में कमी अथवा परिहार हेतु विनियोग[9] (55 *प्रतिशत*), के अन्तर्गत थी। वर्ष 2016-17 में कमी मुख्यतः उद्योग[10] (91 *प्रतिशत*), दैवीय आपदा के सम्बन्ध में राहत (46 *प्रतिशत*) तथा जलापूर्ति एवं सीवरेज[11] (40 *प्रतिशत*) के अन्तर्गत रही।

इसी प्रकार, विगत वर्ष के सापेक्ष पूँजीगत व्यय में निवल वृद्धि ₹ 5,366 करोड़ (आठ *प्रतिशत*) थी। वृद्धि मुख्यतः खाद्य भण्डारण तथा गोदाम[12] (518 *प्रतिशत*), शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति[13] (79 *प्रतिशत*), सड़क एवं पुल[14] (46 *प्रतिशत*) के अन्तर्गत रही। कमी मुख्यतः सहकारिता[15] (99.98 *प्रतिशत*) एवं अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम[16] (53 *प्रतिशत*), के अन्तर्गत रही।

1.3.2 jktLo O;;

vk;kstukxr ,oa vk;kstusRrj jktLo O;;

आयोजनागत तथा आयोजनेत्तर राजस्व व्यय का विवरण lkj.kh **1.18** में दिया गया है:

[7] वर्ष 2016-17 में राज्य विधानसभा का चुनाव कराने पर व्यय (₹ 253 करोड़)।
[8] *पंचायती राज* संस्थाओं (₹ 691 करोड़) तथा ग्राम पंचायतों (₹ 5,289 करोड़) को सहायता।
[9] ऋण में कमी अथवा परिहार हेतु विनियोग (₹ 3,806 करोड़)।
[10] चीनी उद्योग (₹ 2,302 करोड़)।
[11] शहरी क्षेत्र में जलापूर्ति कार्य (₹ 64 करोड़), सीवरेज सेवाएं (₹ 112 करोड़), स्थानीय निकाय तथा नगर पालिकाओं को सहायता (₹ 145 करोड़)।
[12] खाद्यान्न कार्यक्रम (₹ 1,829 करोड़), डबल फोर्टिफाइड साल्ट (₹ 79 करोड़), चीनी खाण्डसारी योजना (₹ 498 करोड़)।
[13] नवीन सैनिक विद्यालयों की स्थापना (₹ 77 करोड़), राष्ट्रीय उच्च शिक्षा प्रचार का क्रियान्वयन (₹ 112 करोड़), इलाहाबाद में राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना (₹ 338 करोड़), सैफई स्पोर्ट्स कालेज इटावा में अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की स्थापना (₹ 220 करोड़)।
[14] आगरा–लखनऊ एक्सप्रेस वे (₹ 261 करोड़), राजकीय राजमार्ग का निर्माण (₹ 272 करोड़) समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे (₹ 3,382 करोड़), प्र.म.ग्रा.स.यो. तथा सामान्य सेतु निर्माण कार्य (₹ 866 करोड़), कुम्भ मेला प्रबन्धन/व्यवस्था हेतु जनपद इलाहाबाद में सड़कों की मरम्मत तथा चौड़ीकरण (₹ 3,167 करोड़)।
[15] बिना लाइसेंस/अनुज्ञा वाले जिला सहकारी बैंक में अंश पूँजी (₹ 1,276 करोड़)।
[16] राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना (₹ 2,508 करोड़)।

lkj.kh 1.18: vk;kstukxr ,oa vk;kstusRrj jktLo O;;

¼₹ djksM+ esa½

fooj.k	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
कुल व्यय	**1,65,561**	**1,92,483**	**2,26,197**	**2,86,277**	**3,13,122**
राजस्व व्यय	1,40,724	1,58,147	1,71,027	2,12,736	2,36,592
आयोजनेत्तर राजस्व व्यय	1,14,846	1,26,490	1,37,765	1,69,485	1,86,886
आयोजनागत राजस्व व्यय	25,878	31,657	33,262	43,251	49,706
आयोजनेत्तर राजस्व व्यय की वृद्धि दर (*प्रतिशत* में)	13	10	9	23	10
आयोजनागत राजस्व व्यय की वृद्धि दर (*प्रतिशत* में)	14	22	5	30	15

(स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

1.3.3 iwathxr O;;

vk;kstukxr ,oa vk;kstusRrj iwathxr O;;

आयोजनागत तथा आयोजनेत्तर पूंजीगत व्यय का विवरण lkj.kh **1.19** में दिया गया है:

lkj.kh 1.19: vk;kstukxr ,oa vk;kstusRrj iwathxr O;;

¼₹ djksM+ esa½

fooj.k	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
कुल व्यय	**1,65,561**	**1,92,483**	**2,26,197**	**2,86,277**	**3,13,122**
पूंजीगत व्यय	23,834	32,863	53,297	64,423	69,789
आयोजनेत्तर पूंजीगत व्यय	1,226	2,255	8,881	15,378	9,216
आयोजनागत पूंजीगत व्यय	22,608	30,608	44,416	49,045	60,573
आयोजनेत्तर पूंजीगत व्यय की वृद्धि दर (*प्रतिशत*)	46.13	83.93	293.84	73.16	(-)40.07
आयोजनागत पूंजीगत व्यय की वृद्धि दर (*प्रतिशत*)	9.03	35.39	45.11	10.42	23.50

(स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

1.3.4 opuc) O;;

राजस्व मद के अन्तर्गत सरकार के वचनबद्ध व्यय में मुख्यतः ब्याज भुगतान (₹ 26,936 करोड़), वेतन एवं भत्तों पर व्यय (₹ 85,416 करोड़), पेंशन (₹ 28,227 करोड़) तथा सब्सिडी (₹ 8,045 करोड़) सम्मिलित है। वचनबद्ध व्यय (₹ 1,48,624 करोड़) राजस्व व्यय का एक मुख्य भाग है तथा आयोजनेत्तर राजस्व व्यय (₹ 1,86,886 करोड़), के 80 *प्रतिशत* का उपभोग करता है।

lkj.kh **1.20** अवधि 2012-17 में वचनबद्ध व्यय की प्रवृत्ति को दर्शाती है:

lkj.kh 1.20: opuc) O;;ksa ds ?kVdksa dh izo`fRr

¼₹ djksM+ esa½

opuc) O;;ksa ds ?kVd	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	
					ctV vuqeku	okLrfod O;;
osru* ,oa etnwjh] ftlesa ls	**52,755 (36)**	**54,892 (33)**	**62,147 (32)**	**74,439 (33)**	**89,799**	**85,416 (33)**
आयोजनेत्तर शीर्ष	46,007	47,654	51,195	58,537		66,424
आयोजनागत शीर्ष**	6,748	7,238	10,952	15,902		18,992

C;kt Hkqxrku	16,921 (12)	17,412 (10)	18,865 (10)	21,448 (9)	27,334	26,936 (11)
isa'ku ij O;;	17,921 (12)	19,521 (12)	22,305 (11)	24,150 (11)	28,503	28,227 (11)
lfCl Mh	5,964 (4)	6,608 (4)	7,661 (4)	7,691 (3)	8,783	8,045 (3)
opuc) O;; dk ;kx	93,561 (64)	98,433 (59)	1,10,978 (57)	1,27,728 (56)	1,54,419	1,48,624 (58)

इस मद में राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशत कोष्ठक में अंकित किये गये है।
*सहायता अनुदान से भुगतानित वेतन भी सम्मिलित है।
**आयोजनागत शीर्ष के अन्तर्गत वह वेतन एवं मजदूरी भी सम्मिलित है जिसका भुगतान केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाओं से किया गया था।
(स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे एवं महालेखाकार (ले. एवं हक.) द्वारा संकलित आंकड़े)

1.3.4.1 isa'ku Hkqxrku

1 अप्रैल 2005 को अथवा उसके पश्चात् नियुक्त राज्य कर्मचारी नवीन पेंशन योजना के अन्तर्गत आच्छादित हैं, जो निर्धारित अंशदायी पेंशन योजना है। योजना के प्रावधानों के अनुसार, कर्मचारी अपने मूल वेतन एवं मंहगाई भत्ते का (10 *प्रतिशत*) योगदान देता है, जिसे राज्य सरकार द्वारा समतुल्य अंशदान देते हुए समस्त धनराशि नेशनल सिक्योरिटीज डिपाजिटरी लिमिटेड (एन.एस.डी.एल.)/ट्रस्टी बैंक के माध्यम से नामित निधि प्रबन्धक को हस्तान्तरित किया जाता है।

नवीन पेंशन योजना के अन्तर्गत अवधि 2005 से 2008 में पेंशन अंशदान का विवरण राज्य लेखे में उपलब्ध नहीं था, जिसके कारण लेखापरीक्षा में यह आगणित करना सम्भव नहीं था कि योजना के प्रारम्भ से कर्मचारियों के वेतन से कटौती की जाने वाली पेंशन अंशदान की धनराशि की वास्तव में कटौती की गयी थी, राज्य सरकार द्वारा सम्पूर्ण समतुल्य अंशदान दिया गया था तथा एन.एस.डी.एल. को हस्तान्तरित किया गया था। कर्मचारियों से उचित अंशदान तथा राज्य सरकार से समतुल्य अंशदान सुनिश्चित करने में विफल रहने तथा अग्रेत्तर एन.एस.डी.एल. के साथ इस धनराशि के निवेश में विफल रहने से कर्मचारी नवीन पेंशन योजना के लाभों से वंचित होते हैं।

अवधि 2008-09 से 2016-17 में कर्मचारी अंशदान ₹ 2,830 करोड़ के सापेक्ष राज्य सरकार द्वारा वास्तव में मात्र ₹ 2,247 करोड़ का समतुल्य अंशदान किया गया, परिणामतः अंशदान ₹ 583 करोड़ कम रहा। इस कम अंशदान के परिणामस्वरूप सम्बन्धित वर्षों में राजस्व आधिक्य में अतिशयता तथा राजकोषीय घाटे में न्यूनता रही।

उपरोक्त के अतिरिक्त, सम्पूर्ण अंशदान ₹ 5,660 करोड़ (2008-09 से 2016-17 की अवधि में कर्मचारी अंशदान तथा राज्य सरकार का समतुल्य अंशदान) के सापेक्ष मात्र ₹ 5,001.71 करोड़ एन.एस.डी.एल. को हस्तांतरित किया गया तथा लोक लेखे के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 8342-117 - सरकारी कर्मचारियों के लिये निर्धारित अंशदायी पेंशन योजना में ₹ 545.68 करोड़ अवशेष था।

उपरोक्त उल्लिखित कम अंशदान तथा कम हस्तान्तरण के परिणामस्वरूप नवीन पेंशन योजना के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारियों को उनके अवशेष को एन.एस.डी.एल. द्वारा निवेश किये जाने के अधिकार से वंचित किया गया।

अग्रेतर, राज्य लेखे से यह संज्ञान में आया कि कर्मचारी अंशदान (1 अप्रैल 2005 अथवा उसके पश्चात् नियुक्त कर्मचारियों के वेतन से कटौती) जो 2008-09 के ₹ 5.03 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2015-16 में ₹ 636.51 करोड़ हो गया था, वर्ष 2016-17 में उल्लेखनीय रूप से घटकर ₹ 199.24 करोड़ हो गया, जो एक अत्यधिक गम्भीर प्रकरण है। यह कमी नवीन पेंशन योजना के अन्तर्गत कर्मचारी अंशदान हेतु लोक लेखे

में नियत मुख्य शीर्ष 8342 के अतिरिक्त किसी अन्य शीर्ष में कर्मचारी अंशदान के अनियमित हस्तान्तरण के कारण हो सकती है तथा इसे शीघ्रता से ठीक किया जाना आवश्यक है।

योजना के अन्तर्गत देय ब्याज सहित, अहस्तान्तरित धनराशि, बकाया दायित्व को दर्शाती है।

/Lrfr: राज्य सरकार को 1 अप्रैल 2005 अथवा उसके बाद नियुक्त कर्मचारियों को उनकी नियुक्ति की तिथि से नवीन पेंशन योजना में आच्छादित करना सुनिश्चित करने के लिए तुरन्त कार्यवाही प्रारम्भ करनी चाहिए। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कर्मचारी अंशदान की पूर्ण कटौती के सापेक्ष राज्य सरकार द्वारा समतुल्य अंशदान करते हुए समयबद्ध प्रक्रिया में समस्त धनराशि एन.एस.डी.एल. को हस्तान्तरित कर दी जाये।

1.3.4.2 lfClMh

वर्ष 2016-17 में सरकार द्वारा भुगतान की गयी सब्सिडी का विभागवार/शीर्षवार विवरण वित्त लेखे के ***ifjf'k"V&II*** में दिया गया है। वर्ष के दौरान ₹ 8,045 करोड़ का भुगतान किया गया था जो राजस्व प्राप्तियों का तीन *प्रतिशत* था। कुल भुगतानित सब्सिडी में, ₹ 6,035 करोड़ (75 *प्रतिशत*) आयोजनेत्तर मद के अन्तर्गत, ₹ 1,186 करोड़ (15 *प्रतिशत*) आयोजनागत मद के अन्तर्गत तथा ₹ 824 करोड़ (10 *प्रतिशत*) राज्य बजट के माध्यम से केन्द्रीय पुरोनिधानित योजनाओं हेतु वितरित किये गये थे। मुख्य गतिविधियाँ, जिन्हें सब्सिडी दी गयी, के अन्तर्गत ऊर्जा गतिविधियां: ₹ 5,673 करोड़ (71 *प्रतिशत*); कृषि तथा अन्य सम्बद्ध गतिविधियां: ₹ 1,940 करोड़ (24 *प्रतिशत*) एवं समाज कल्याण: ₹ 234 करोड़ (तीन *प्रतिशत*) सम्मिलित थीं।

वर्ष 2016-17 की अवधि में अप्रत्यक्ष सब्सिडी में से कुछ का विवरण सारणी **1.21** में दिया गया है:

lkj.kh 1.21: o"kZ 2016-17 dh dqN vizR;{k lfClMh dk fooj.k

¼₹ djksM+ esa½

Ø0 l0	;kstuk;@lfClMh	foHkkx dk uke	/kujkf'k
1	सामान्य श्रेणी के लड़कों को मुफ्त पुस्तकों का वितरण	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	36.33
2	सामान्य श्रेणी के कक्षा 6 से 8 तक के लड़कों को मुफ्त पुस्तकों का वितरण	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	32.02
3	प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को मुफ्त यूनीफार्म	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	19.34
4	कन्या विद्याधन योजना	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	236.08
5	12वीं पास लड़के/लड़कियों को मुफ्त लैपटाप	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	75.65
		;ksx	**399.42**

(स्रोत: विनियोग लेखे वर्ष 2016-17)

1.3.5 0;; dh xq.koRrk

व्यय की गुणवत्ता के अन्तर्गत मुख्यत: तीन पक्ष निहित होते हैं, नामत: व्यय की पर्याप्तता (उदाहरणार्थ: सार्वजनिक सेवायें उपलब्ध कराने हेतु पर्याप्त प्रावधान); व्यय के उपयोग की दक्षता एवं प्रभावकारिता (सेवाओं के परिव्यय–परिणाम सम्बन्धों का आकलन)।

1.3.5.1 ykd 0;; dh i;kZIrrk

वर्ष 2016-17 की अवधि में राज्य सरकार की राजकोषीय प्राथमिकताओं के संदर्भ में

विकास व्यय, सामाजिक सेवाओं पर व्यय तथा पूंजीगत व्यय का विश्लेषण **lkj.kh 1.22** में प्रस्तुत किया गया है:

lkj.kh 1.22: o"kZ 2012-13 vkSj 2016-17 esa jkT; dh jktdks"kh; izkFkfedrk

¼izfr'kr esa½

jktdks"kh; izkFkfedrk ¼ldy jkT; ?kjsyw mRikn ls izfr'krrk½	,-b-@ th-,l-Mh-ih-	Mh-b-#@ ,-b-	,l-,l-b-@ ,-b-	b-,l-b-@ ,-b-	Lkh-b-@ ,-b-	,tqds'ku@ ,-b-	gsYFk@ ,-b-
सामान्य श्रेणी राज्यों* का औसत (अनुपात) 2012-13	14.80	70.00	38.20	29.80	13.70	17.70	4.60
उत्तर प्रदेश का औसत (अनुपात) 2012-13	20.13	59.13	36.93	22.20	14.39	18.17	5.22
सामान्य श्रेणी राज्यों* का औसत (अनुपात) 2016-17	16.70	70.90	32.20	35.10	19.70	15.20	4.80
उत्तर प्रदेश का औसत (अनुपात) 2016-17	24.56	66.52	35.24	31.28	22.29	17.32	5.04

ए.ई.: कुल व्यय, डी.ई.; विकास व्यय, एस.एस.ई.: सामाजिक क्षेत्र व्यय, ई.एस.ई.: आर्थिक क्षेत्र व्यय, सी.ई.: पूंजीगत व्यय।

* आन्ध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु,, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल,

#विकास व्यय में राजस्व विकास व्यय, पूंजीगत विकास व्यय, और ऋण एवं अग्रिम संवितरण सम्मिलित है।.

जैसा सारणी से स्पष्ट है कि विकास एवं आर्थिक सेवाओं पर व्यय का कुल व्यय से अनुपात सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत से कम था।

1.3.6 O;; esa n{krk

सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के रखरखाव पर पूंजीगत एवं राजस्व व्यय का विवरण **lkj.kh 1.23** में निम्नवत् दिया गया है:

lkj.kh 1.23: p;fur lkekftd ,oa vkfFkZd lsokvksa ij fd;s x;s O;; dh n{krk

lkekftd@vkfFkZd vo lajpuk	2015-16			2016-17		
	iwathxr O;; dk dqy O;; esa vuqikr	jktLo O;; (₹ djksM+ esa)		iwathxr O;; dk dqy O;; esa vuqikr	jktLo O;; (₹ djksM+ esa)	
		osru ,oa etnwjh	ifjpkyu ,oa vuqj{k.k		osru ,oa etnwjh	ifjpkyu ,oa vuqj{k.k
;ksx ¼lkekftd lsok;½	11.82	47,866	347	15.54	55,711	269
;ksx ¼vkfFkZd lsok;½	42.72	8,921	3,688	47.90	9,918	2,685
;ksx ¼lkekftd lsok;s $ vkfFkZd lsok;½	28.16	56,787	4,035	30.76	65,629	2,953
lkekftd lsokvksa dk eq[; ?kVd						
सामान्य शिक्षा	2.47	39,986	24	3.72	46,892	28
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	16.77	6,238	109	18.51	7,002	144
जलापूर्ति, स्वच्छता एवं आवासीय तथा नगरीय विकास	45.66	139	187	64.44	153	68
vkfFkZd lsokvksa dk eq[; ?kVd						
कृषि एवं सम्बद्ध क्रियाकलाप	28.04	2,310	46	37.94	2,754	29
सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण	48.74	2,514	1,223	48.76	2,570	517
शक्ति एवं ऊर्जा	38.35	31	01	39.15	27	00
परिवहन	81.35	99	2,389	82.29	107	2136

(स्रोत: वित्त लेखे एवं महालेखाकार (ले. एवं हक.) द्वारा संकलित वी.एल.सी. आंकड़े वर्ष 2015-16 एवं 2016-17)

1.4 'kkldh; 0;; ,o: fuo:'k

1.4.1 fl:pkbZ fuek.k dk;k: d: foRrh; ifj.kke

तेरहवें एवं चौदहवें वित्त आयोग द्वारा सिंचाई परियोजनाओं की लागत वसूली दर (राजस्व व्यय के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियाँ) का निर्धारण इन परियोजनाओं की वाणिज्यिक उपादेयता के आकलन हेतु किया गया था। वर्ष 2012-17 की अवधि में राज्य में सिंचाई परियोजनाओं की स्थिति का विवरण **lkj.kh 1.24** में प्रदर्शित है:

lkj.kh 1.24: fl:pkbZ ifj;kstukvk: dh ykxr olwyh nj

o"kZ	jktLo 0;;	jktLo izkfIr;k	r:jgo: ¼2010-15½@ pkSngo: ¼2015-20½ foRr vk;kx }kjk ykxr olwyh dk eY;kadu	jktLo 0;; dh rqyuk e: jktLo izkfIr;k: dh izfr'krrk	ykxr olwyh e: vUrj
	₹ djkM+ e:		izfr'kr e:		
2012-13	4,323	258	45	6	39
2013-14	4,472	550	60	12	48
2014-15	5,009	397	75	8	67
2015-16	4,891	651	35	13	22
2016-17	5,230	782	35	15	20

(स्रोतः सम्बन्धित वर्षो के वित्त लेखे तथा तेरहवें वित्त आयोग एवं चौदहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट)

लागत वसूली में अन्तर, जिसमें पिछले दो वर्षों की अवधि में सुधार हुआ है, वर्ष 2016-17 में पड़ोसी राज्य, बिहार (31) से बेहतर है। परन्तु इसमें अन्य पड़ोसी राज्यों (झारखण्डः 8.47, मध्य प्रदेश (-)49 एवं छत्तीसगढ़ (-)87) की तुलना में और सुधार किया जाना है।

***laLrqfr:** राज्य सरकार को सिंचाई परियोजनाओं पर लागत वसूली में सुधार हेतु उपाय प्रारम्भ करना चाहिये।*

1.4.2 viw.kZ ifj;kstuk,¡

अपूर्ण कार्यों पर धनराशियों का अवरोधन व्यय की गुणवत्ता को दुष्प्रभावित करता है। अपूर्ण कार्यो का विवरण, जैसा कि वित्त लेखे में दिया गया है, का सार **lkj.kh 1.25** में निम्नवत् दिया गया है:

lkj.kh 1.25: 31 ekpZ 2017 dk foHkkxokj viw.kZ ifj;kstukvk: dh fLFkfr

¼₹ djkM+ e:½

foHkkx	viw.kZ ifj;kstukvk: dh la[;k*	izkjfEHkd ctV; ykxr	ifj;kstukvk: dh iqujhf{kr ykxr
लोक निर्माण (सड़कें एवं सेतु)	571	8,017	676 (15 निर्माण कार्य)
सिंचाई	40	3,773	16,334 (समस्त 40 निर्माण कार्य)
;kx	**611**	**11,790**	

(स्रोतः वित्त लेखे वर्ष 2016-17) *विस्तृत विवरण वित्त लेखे के परिशिष्ट IX में दिया गया है

***laLrqfr:** लोक निर्माण विभाग तथा सिंचाई विभाग को परियोजनाओं की लागत में वृद्धि को कम करने एवं परियोजनाओं को नियत अवधि में पूर्ण करने हेतु प्रक्रिया तंत्र को विकसित करना चाहिए।*

1.4.3 fuo'k ,o ifrQy

वर्ष 2012-17 की अवधि में निवेशों पर प्रतिफल[17] की स्थिति lkj.kh **1.26** में दी गयी है:

lkj.kh 1.26: fuo'kk ij ifrQy

fuo'k@ifrQy@fy;s x;s m/kkj dh ykxr	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
वर्ष के अन्त तक निवेश (₹ करोड़ में)	46,228	52,467	58,606	84,357	96,400
प्रतिफल (₹ करोड़ में)	62.70	5.23	8.08	42.66	86.34
प्रतिफल (*प्रतिशत*)	0.14	0.01	0.01	0.05	0.09
सरकार द्वारा लिये गये उधार पर औसत ब्याज दर[18] (*प्रतिशत*)	6.73	6.43	6.40	6.35	6.82
सरकार द्वारा लिये गये उधार पर ब्याज दर एवं निवेशों पर प्राप्त ब्याज में अन्तर (*प्रतिशत*)	6.59	6.42	6.39	6.30	6.73
सरकार द्वारा लिये गये उधार पर ब्याज दर एवं निवेशों पर प्राप्त प्रतिफल में अंतर के कारण अनुमानित हानि (₹ करोड़ में)	3,048	3,368	3,745	5,315	6,488

(स्रोतः सम्बन्धित वर्षो के वित्त लेखे)

विगत पाँच वर्षों की अवधि में सरकार की ऋण लागत तथा क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में निवेशों के प्रतिफल में अन्तर के आधार पर ₹ 21,964 करोड़ की अनुमानित हानि हुई। क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (पी.एस.यू.) में निवेश पर प्रतिफल का आगणन नहीं किया जा सका।

यह विशेष रूप से संज्ञान में लेने योग्य है कि निवेश पर कम प्रतिफल के बावजूद वित्त विभाग द्वारा उन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को भी इक्विटी, ऋण, सहायता अनुदान/सब्सिडी के रूप में बजट के माध्यम से लगातार सहायता उपलब्ध कराई जाती रही, जिन्होंने कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप अपने लेखों को पूर्ण नही किया था, जिनका विस्तृत वर्णन iLrj **3.6** में किया गया है।

1.4.4 jkT; ljdkj }kjk _.k ,o vfxe

सहकारी समितियों, निगमों तथा कम्पनियों में निवेश के साथ–साथ सरकार इनमें से कई संस्थाओं/संगठनों को ऋण तथा अग्रिम भी उपलब्ध करा रही थी। विवरण lkj.kh **1.27** में दिया है:

lkj.kh 1.27: jkT; ljdkj }kjk cdk;k _.k ,o vfxe rFkk C;kt izkfIr ,o Hkqxrku

(₹ djksM+ esa)

fooj.k	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
_.kksa ,o vfxeksa dh izkjfHkd vo'ks"k	10,988	11,572	12,456	14,067	22,459
वर्ष के दौरान अग्रिम धनराशि	1,003	1,473	1,873	9,118	6,741
वर्ष के दौरान पुनर्भुगतानित धनराशि	419	589	262	726	259
_.kksa ,o vfxeksa dh vfUre vo'ks"k	11,572	12,456	14,067	22,459	28,447*
ऋणों एवं अग्रिमों में निवल वृद्धि	584	884	1,611	8,392	5,988
ब्याज प्राप्तियाँ	26	19	14	26	566
बकाया ऋणों एवं अग्रिमों के सापेक्ष ब्याज प्राप्तियों की प्रतिशतता[19]	0.22	0.15	0.10	0.12	1.99

[17] सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, सहकारी समितियाँ एवं बैंक।

[18] ब्याज भुगतान/[(विगत वर्ष की राजकोषीय देयताएं + वर्तमान वर्ष की राजकोषीय देयताएं)/2] x 100।

सरकार द्वारा लिये गये उधार पर औसत ब्याज दर[20] (*प्रतिशत*)	6.73	6.43	6.40	6.35	6.82
सरकार द्वारा लिये गये उधार पर ब्याज दर और ऋणों पर ब्याज प्राप्तियों की दर के मध्य अन्तर (*प्रतिशत* में)	6.51	6.28	6.30	6.23	4.83
सरकार द्वारा लिये गये उधार पर ब्याज दर और ऋणों पर ब्याज प्राप्तियों के मध्य अन्तर के कारण हानि (₹ करोड़ में)	65	93	118	568	326

(स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)
(* ₹ 494 करोड़ जो संयुक्त उत्तर प्रदेश की अवधि का था, उत्तराखण्ड को आवंटित किया गया)

विगत पाँच वर्षों की अवधि में सरकार द्वारा दिये गये ऋणों से प्राप्त ब्याज तथा लिये गये उधार पर भुगतानित ब्याज की धनराशि में अन्तर के आधार पर सरकार को ₹ 1,170 करोड़ की अनुमानित हानि हुई।

सरकार द्वारा दिये गये ऋण तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण वित्त लेखे के fooj.k **18** के Hkkx ,d में दिया गया है तथा उन इकाइयों का विवरण, जिनके सापेक्ष ऋण के पुनर्भुगतान अवशेष थे, वित्त लेखे के fooj.k **18** के Hkkx nks में दिया गया है।

laLrqfr: राज्य सरकार को अपने निवेश तथा विभिन्न इकाइयों को दिये गये ऋण को इस प्रकार तर्कसंगत बनाना चाहिए जिससे निवेश तथा ऋण पर प्रतिफल कम से कम सरकार की ऋण लागत से मेल खाये।

1.4.5 lkoZtfud futh lk>snkjh ifj;kstuk,a

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को 73 सार्वजनिक निजी साझेदारी परियोजनाओं का विवरण (वित्त लेखे का *ifjf'k"V&tS*), जिसमें डेवलपर का चयन किया जा चुका है, उपलब्ध कराया गया, जिनमें ₹ 65,825.72 करोड़ की धनराशि निहित है। राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक निजी साझेदारी प्रबन्धन के अन्तर्गत अपने वित्तीय उत्तरदायित्वों को सूचित नहीं किया गया ।

1.4.6 jksdM+ vo'ks"k ,oa jksdM+ vo'ks"kksa dk fuos'k

वर्ष 2016-17 के दौरान, सरकार के रिजर्व बैंक जमा (आर.बी.डी.) में नौ *प्रतिशत* की कमी हुई तथा उसके निवेश में 81 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई। परिणामत:, सरकार के सामान्य रोकड़ अवशेष में 32 प्रतिशत की वृद्धि हुई। रोकड़ अवशेष तथा रोकड़ अवशेषों के निवेश का विवरण **lkj.kh 1.28** में निम्नवत् दिया गया है:

lkj.kh 1.28: jksdM+ vo'ks"k ,oa jksdM+ vo'ks"kksa dk fuos'k

¼₹ djksM+ esa½

fooj.k	1 vizSy 2016 dks izkjfEHkd vo'ks"k	31 ekpZ 2017 dks vfUre vo'ks"k[21]
¼v½ lkekU; jksdM+ vo'ks"k		
कोषागारों में रोकड़	00.00	00.00
रिजर्व बैंक के पास जमा	(-) 1,409.33	(-) 1,280.65
मार्गस्थ प्रेषण	00.00	00.00
;ksx	**(-) 1,409.33**	**(-) 1,280.65**

---

[19] ब्याज प्राप्ति [(ऋण एवं अग्रिम का, प्रारम्भिक अवशेष + अन्तिम अवशेष)/2] x 100
[20] ब्याज भुगतान/[(विगत वर्ष की राजकोषीय देयताएं + वर्तमान वर्ष की राजकोषीय देयताएं)/2] x 100
[21] 08.11.2000 के अवशेषों का उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड के बीच विभाजन, जमा एवं अग्रिम शीर्ष के अन्तर्गत ₹ 8,757.37 करोड़ को छोड़कर, किया गया।

रोकड़ अवशेष निवेश लेखा में रखे गये निवेश	1,196.44	2,168.23
;kx ¼v½	**(-) 212.89**	**887.58**
¼c½ vU; jksdM+ vo'ks"k ,oa fuos'k		
विभागीय अधिकारियों के पास नकद अर्थात लोक निर्माण के विभागीय अधिकारी, वन विभाग के अधिकारी, जिलाधिकारी	10.17	10.69
विभागीय अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय के लिए स्थायी अग्रिम	0.44	0.44
उद्दिष्ट निधियों के निवेश	45.20	45.20
;kx ¼c½	**55.81**	**56.33**
egk;kx ¼v½$ ¼c½	**(-) 157.08**	**943.91**

(स्रोतः वित्त लेखे वर्ष 2015-16 एवं 2016-17) टिप्पणीः रोकड़ अवशेष ऋणात्मक आंकड़ों में दर्शाये गये है।

1.5 ifjlEifRr;ka ,oa ns;rk;sa

1.5.1 ifjlEifRr;ksa ,oa ns;rkvksa esa of) ,oa l?kVu

यद्यपि सरकारी लेखाकरण पद्धति में स्थायी परिसम्पत्तियों, जैसे सरकार के स्वामित्व में भूमि तथा भवन, का व्यापक लेखांकन नहीं किया जाता है, तथापि राज्य सरकार के लेखे वित्तीय देयताओं तथा व्यय द्वारा सृजित की गयी परिसम्पत्तियों को समाहित करते हैं। 31 मार्च 2016 के सापेक्ष 31 मार्च 2017 को ऐसी सम्पत्तियों तथा दायित्वों का समतुल्य सार *ifjf'k"V* **1.7** में दिया गया है। जहाँ दायित्व के अन्तर्गत मुख्यतः आन्तरिक ऋण, भारत सरकार से ऋण तथा अग्रिम और लोक लेखे एवं आरक्षित निधि से प्राप्तियाँ आते है, सम्पत्तियों के अन्तर्गत मुख्यतः पूंजीगत परिव्यय तथा राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिम और रोकड़ अवशेष सम्मिलित है।

1.5.2 vkjf{kr fuf/k;ksa dk vUrxZr ysunsu

राज्य सरकार के लोक लेखे के अन्तर्गत 21 ऐसी आरक्षित निधियाँ हैं जो विशेष प्रयोजनों हेतु सृजित की गयी हैं। विवरण *ifjf'k"V* **1.8** में दिया गया है एवं **lkj.kh 1.29** में सारांशीकृत किया गया हैः

lkj.kh 1.29: o"kZ 2016-17 esa vkjf{kr fuf/k;ksa dh fLFkfr

(₹ djksM+ esa)

Ø-la-	ys[kk 'kh"kZ	1 vizSy 2016 dks izkjfEHkd vo'ks"k	2016-17 ds nkSjku izkfIr;k¡	2016-17 ds nkSjku lforj.k	31 ekpZ 2017 dks vfUre vo'ks"k
¼v½ C;kt lfgr vkjf{kr fuf/k;k¡					
1	8115-मूल्यह्रास/नवीकरण आरक्षित निधि	00 Mh. 44.42	00	00	00 Mh. 44.42
2	8121-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि	Mh. 0.06 0.06	00	00	Mh. 0.06 0.06
	;kx ¼v½	00 Mh. 44.42	00	00	00 Mh. 44.42
¼c½ C;kt jfgr vkjf{kr fuf/k;k¡					
1	8222- निक्षेप निधि	43,032.65	10,772.35	4,145.61	49,659.39
2	8223- अकाल राहत निधि	00 Mh. 0.78	00	00	00 Mh. 0.78
3	8225- सड़कें एवं सेतु निधि	(-)321.46	4,400.00	4,400.00	(-)321.46

4	8226- मूल्यह्रास / नवीकरण आरक्षित निधि	(-)7.99	00	00	(-)7.99
5	8229- विकास एवं कल्याण निधि	676.07	2,500.00	2,287.76	888.31
6	8235- सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि	411.06	2333.45	1947.41	797.10
	;kx	**43,790.33** M. **45.20**	**20,005.80**	**12,780.78**	**51,015.35** M. **45.20**

(स्रोतः वित्त लेखे वर्ष 2016-17)

वर्ष 2014-17 की अवधि में 21 आरक्षित निधियों में से (अन्तिम अवशेष ₹ 51,015.35 करोड़ के साथ) 18 संचालित थीं तथा तीन आरक्षित निधियां[22] असंचालित थीं। यद्यपि यह देखा गया कि पिछले पांच वर्षों के दौरान 18 संचालित निधियों के इस अत्यधिक अवशेष का कोई निवेश नहीं किया गया। यह भी देखा गया कि शेष तीन असंचालित आरक्षित निधियों में ₹ 45.20 करोड़ की धनराशि मुख्य शीर्ष 8115– मूल्यह्रास आरक्षित निधि (₹ 44.42 करोड़) तथा मुख्य शीर्ष 8223–अकाल राहत निधि (₹ 0.78 करोड़) का निवेश दशकों पूर्व किया गया था, लेकिन खाते में कोई ब्याज क्रेडिट नहीं हुआ।

आरक्षित निधियों के अन्तर्गत हस्तान्तरण तथा उससे वितरण समेकित निधि के उपयुक्त राजस्व एवं व्यय शीर्ष के अन्तर्गत डेबिट एवं क्रेडिट प्रविष्टियों के माध्यम से प्रभावित होती हैं। ये केवल वास्तविक नकद हस्तान्तरण का प्रतिनिधित्व करते हैं, यदि ये रिजर्व बैंक जमा (आर.बी.डी) को सीधे या निवेश के माघ्यम से प्रभावित करते हों। चूँकि इसमें वास्तविक नकद बहिर्प्रवाह नहीं था, उ.प्र. सरकार द्वारा आरक्षित निधियों के सापेक्ष प्रदर्शित लेन देन केवल पुस्तक प्रविष्टियाँ ही थीं जो आरक्षित निधियों के सृजन एवं संचालन के मूलभूत विचारधारा का उल्लंघन करती हैं। इसका प्रभाव केवल सम्बन्धित वर्षों के लिये अनुचित रूप से राजस्व आधिक्य एवं राजकोषीय घाटे की अनुकूल स्थिति दर्शाता है।

तथापि, इन निधियों में कई वर्षों से पड़े हुए बकाया अवशेष राज्य की बड़ी देनदारी को दर्शाते हैं। विशिष्ट आरक्षित निधियों के सापेक्ष ऋणात्मक तथा डेबिट अवशेषों को समेकित निधि से विनियोग द्वारा विनियमितीकरण कराये जाने की आवश्यकता है।

***lLrfr%** वित्त विभाग को आरक्षित निधियों के अन्तर्गत लेनदेन एवं अवशेषों का रख– रखाव पुस्तक प्रविष्टियों के माध्यम से किये जाने की समीक्षा करनी चाहिये तथा नकद लेखांकन के सिद्धांतों का पालन रिजर्व बैंक के साथ अवशेषों के वास्तविक निवेश के माध्यम से करना चाहिए।*

1.5.2.1 fu{ki fuf/k

lefdr fu{ki fuf/k dk l`tu

बारहवें वित्त आयोग ने बकाया देनदारियों[23] के परिशोधन के लिए राज्य सरकारों द्वारा समेकित निक्षेप निधि (स. नि. नि.) के सृजन की सिफारिश की थी। भारतीय रिजर्व बैंक जो निधि को प्रशासित करने के लिए उत्तरदायी है, के दिशानिर्देशों के अनुसार, विगत वित्तीय वर्ष के अन्त में बकाया देनदारियों के 0.5 *प्रतिशत* का न्यूनतम वार्षिक योगदान निर्धारित है। तदनुसार, राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2016-17 में ₹ 1,836.26 करोड़ (₹ 3,67,251.80 करोड़, अर्थात 31 मार्च 2016 को बकाया देनदारियों, का 0.5 *प्रतिशत*) का योगदान किये जाने की आवश्यकता थी।

[22] 8115-105 मूल्यह्रास आरक्षित निधि–निवेश लेखा, 8121-111 आकस्मिकता आरक्षित निधि–विद्युत, 8223-102 अकाल राहत निधि–निवेश लेखा।

[23] राज्य सरकार के आन्तरिक ऋण एवं लोक लेखे दायित्व के रूप में परिभाषित।

तथापि, राज्य सरकार ने इन दिशानिर्देशों[24] के संदर्भ में स. नि. नि. (मौजूदा निधि को सम्मिलित करते हुये) की स्थापना के लिए कोई कार्यवाही नहीं की।

orZeku fu{ksi fuf/k dk lapkyu

वर्ष 2016-17 में राज्य सरकार ने ऋण में कमी या परिहार (मुख्य शीर्ष 2048 के अन्तर्गत) के लिए ₹ 10,772.35 करोड़ का प्रावधान किया और पुस्तकीय हस्तान्तरण के द्वारा लोक लेखे के अन्तर्गत निक्षेप निधि (मुख्य शीर्ष 8222) को विनियोग किया। इस निधि में से, बाजार ऋण के पुनर्भुगतान के समतुल्य ₹ 4,145.61 करोड़ की राशि को समेकित निधि के अन्तर्गत राजस्व प्राप्तियों (मुख्य शीर्ष 0075–विविध सामान्य सेवाओं) के अन्तर्गत हस्तान्तरित किया गया। ₹ 6,626.74 करोड़ के उपरोक्त निवल प्रभाव के परिणामस्वरूप राज्य की बकाया देनदारियों में उतनी ही राशि के समान वृद्धि हुई अर्थात् बकाया देनदारियां ₹ 4,08,422 करोड़ के स्थान पर ₹ 4,15,049 करोड़ (उदय को छोड़कर) थी जैसा कि **lkj.kh 1.32** में दर्शाया गया है।

अन्य राज्य सरकारों द्वारा, जिन्होंने बारहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुये स. नि. नि. का सृजन किया है, के विपरीत उत्तर प्रदेश सरकार के निक्षेप निधि के लेनदेन केवल पुस्तक प्रविष्टियां हैं और रोकड़ के वास्तविक लेनदेन को प्रदर्शित नहीं करते हैं। यह निक्षेप निधियों के गठन की अन्तर्निहित भावना के प्रतिकूल है।

lLrqfr% *राज्य सरकार द्वारा बारहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुये आरबीआई द्वारा निवेश किए जाने वाले समेकित निक्षेप निधि का गठन किया जाना चाहिये। इसके अतिरिक्त, निधि से स्थानान्तरित धनराशि को राजस्व प्राप्ति नहीं माना जाना चाहिए। किसी भी स्थिति में, राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निधि की शेष राशि वास्तव में निवेश की जाये और वह मात्र पुस्तक प्रविष्टि न हो।*

1.5.2.2 jkT; lM+d ,oa lsrq vk; ,oa O;;

वर्ष 2016-17 के दौरान, राज्य सरकार ने सड़क और सेतुओं पर क्रमशः राजस्व और पूंजीगत व्यय से सम्बन्धित ₹ 2,500 करोड़ एवं ₹ 1,900 करोड़ का प्रावधान मुख्य शीर्ष 3054 एवं मुख्य शीर्ष 5054 के अन्तर्गत किया और इन राशियों को आरक्षित निधि मुख्य शीर्ष 8225–सड़क एवं सेतु निधि में स्थानान्तरित कर दिया। वर्ष के दौरान समान राशि (अर्थात क्रमशः ₹ 2,500 करोड़ और ₹1,900 करोड़) सड़क और सेतुओं पर व्यय के रूप में दिखाए गए और क्रमशः मुख्य शीर्ष 3054 और 5054 के अन्तर्गत कटौती प्रविष्टियों के रूप में दर्शाए गए थे। यदि वर्ष के दौरान स्थानान्तरण का शुद्ध प्रभाव शून्य है तो आरक्षित निधि के सृजन का उद्देश्य निरर्थक है। इस संबंध में, लेखापरीक्षा द्वारा पाया गया कि:

- राज्य सरकार कई वर्षों से मुख्य शीर्ष 3054/5054 और मुख्य शीर्ष 8225–सड़क एवं सेतु निधि के बीच ऐसे एकरूप स्थानान्तरण और विपरीत स्थानान्तरण कर रही है।

- अग्रेतर, 31 मार्च 2017 को निधि में (–) ₹ 321.46 करोड़ का ऋणात्मक आदिशेष था, जो उपलब्ध अवशेष से अधिक भुगतान का संकेत देता है। यह ऋणात्मक आंकड़ा वर्ष 2014-15 के लेखे से प्रदर्शित हो रहा है। ऋणात्मक शेष राशि को समेकित निधि से विनियोग द्वारा नियमित किया जाना है।

---

[24] जैसा कि इन राज्यों ने दिशानिर्देशों के अनुसार समेकित निक्षेप निधि की स्थापना की है–आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, उड़ीसा तथा जम्मू–कश्मीर।

lLrqfr % वित्त विभाग द्वारा मुख्य शीर्ष 8225–सड़क और सेतु निधि के अन्तर्गत सड़क और सेतुओं पर आरक्षित निधि को बनाए रखने की आवश्यकता की जांच की जानी चाहिए और अविलम्ब ऋणात्मक शेष (–)₹ 321.46 करोड़ को नियमित भी करना चाहिए।

1.5.2.3 jkT; vkink vuqfØ;k fuf/k (jk-vk-v-fu-)

jk-vk-v-fu- dk C;kt okys vkjf{kr fuf/k esa ys[kkadu u fd;k tkuk

भारत सरकार (भा.स.) द्वारा 1 अप्रैल 2010 से भूतपूर्व आपदा राहत निधि को राज्य आपदा अनुक्रिया निधि (रा.आ.अ.नि.) से प्रतिस्थापित किया गया। रा.आ.अ.नि. के दिशानिर्देश में निम्नलिखित निर्धारित हैः

- निधि को मुख्य शीर्ष 8121–सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियों के अधीन ''ब्याज सहित आरक्षित निधि'' की श्रेणी के अन्तर्गत संचालित किया जाना चाहिए।
- आर.बी.आई. के दिशानिर्देशों के अनुसार अर्थोपाय अग्रिम पर लागू ब्याज के औसत पर राज्य सरकार द्वारा रा.आ.अ.नि. को ब्याज का भुगतान किया जायेगा।

यह पाया गया कि उ.प्र. सरकार द्वारा रा.आ.अ.नि. को मुख्य शीर्ष 8235–सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियों के अधीन ''ब्याज रहित आरक्षित निधि'' की श्रेणी के अन्तर्गत ही संचालित किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार निधि के अवशेषों का निवेश भी नहीं किया गया है। परिणामस्वरूप, निधि के अवशेष मात्र पुस्तकीय प्रविष्टियां है एवं वास्तविक नकद शेषों को प्रदर्शित नहीं करती। अग्रेतर, राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2016-17 के लिये ब्याज ₹ 19.08 करोड़ (अर्थोपाय अग्रिम के औसत ब्याज दर 7.5 *प्रतिशत* के आधार पर) का भुगतान नहीं किया गया। परिणामस्वरूप, राज्य सरकार के राजस्व व्यय में ₹ 19.08 करोड़ की न्यूनता रही। रा.आ.अ.नि. के संचालन से अदेय ब्याज राज्य की अलेखांकित देनदारियों को प्रदर्शित करती है।

राज्य सरकार ने बताया (जून, 2017) कि वर्ष के अन्त में निधि में एक नगण्य राशि अवशेष रहती है जिससे निधि को ''ब्याज सहित आरक्षित निधि'' के रूप में श्रेणीबद्ध नहीं किया गया है एवं ब्याज भुगतान के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। उत्तर प्रासंगिक नहीं है। निधि को ''ब्याज रहित आरक्षित निधि'' में श्रेणीबद्ध किये जाने एवं निधि में अवशेष राशि का निवेश न करने या उस पर ब्याज का भुगतान न करने से, अवशेष निधि अनिवार्य रूप से मात्र पुस्तकीय प्रविष्टियां है जो निधि के दिशानिर्देशों की मूल भावना एवं शासकीय लेखे, जो रोकड़ आधारित लेखांकन के सिद्धान्त का पालन करता है, के प्रतिकूल है।

lLrqfr% राज्य सरकार द्वारा रा.आ.अ.नि. की शेष राशि को मुख्य शीर्ष 8121–सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधि ''ब्याज सहित आरक्षित निधि'' की श्रेणी में स्थानान्तरित किया जाना चाहिए एवं अर्थोपाय अग्रिम पर आर.बी.आई. द्वारा लागू ब्याज की दर के औसत के आधार पर अर्जित ब्याज निधि में जमा किया जाना चाहिए। राज्य सरकार को दिशानिर्देश में निर्धारित शैली में निधि के अवशेषों का निवेश करने की भी आवश्यकता है।

1.5.3 vkdfLed nkf;Ro,sa&izR;kHkwfr;ksa dh fLFkfr

izR;kHkwfr foekspu fuf/k

बारहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के उपरान्त भी राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूति विमोचन निधि का गठन नहीं किया गया अथवा राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली प्रत्याभूति की सीमा का निर्धारण करने के लिए कोई नियम नहीं बनाया गया। राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम वार्षिक अंशदान ₹ 298.27 करोड़ (वर्ष 2016-17 के प्रारम्भ में

बकाया प्रत्याभूति ₹ 59,653.72 करोड़ के 0.5 *प्रतिशत* की दर से) किया जाना चाहिए था, जो नहीं किया गया।

वित्त लेखे के fooj.k uks के अनुसार, सरकार द्वारा प्रदत्त प्रत्याभूतियों की अधिकतम राशि एवं विगत तीन वर्षों से बकाया का विवरण lkj.kh **1.30** में दिया गया है:

lkj.kh 1.30: सरकार द्वारा प्रदत्त प्रत्याभूतियाँ

(₹ djksM+ esa)

fooj.k	2014-15	2015-16	2016-17
प्रत्याभूतियों की अधिकतम राशि	78,023	78,826	66,702[25]
कुल राजस्व प्राप्तियाँ	1,93,422	2,27,076	2,56,875
वर्ष के अन्त में बकाया प्रत्याभूतियों की राशि (ब्याज सहित)	70,740	57,618	55,825
कुल राजस्व प्राप्तियों से प्रत्याभूतियों की अधिकतम राशि की प्रतिशतता	40.34	34.71	25.97

(स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

प्रत्याभूतियों की अधिकतम धनराशि के संघटक थेः उर्जा क्षेत्र की तीन संस्थाएं[26] (₹ 59,434 करोड़), एक सहकारी बैंक[27] (₹ 4,000 करोड़), अन्य क्षेत्रों की 11 संस्थाएं[28] (₹ 2,058 करोड़) एवं उ.प्र. राज्य वित्तीय निगम (₹ 1,210 करोड़)।

iR;kHkwfr 'kqYd

बारहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार प्रत्याभूति के खतरों की गंभीरता के पूर्वानुमान के आधार पर प्रत्याभूति विमोचन निधि की स्थापना की जानी चाहिये। उत्तर प्रदेश सरकार ने 16 संस्थानों को प्रतिभूतियाँ दीं, जिनमें से केवल दो संस्थानों को प्रत्याभूति शुल्क का भुगतान करना था एवं शेष 14 संस्थानों[29] को इससे छूट प्राप्त थी। यह पाया गया कि दोनों संस्थानों ने देय ₹ 0.92 करोड़ (राज्य विद्युत वितरण निगम लिमिटेड - ₹ 82 लाख एवं राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड - ₹ 9.51 लाख) की प्रत्याभूति शुल्क का भुगतान नहीं किया। ऐसा पाया गया कि सरकार द्वारा दोनों संस्थानों को वर्ष 2016-17 में इक्विटी एवं सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गयी, जबकि दोनों कम्पनियों के लेखे वर्ष 2015-16 से बकाया थे।

राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को प्रत्याभूत अधिकतम धनराशि ₹ 15,690 करोड़ के सापेक्ष बकाया प्रत्याभूत धनराशि (₹ 19,252 करोड़) ₹ 3,562 करोड़ अधिक थी। यह उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन है जिसके अनुसार अधिकतम प्रत्याभूत धनराशि से अधिक की प्रत्याभूति नहीं दी जा सकती।

---

[25] वर्ष के दौरान ₹ 36,282 करोड़ की प्रत्याभूति उन्मोचन के कारण कमी हुई, जो सम्बन्धित थे– उ.प्र. ऊर्जा निगम लिमिटेड (₹ 33,726 करोड़), उ.प्र विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 270 करोड़), उ.प्र. राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (₹ 71 करोड़), उ.प्र. सहकारिता ग्राम विकास बैंक लिमिटेड (₹ 627 करोड़), उ.प्र. सहकारिता चीनी मिल फेडरेशन लिमिटेड लखनऊ (₹ 1,584 करोड़) एवं सहकारिता कताई मिल फेडरेशन (₹चार करोड़)।

[26] उ.प्र. ऊर्जा निगम लिमिटेड, उ.प्र विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, उ.प्र. राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड।

[27] उ.प्र. सहकारिता ग्राम विकास बैंक लिमिटेड।

[28] उ.प्र. सहकारिता चीनी मिल फेडरेशन लिमिटेड लखनऊ, उ.प्र. प्रादेशिक औद्योगिक एवं निवेश निगम लिमिटेड, उ.प्र. पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, उ.प्र. राज्य हार्टिको आई टी आर कम्पनी लिमिटेड बरेली, उ.प्र. राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड कानपुर,, सहकारी कताई मिल निगम, उ.प्र. राज्य वस्त्र निगम कानपुर, उ.प्र. (मध्य) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड, उ.प्र. (पश्चिम) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड मुजफ्फरनगर , उ.प्र. खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड ।

[29] उ.प्र. ऊर्जा निगम लिमिटेड, उ.प्र. सहकारिता ग्राम विकास बैंक लिमिटेड, उ.प्र. सहकारिता चीनी मिल फेडरेशन लिमिटेड लखनऊ, उ.प्र. प्रादेशिक औद्योगिक एवं निवेश निगम लिमिटेड, उ.प्र. पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, उ.प्र. राज्य हार्टिको आई टी आर कम्पनी लिमिटेड बरेली, उ.प्र. राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड कानपुर,, सहकारी कताई मिल निगम, उ.प्र. राज्य वस्त्र निगम कानपुर, उ.प्र. (मध्य) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड, उ.प्र. (पश्चिम) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड मुजफ्फरनगर, उ.प्र. खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, उ.प्र. राज्य वित्तीय निगम लिमिटेड।

laLrqfr: बारहवें वित्त आयोग के दिशानिर्देशों के अनुरूप राज्य सरकार को प्रत्याभूति विमोचन निधि का गठन एवं संचालन करना चाहिये एवं यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि किसी भी संस्था को निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक की प्रत्याभूति नहीं दी जाये। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्याभूति शुल्क तत्परता से प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाना चाहिये। शासन द्वारा उन संस्थानों को वित्तीय सहायता रोक दी जानी चाहिये जिनके द्वारा प्रत्याभूति शुल्क का भुगतान नहीं किया जा रहा है एवं/अथवा जिनके लेखे बकाया हैं।

1.6 _.k icU/ku

1.6.1 fy;s x;s m/kkj dh fuoy miyC/krk

lkj.kh **1.31** में वर्ष 2012-17 के दौरान उधार लिये गये निधियों की निवल उपलब्धता का विवरण दिया गया है:

lkj.kh **1.31**% fy;s x;s m/kkj dh fuoy miyC/krk

¼₹ djksM+ esa½

fooj.k	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
लोक ऋणों एवं अन्य दायित्वों के अन्तर्गत प्राप्तियाँ	44,039	55,057	71,455	1,13,502	1,13,172
लोक ऋणों एवं अन्य दायित्वों के अन्तर्गत भुगतान (मूलधन एवं ब्याज)	44,502	50,316	64,103	75,557	84,034
उपलब्ध निवल निधियाँ	(-)463	4,741	7,352	37,945	29,138
उपलब्ध निवल निधियों से लोक ऋणों की प्राप्तियों की *प्रतिशतता*	(-)1.05	8.61	10.29	33.43	25.75

(स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

1.6.2 _.k loguh;rk

ऋण संवहनीयता राज्य द्वारा भविष्य में इसके ऋणों के उन्मोचन की क्षमता का सूचक है। वर्ष 2012-13 से पाँच वर्षों की अवधि के लिये ऋण संवहनीयता सूचकांक lkj.kh **1.32** में दर्शाया गया है:

lkj.kh **1.32**% _.k loguh;rk&lwpd vkSj çofÙk;k¡

¼₹ djksM+ esa½

_.k loguh;rk dk lwpd	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
उधार ली गयी निधियों की निवल उपलब्धता	(-)463	4,741	7,352	38,011	29,138
ब्याज भुगतान का भार (ब्याज भुगतान/ राजस्व प्राप्तियों का अनुपात)	12	10	10	9	10
राजस्व प्राप्तियाँ	1,45,904	1,68,214	1,93,422	2,27,076	2,56,875
उदय को छोड़कर बकाया ऋण	2,59,621	2,81,709	3,07,859	3,42,920	4,08,422
उदय को छोड़कर बकाया ऋण की वृद्धि दर (*प्रतिशत*)	7	9	9	11	19
उदय को छोड़कर बकाया ऋण (राजकोषीय देयतायें)/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (*प्रतिशत*)	32	30	30	31	32
ब्याज भुगतान	16,921	17,412	18,865	21,448	26,936
बकाया ऋण की औसत ब्याज दर (*प्रतिशत*)	7	6	6	6	6

(स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

1.6.3 ckt kj d t dh ifjiDork ikQkby

lkj.kh **1.33** में राज्य के ऋणों की परिपक्वता प्रोफाइल[30] का विवरण दिया गया है:

lkj.kh 1.33% jkT; d _.kk dh ifjiDork ikQkby

(₹ djkM+ e)

ifjiDork ikQkby	vkUrfjd _.k	dUnz ljdkj }kjk fn;k x;k _.k ,o vfxze	;kx	ifr'kr (;kx d lki{k)
0 – 1 वर्ष	10,501	1,430	11,931	3.97
1 – 3 वर्ष	65,423	4,477	69,900	23.27
3 – 5 वर्ष	45,946	3,041	48,987	16.31
5 – 7 वर्ष	44,698	1,962	46,660	15.53
7 वर्ष और अधिक	1,20,393	2,543	1,22,936	40.92
;kx	**2,86,961**	**13,453**	**3,00,414**	**100**

1.6.4 mTtoy fMLdke ,';kjsl ;kstuk (mn;)

उदय भारत के विद्युत वितरण कम्पनियों हेतु वित्तीय बदलाव एवं पुनरूद्धार पैकेज है। इसका लक्ष्य उचित दर पर पर्याप्त ऊर्जा की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु डिस्कॉम्स को वित्तीय एवं परिचालन के स्तर पर व्यवहार्य बनाना है। योजना के अन्तर्गत, राज्य द्वारा 30 सितम्बर 2015 तक के डिस्कॉम्स ऋण का 75 *प्रतिशत* (50 *प्रतिशत* वित्तीय वर्ष 2015-16 में एवं 25 *प्रतिशत* वर्ष 2016-17 में) वहन किया जाना है, ऋण वहन करने हेतु गैर एस.एल.आर. बाण्ड जारी किया जाना है एवं प्राप्त लाभ को अनुदान, ऋण एवं इक्विटी के रूप में डिस्कॉम्स को स्थानान्तरित किया जाना है। वित्त मंत्रालय के अनुसार, सितम्बर 2015 के अन्त में उ.प्र. डिस्कॉम्स का बकाया ऋण ₹ 59,205 करोड़ था।

राज्य सरकार के साथ भारत सरकार तथा डिस्कॉम्स[31] के बीच हुये सहमति ज्ञापन के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा कुल ₹ 44,403 करोड़ के ऋण (वर्ष 2015-16 में ₹ 29,602 करोड़ एवं वर्ष 2016-17 में ₹ 14,801 करोड़) का वहन किया जाना था।

कुल डिस्कॉम्स ऋण ₹ 44,403 करोड़ वहन करने हेतु बॉण्ड जारी किये जाने की आवश्यकता के सापेक्ष राज्य सरकार ने कुल ऋण को वहन करते हुये कुल धनराशि, अर्थात् वर्ष 2015-16 में ₹ 29,602 करोड़ एवं वर्ष 2016-17 में ₹ 14,801 करोड़, का बॉण्ड जारी किया।

1.7 vuqorhZ dk;Zokgh

वर्ष 2008-09 से राज्य के वित्त पर आधारित प्रतिवेदन पृथक से तैयार किया जा रहा है एवं राज्य विधायिका को प्रस्तुत किया जा रहा है। लोक लेखा समिति द्वारा इस प्रतिवेदन पर अभी चर्चा की जानी है।

[30] भारत सरकार द्वारा बट्टे खाते में डाला गया ₹ 10.19 करोड़ के ऋण की धनराशि परिपक्वता प्रोफाइल में सम्मिलित नहीं की गयी है।

[31] उ.प्र. ऊर्जा निगम लिमिटेड द्वारा एवं इसकी सहायक कंपनियों हेतु यथा– दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, कानपुर विद्युत सप्लाई कम्पनी लिमिटेड, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड एवं पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड।

v/;k; 2

foRrh; icU/ku ,oa ctVh; fu;a=.k

भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोग लेखे की लेखापरीक्षा के सम्पादन में यह सुनिश्चित किया जाता है कि विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत व्यय की गई धनराशियाँ विनियोग अधिनियम के अन्तर्गत उस वर्ष के लिये बजट में प्राधिकृत थीं एवं संविधान के प्रावधानों के अन्तर्गत भारित होने वाला व्यय उस पर भारित था तथा विधि सम्मत नियमों, विनियमों एवं निर्देशों का पालन करते हुए धनराशियाँ व्यय की गयी हैं।

2.1 fofu;kx ys[kk dk lkjka'k fooj.k

उत्तर प्रदेश शासन के बजट मैनुअल में निर्धारित है कि नियन्त्रण अधिकारियों द्वारा सभी अन्तिम बचतों को 25 मार्च तक वित्त विभाग को अभ्यर्पित कर देना चाहिये।

वर्ष 2016-17 के दौरान 93 अनुदानों/विनियोगों के सापेक्ष किये गये वास्तविक व्यय की संक्षिप्त स्थिति **lkj.kh 2.1** में दी गयी है:

lkj.kh 2.1% izko/kkuksa ds lkis{k fd;s x;s okLrfod 0;; dh laf{kIr fLFkfr

¼₹ djksM+ esa½

0;; dh izd`fr		dqy vuqnku@ fofu;kx	okLrfod 0;;	Ckpr ¼&½@ vkf/kD; ¼+½	vH;fiZr /kujkf'k	31 ekpZ 2017 dks vH;fiZr /kujkf'k	31 ekpZ 2017 rd vH;fiZr cpr dh izfr'krrk
1		2	3	4	5	6	dk-5@dk-4
दत्तमत	I राजस्व	2,30,390.06	2,01,665.78	(-)28,724.28	15,618.45	15,618.45	54
	II पूंजीगत	95,670.33	82,444.94	(-)13,225.39	6,982.61	6,982.61	53
	III ऋण तथा अग्रिम	7,644.69	6,741.09	(-) 903.60	460.14	460.14	51
	;kx nÙker	**3,33,705.08**	**2,90,851.81**	**(-)42,853.27**	**23,061.20**	**23,061.20**	**54**
Hkkfjr	IV राजस्व	38,582.41	38,072.27	(-) 510.14	27.23	27.23	05
	V पूंजीगत	28.65	5.85	(-) 22.80	10.59	10.59	46
	VI लोक ऋण-पुनर्भुगतान	15,512.49	20,302.67	(+) 4,790.18	00	00	--
	;kx Hkkfjr	**54,123.55**	**58,380.79**	**(+)4,257.24**	**37.82**	**37.82**	**--**
	egk;kx	**3,87,828.63**	**3,49,232.60**	**(-)38,596.03**	**23,099.02**	**23,099.02**	**60**

नोटः वास्तविक व्यय के आंकड़ों में दत्तमत राजस्व व्यय (₹ 3,145.78 करोड़) एवं दत्तमत पूंजीगत व्यय (₹ 12,661.68 करोड़) के अन्तर्गत वसूलियों को व्यय में से घटाकर समायोजित करते हुए सम्मिलित किया गया है।

(स्रोतः विनियोग लेखे, वित्त लेखे एवं बजट दस्तावेज वर्ष 2016-17)

₹ 45,513.63 करोड़ की कुल बचत एवं ₹ 6,917.60 करोड़ के आधिक्य के परिणामस्वरूप ₹ 38,596.03 करोड़ की निवल बचत हुई।

दत्तमत अनुभाग के अन्तर्गत बचत की धनराशि कुल अनुदानों/विनियोगों का 11 *प्रतिशत* थी। विभागीय नियन्त्रण अधिकारियों द्वारा ₹ 15,497.01 करोड़ (दत्तमत श्रेणी के अन्तर्गत बचत का 36 *प्रतिशत*) वित्तीय वर्ष के अन्त में व्यपगत होने दिया गया। अवशेष बचतों में से ₹ 23,061.20 करोड़ 31 मार्च 2017 को अभ्यर्पित किया गया। दूसरे शब्दों में, वर्ष के दौरान दत्तमत श्रेणी के अन्तर्गत कुल बचतों ₹ 42,853.27 करोड़ में से मात्र ₹ 4,295.06 करोड़ (10 *प्रतिशत*) वित्त विभाग के पास पुनर्विनियोग

के लिए उपलब्ध था। यह एक गम्भीर चिन्ता का विषय है तथा प्रभावी बजटीय नियन्त्रण को सुनिश्चित करने में वित्त विभाग की असफलता दर्शाता है।

भारित अनुभाग के अन्तर्गत, लोक ऋण–पुनर्भुगतान ₹ 4,790.18 करोड़ की अधिकता तथा राजस्व एवं पूंजीगत के अन्तर्गत हुए बचत ₹ 532.94 करोड़ के परिणामस्वरूप कुल आधिक्य ₹ 4,257.24 करोड़ का हुआ। बचत में से ₹ 37.82 करोड़ 31 मार्च 2017 को अभ्यर्पित किया गया।

lLrqfr% वित्त विभाग को विभागीय नियन्त्रण अधिकारियों द्वारा किये गये व्यय की प्रवृत्ति का अनुश्रवण करना चाहिये जिससे निधियों का अनावश्यक रूप से अवरोधन न हो तथा अभ्यर्पण के अन्तिम क्षण की प्रतीक्षा किये बिना एवं आवंटन के व्यपगत हुए बिना, तत्काल अभ्यर्पण कर देना चाहिये।

2.2 foRrh; mRrjnkf;Ro rFkk ctV izcU/ku

2.2.1 0;;kf/kD;

उ.प्र. बजट मैनुअल के नियम 140 एवं 174 के अनुसार, विधायिका द्वारा स्वीकृत दत्तमत अनुदान या भारित विनियोग से अधिक व्यय किया जाना वित्तीय अनियमितता को स्थापित करता है। तथापि, यह पाया गया कि वर्ष 2016-17 की अवधि में कुल ₹ 6,917.60 करोड़ का अधिक व्यय था। अग्रेतर, यह संज्ञान में आया कि लोक निर्माण विभाग (लो.नि.वि.) द्वारा तीन अनुदानों[32] के सापेक्ष ₹ 2,122.53 करोड़ (राजस्व अनुभाग के अन्तर्गत ₹ 348.02 करोड़ तथा पूंजीगत अनुभाग के अन्तर्गत ₹ 1,774.51 करोड़) का अधिक व्यय किया गया।

वर्ष 2016-17 के दौरान अनुदान संख्या 58, लो.नि.वि. से सम्बन्धित 11 योजनाओं में बजट के माध्यम से ₹ 8,850.37 करोड़ का प्रावधान किया गया, तत्पश्चात् प्रावधान में से ₹ 352.05 करोड़ की कमी की गयी जिससे कुल प्रावधान ₹ 8,498.32 करोड़ का रहा। इसके बावजूद, लो.नि.वि. द्वारा ₹ 9,738.70 करोड़ का व्यय किया गया जो कि ₹ 1,240.38 करोड़ का अधिक व्यय था। *ifjf'k"V* **2.1** में इसका विवरण दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है कि ऋण के प्रतिदान के अन्तर्गत व्यय का सही आकलन करने में वित्त विभाग स्वयं असफल रहा, फलस्वरूप वर्ष के दौरान ₹ 4,794.78 करोड़ का अधिक व्यय हुआ।

यह भी पाया गया कि लो.नि.वि. द्वारा प्रत्येक वर्ष विधायिका द्वारा स्वीकृत विनियोग से अधिक व्यय किया गया। लो.नि.वि. से सम्बन्धित पिछले पांच वर्षों में अत्यधिक मात्रा में व्ययाधिक्य का विवरण नीचे **lkj.kh 2.2** में दिया गया है:

lkj.kh 2-2% vuoj r vf/kd 0;; ls lEcfU/kr vuqnkuksa dk fooj.k

(₹ djksM+ esa)

Ø0 l0	vuqnku l[;k ,oa uke	0;;kf/kD; dh /kujkf'k				
		2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
		jktLo&nÙker				
1.	58- लोक निर्माण विभाग (संचार साधन–सड़कें)	166.12	204.95	310.73	281.23	346.07
		iwathxr&nÙker				
2.	55-लोक निर्माण विभाग (भवन)	71.97	70.68	47.23	29.19	34.33
3.	58- लोक निर्माण विभाग (संचार साधन–सड़कें)	2,152.37	3,131.34	2,430.21	2,211.02	1,701.67

(स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के विनियोग लेखे)

[32] अनुदान सं0. 55– लो.नि.वि. (भवन), अनुदान सं0 57– लो.नि.वि. (संचार साधन–सेतु), अनुदान सं0 58– लो.नि.वि. (संचार साधन–सड़कें)।

राज्य विधायिका द्वारा अनुमोदित अनुदान से इस प्रकार बार–बार अधिक व्यय, विधायिका के अभिप्राय तथा लोकतन्त्र के मूल सिद्धान्त, कि लोकसभा/राज्य विधानसभा के अनुमोदन के बिना एक रूपया भी व्यय नहीं किया जा सकता, का उल्लंघन है और इस कारण, गम्भीरता से विचार किये जाने की आवश्यकता है।

laLrqfr% *वित्त विभाग को सुनिश्चित करना चाहिये कि वित्त विभाग द्वारा स्वयं एवं किसी भी विभागीय नियन्त्रण अधिकारी द्वारा राज्य विधायिका से नियमानुसार स्वीकृत आवंटन से अधिक व्यय न किया जाय।*

2.2.2 vf/kd gq, 0;; ds fofu;ferhdj.k dh vko';drk

भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अन्तर्गत राज्य सरकार के लिए यह आवश्यक है कि अनुदानों/विनियोगों से अधिक हुए व्यय को राज्य विधायिका द्वारा विनियमित कराया जाय। यद्यपि, यह पाया गया कि पिछले दशक (वर्ष 2005-16) से सम्बन्धित 95 अनुदानों एवं 38 विनियोगों में व्ययाधिक्य ₹ 24,144.20 करोड़ का विनियमितीकरण कराये जाने में राज्य सरकार असफल रही (***ifjf'k"V 2.2 v***)। वर्ष 2016-17 में, अनुदानों/विनियोगों के पाँच प्रकरणों में राज्य की समेकित निधि से प्राधिकृत धनराशि से किये गये अधिक व्यय ₹ 5,662.17 करोड़ को विनियमित किये जाने की आवश्यकता थी (***ifjf'k"V 2.2 c***)।

laLrqfr% *वर्तमान में व्ययाधिक्य के सभी प्रकरणों को तत्परता से विनियमित किये जाने की आवश्यकता है तथा भविष्य में अत्यन्त एवं अधिकतम आकस्मिक स्थिति के प्रकरणों को छोड़कर, जिसकी पूर्ति आकस्मिकता निधि से नहीं की जा सकती, इस प्रकार के अदत्तमत व्यय को पूर्ण रूप से रोका जाना चाहिए।*

2.2.3 cpr

60 प्रकरणों में जहाँ प्रत्येक प्रकरण में बचत ₹ 10 करोड़ एवं कुल प्रावधानों के 20 *प्रतिशत* से अधिक थी, का विवरण ***ifjf'k"V 2.3*** में दिया गया है। 41 अनुदानों/विनियोगों से सम्बन्धित 59 प्रकरणों में ₹ 43,036.89 करोड़ की बचत हुई जिसमें प्रत्येक प्रकरण में ₹ 100 करोड़ से अधिक की बचत थी, जिनका विवरण ***ifjf'k"V 2.4*** में दिया गया है।

लेखे के राजस्व दत्तमत शीर्ष के अन्तर्गत ₹ 500 करोड़ से अधिक की बचतें 15 अनुदानों के अन्तर्गतः अनुदान संख्या 7–उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग), 11– कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि), 24–गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग), 26–गृह विभाग (पुलिस), 32–चिकित्सा विभाग (एलोपैथी), 35–चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण), 37–नगर विकास विभाग, 48–अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, 49–महिला एवं बाल कल्याण विभाग, 51–राजस्व विभाग (दैवीय आपदा के सम्बन्ध में राहत), 52–राजस्व विभाग (राजस्व तथा अन्य व्यय), 54–लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान), 71–शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा), 83–समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) एवं 95–सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) में हुई।

इसी प्रकार, लेखे के पूंजीगत दत्तमत शीर्ष के अन्तर्गत ₹ 500 करोड़ से अधिक की बचतें लेखे के छः अनुदानोंः अनुदान संख्या 7–उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग), 13–कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास), 42–न्याय विभाग, 71–शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा), 83–समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) एवं 94–सिंचाई विभाग (निर्माण) में हुई।

ऊपर वर्णित अनुदानों में से 12 अनुदानों के 14 प्रकरण ऐसे थे, जिनमें वर्ष 2015-16 के दौरान भी बचत (₹ 500 करोड़ से अधिक) हुई, जिसका विवरण **lkj.kh 2.3** में दिया गया हैः

lkj.kh 2.3½ cpr n'kkZus okys vuqnku

½₹ djksM+ esa½

Ø0 l0	vuqnku la[;k	vuqnku dk uke	o"kZ ds nkSjku gqbZ cprsa ½₹ 500 djksM+ vkSj vf/kd½	
			2015-16	2016-17
1	13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)- पूंजीगत दत्तमत	1,669.11	3,300.96
2	26	गृह विभाग (पुलिस) - राजस्व दत्तमत	1,346.41	886.34
3	32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)- राजस्व दत्तमत	938.53	1,088.42
4	35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)- राजस्व दत्तमत	1,404.12	1,263.58
5	37	नगर विकास विभाग- राजस्व दत्तमत	1,390.72	2,751.47
6	48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग- राजस्व दत्तमत	852.81	973.77
7	49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग- राजस्व दत्तमत	1,058.88	1,106.73
8	51	राजस्व विभाग (दैवीय आपदा के सम्बन्ध में राहत) - राजस्व दत्तमत	1,318.61	4,132.50
9	54	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)- राजस्व दत्तमत	1,384.03	1,778.37
10	71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)- राजस्व दत्तमत	3,229.85	2,414.62
11	71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)- पूंजीगत दत्तमत	543.54	1,276.45
12	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)- राजस्व दत्तमत	2,306.78	1,704.21
13	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)- पूंजीगत दत्तमत	1,357.70	2,477.98
14	95	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)-राजस्व दत्तमत	933.97	1,180.41

(स्रोतः विनियोग लेखे वर्ष 2015-16 एवं 2016-17)

2.2.4 vuojr cpr

यह संज्ञान में आया कि 17 अनुदानों के अन्तर्गत 22 प्रकरणों में विगत पाँच वर्षों से अनवरत बचत (₹ 100 करोड़ और अधिक), ₹ 102.54 करोड़ एवं ₹ 3,300.96 करोड़ के मध्य थी, जैसा कि विवरण *ifjf'k"V* **2.5** में दिया गया है।

laLrqfr½ सभी प्रत्याशित बचतों को समय से अभ्यर्पित कर देना चाहिये जिससे निधियों का उपयोग विकास के अन्य उद्देश्यों के लिये किया जा सके।

2.2.5 vuko';d@vi;kZIr vuqiwjd izko/kku

वर्ष 2016-17 में, 56 प्रकरणों में ₹ 7,712.64 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि मूल प्रावधान की ही धनराशि व्यय नहीं की जा सकी थी, जिसका विवरण *ifjf'k"V* **2.6** में दिया गया है।

2.2.6 vf/kd@vuko';d fuf/k;ksa dk iqufoZfu;ksx

पुनर्विनियोग के बावजूद, 43 अनुदानों में निहित 109 उप–शीर्षों में ₹ 2,294.89 करोड़ की बचत तथा 28 अनुदानों के 53 उपशीर्षों में ₹ 1,693.44 करोड़ का व्ययाधिक्य, वास्तविक आवश्यकता का आकलन किये बिना अनौचित्यपूर्ण पुनर्विनियोग को दर्शाता है (*ifjf'k"V* **2.7**)।

2.2.7 vR;f/kd /kujkf'k;ksa dk vH;iZ.k

वर्ष 2016-17 के दौरान, 247 उपशीर्षों में अत्यधिक धनराशियों का अभ्यर्पण (कुल प्रावधान का 50 *प्रतिशत* या अधिक) ₹ 9,280.48 करोड़ (कुल प्रावधान

₹ 11,086.84 करोड़ का 84 *प्रतिशत*) किया गया, जिसमें 105 योजनाओं/कार्यक्रमों (₹ 5,196.55 करोड़) का 100 *प्रतिशत* अभ्यर्पण सम्मिलित है, जिसका विवरण ***ifjf'k"V* 2.8** में दिया गया है। इस प्रकार अत्यधिक धनराशियों के अभ्यर्पण से स्पष्ट है कि या तो बजट बनाने में समुचित सावधानी नहीं बरती गयी या कार्यक्रम के क्रियान्वयन में गम्भीर कमी हुई।

2.2.8 okLrfod cpr ls vf/kd vH;iZ.k

वर्ष 2016-17 के दौरान, छः अनुदानों (प्रत्येक प्रकरण में ₹ 50 लाख या अधिक) में ₹ 4,869.45 करोड़ की बचत के सापेक्ष ₹ 5,434.93 करोड़ धनराशि का अभ्यर्पण किया गया, परिणामस्वरूप ₹ 565.48 करोड़ का अधिक अभ्यर्पण हुआ, जिसका विवरण ***ifjf'k"V* 2.9** में दिया गया है। वास्तविक बचत से अधिक धनराशि के अभ्यर्पण से स्पष्ट है कि विभाग द्वारा मासिक व्यय विवरण के माध्यम से व्यय के प्रवाह की निगरानी पर पर्याप्त बजटीय नियन्त्रण नहीं रखा गया।

2.2.9 vH;fiZr u dh xbZ iwokZuqekfur cpr%

बजट मैनुअल के प्रस्तर 139 के अनुसार, व्यय करने वाले विभागों को ऐसे अनुदान/विनियोग या उनके अंश को, जैसे ही बचत प्रत्याशित हो, वित्त विभाग को अभ्यर्पित कर देना चाहिए। वर्ष 2016-17 के अन्त में, अनुदानों/विनियोगों के 41 प्रकरणों में ₹ 11,529.63 करोड़ की बचत होने के पश्चात् भी उसका कोई भी भाग व्यय करने वाले विभागों द्वारा अभ्यर्पित नहीं किया गया। विस्तृत विवरण ***ifjf'k"V* 2.10** में दिया गया है।

इसी प्रकार, 90 प्रकरणों (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ एवं अधिक की बचत) में बचत की धनराशि ₹ 35,507.05 करोड़ में से ₹ 24,143.67 करोड़ (68 *प्रतिशत*) अभ्यर्पित नहीं की गयी ***¼ifjf'k"V* 2.11½** जो कुल बचत ₹ 45,513.63 करोड़ का 53 *प्रतिशत* थी। यह अपर्याप्त वित्तीय नियन्त्रण एवं परिणामस्वरूप निधियों का अवरोधन दर्शाता है।

lLrqfr% *सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि अत्यधिक, अनावश्यक, अनुपूरक प्रावधान तथा अविवेकपूर्ण अभ्यर्पण से बचा जाय।*

2.2.10 O;; dk xyr oxhZdj.k

राजस्व व्यय स्वभावतः आवर्ती होता है और राजस्व प्राप्तियों से होना माना जाता है। अग्रेतर, भारत सरकार लेखा मानक–2 (आई.जी.ए.एस–2) के अनुसार सहायता अनुदान पर किया गया व्यय स्वीकृतिकर्ता के लेखे में राजस्व व्यय के रूप में एवं प्राप्तकर्ता के लेखे में राजस्व प्राप्तियों के रूप में अभिलिखित किया जाता है। स्थायी प्रकृति की परिसम्पत्तियों को बढ़ाये जाने अथवा आवर्ती दायित्वों को कम करने के उद्देश्य से किये गये व्यय को पूंजीगत व्यय के रूप में परिभाषित किया जाता है।

यद्यपि वर्ष 2016-17 के दौरान, राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये लघु निर्माण कार्यों हेतु ₹ 64.75 करोड़ को राजस्व शीर्ष में पुस्तांकित न करके विभिन्न पूंजीगत शीर्षों में पुस्तांकित किया गया। सहायता अनुदानों पर व्यय धनराशि ₹ 0.46 करोड़ पूंजीगत अनुभाग के अन्तर्गत किया गया जबकि इसे राजस्व व्यय के रूप में व्यय किया जाना चाहिए।

इसी प्रकार, 'गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद', 'व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान' एवं 'कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय' मद पर क्रमशः ₹ 0.03 करोड़, ₹ 3.63 करोड़ एवं ₹ 0.21 करोड़ (कुल ₹ 3.87 करोड़) के व्यय को पूंजीगत अनुभाग के अन्तर्गत पुस्तांकित किया गया, जिसे राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाना था।

2.2.11 jkT; vkdfLedrk fuf/k ls vfxze &izfriwfrZ ugha dh x;h

आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1950 के संवैधानिक प्रावधानों के अन्तर्गत, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आकस्मिकता निधि, ₹ 600 करोड़ की कार्पस धनराशि के साथ रखी जाती है। उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि नियम, 1962 के अनुसार, निधि से अग्रिम केवल अप्रत्याशित तथा आकस्मिक व्यय की पूर्ति के लिए लिया जायेगा, जिसकी प्रतिपूर्ति विधायिका द्वारा प्राधिकृत किये जाने तक लम्बित रहती है।

यद्यपि, यह पाया गया कि आकस्मिकता निधि से दिसम्बर 2016 से फरवरी 2017 के दौरान ₹ 308.12 करोड़ आहरित किया गया जिसकी प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष (मार्च 2017) के अन्त तक नहीं हुई थी।

अग्रेतर, यह संज्ञान में आया कि अग्रिम में से उ.प्र. जल निगम को दिसम्बर 2016 से जनवरी 2017 के दौरान ₹ 300 करोड़ ब्याज रहित ऋण के रूप में वेतन तथा सेवानिवृत्तिक प्रतिबद्धता की पूर्ति के लिए दिया गया, जो आकस्मिक तथा अप्रत्याशित व्यय का समावेश नहीं करता एवं उ.प्र. आकस्मिकता निधि के नियमों के विपरीत वर्ष के दौरान इसकी प्रतिपूर्ति भी नहीं की गयी।

laLrqfr% राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि आकस्मिक एवं अप्रत्याशित प्रकृति के व्यय को छोड़कर आकस्मिकता निधि से किसी अग्रिम का आहरण न किया जाये।

2.2.12 O;; dk vfrjsd

सामान्य वित्तीय नियम (जी.एफ.आर.) के नियम 56(3) के अनुसार, विशेषकर वित्तीय वर्ष के अन्तिम माह में व्यय का अतिरेक, वित्तीय औचित्य का उल्लंघन होगा तथा इसे रोका जाना चाहिये। अन्तिम त्रैमासिक में व्यय को सामग्री तथा सेवाओं की वास्तविक अधिप्राप्ति एवं पूर्व में हुए व्यय की प्रतिपूर्ति के अनुसार सीमित करना चाहिये। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा अन्तिम माह (मार्च) में व्यय की सीमा 15 *प्रतिशत* तक सीमित की गयी है। यद्यपि, उ.प्र. सरकार द्वारा व्यय के अतिरेक की सीमा के सम्बन्ध में कोई नियम नहीं बनाया गया है।

ifjf'k"V **2.12** में ऐसे प्रकरण वर्णित हैं जिसमें मार्च 2017 में व्यय पूरे वर्ष के आवंटन का 15 *प्रतिशत* से अधिक था। इन प्रकरणों में से, मुख्य शीर्ष 2515 के अन्तर्गत *पंचायती राज* को अनुदान के वास्तविक व्यय, ₹ 13,409.89 करोड़, के सापेक्ष ₹ 3,813.33 करोड़ (27 *प्रतिशत*) का व्यय केवल मार्च 2017 में किया गया। यह भी पाया गया कि उ.प्र. सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं जैसे स्वच्छ भारत मिशन (₹ 80.82 करोड़) एवं ग्राम पंचायत को सहायता अनुदान (₹ 2,972.99 करोड़) के लिए कुल ₹ 3,053.81 करोड़ के स्वीकृति आदेशों को एक ही दिन, 30 मार्च 2017, को निर्गत किया गया।

laLrqfr% शासन को यह सुनिश्चित करने के लिये नियम बनाना चाहिये कि बजट प्रावधान अनुपयोगी न रहे एवं वित्तीय वर्ष के अन्त में व्यय के अतिरेक पर नियन्त्रण हो।

v/;k; 3

foRrh; fjikfVx ,o y[kkvk ij fVIi.kh

यह अध्याय वर्तमान वर्ष में राज्य सरकार द्वारा विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं एवं निर्देशों के अनुपालन की स्थिति का विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है।

3.1 Ok;fDrd ytj [kkr@tek [kkr

3.1.1 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 202, वार्षिक वित्तीय विवरण/बजट के माध्यम से लोक व्यय पर विधायी वित्तीय नियन्त्रण प्रदान करता है। उ.प्र. बजट मैनुअल में निर्धारित है कि सभी अन्तिम बचतों को 25 मार्च तक वित्त विभाग को समर्पित कर देना चाहिए एवं किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिये सम्बन्धित अधिकारीगण उत्तरदायी होंगें।

वित्तीय वर्ष के अन्त में अनुदानों को व्यपगत होने से बचाने के लिये अव्ययित निधियों को नियमित रूप से लोक लेखे के अधीन विभिन्न जमा शीर्षों (पी.डी.)/वैयक्तिक लेजर खातों (पी.एल.ए.) में हस्तान्तरित किये जाने के उ.प्र. सरकार के अनेक विभागों द्वारा वित्तीय प्रावधानों के उल्लंघन पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के वार्षिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में निरन्तर टिप्पणी की गयी है। अग्रेतर, उ.प्र. वैयक्तिक लेजर खाता नियमावली, 1998, वित्त विभाग की पूर्व अनुमोदन से ही अव्ययित निधियों को पी.डी./पी.एल.ए. में जमा करने की अनुमति प्रदान करता है। यद्यपि इस प्रावधान का उपयोग कदाचित ही करना है, लेखापरीक्षा में कोई साक्ष्य नहीं पाया गया कि वित्त विभाग ने सुनिश्चित किया हो कि विभागों ने अव्ययित धनराशि को इस प्रकार नियमित रूप से पी.डी./पी.एल.ए. में हस्तान्तरण करने से पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया हो। ऐसी प्रथा विधायी उद्देश्य का उल्लंघन है, जिसे यह सुनिश्चित करना है कि उनके द्वारा वित्तीय वर्ष के लिये अनुमोदित निधियाँ उसी वित्तीय वर्ष में व्यय हो। वित्त विभाग, जो लोक वित्त का अभिरक्षक है, द्वारा वित्तीय औचित्य एवं विवेक का उल्लंघन करने वाले ऐसे अनियमित प्रथा पर नियंत्रण रखने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गयी या सम्बन्धित अधिकारी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की संस्तुति नहीं की गयी।

पी.डी. खातों में अवशेषों का समय–समय पर मिलान न किया जाना एवं पी.डी. खातों में पड़े अव्ययित अवशेषों को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व समेकित निधि में हस्तान्तरित न किया जाना लोक निधि के दुरूपयोग, कपट एवं दुर्विनियोजन के जोखिम का संकेत करता है।

राज्य सरकार के वित्त लेखे के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार के पी.एल. खातों में 31 मार्च 2017 तक अन्तिम अवशेष ₹ 6,835.75 करोड़ था।

3.1.2 vlpkfyr ih-Mh-@ih-,y- [kkr

पी.एल.ए. नियमावली यह प्रावधान करता है कि तीन वर्षों से अधिक लेन–देन न होने पर पी.डी/पी.एल. खातों को बन्द कर दिया जाय। तथापि, यह पाया गया कि मुख्य शीर्ष 8443 सिविल जमा एवं मुख्य शीर्ष 8448 स्थानीय निधियों की जमा के अधीन 341 पी.डी./पी.एल. खाते जिसमें तीन वर्षों से अधिक समय से लेन–देन नहीं हुआ था एवं 31 मार्च 2017 तक अव्ययित अवशेष ₹ 95.80 करोड़ पड़ा हुआ था, को बन्द करने में उ.प्र. सरकार असफल रही। विवरण lkj.kh **3.1** में दिया गया है:

Lkkj.kh 3.1% vlapkfyr ih-Mh- ys[kk

(/kujkf'k ₹ esa)

Ø0 la0	/kujkf'k dh lhek	izdj.kksa dh la[;k	/kujkf'k
1	एक लाख से कम	206	53,05,322
2	1 से 5 लाख	73	1,74,92,551
3	5 से 10 लाख	19	1,30,59,197
4	10 से 20 लाख	18	2,46,75,886
5	20 से 50 लाख	11	3,44,45,675
6	50 लाख एवं अधिक	14	86,30,71,366
		;ksx	95,80,49,997

lLrqfr% वित्त विभाग द्वारा सभी पी.डी./पी.एल. खातों की समीक्षा किये जाने की आवश्यकता है एवं इन पी.डी./पी.एल. खातों में अनावश्यक पड़ी सभी धनराशियों को तत्काल समेकित निधि में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। अग्रेतर, वित्तीय नियमावली में निहित निर्देशों को वित्त विभाग द्वारा दोहराते हुये यह सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता है कि नियमों के अनुसरण करने में असफल रहे विभागीय अधिकारियों के विरूद्ध उचित कार्यवाही की जाय।

3.2 Hkou ,oa vU; lfUuekZ.k Jfed dY;k.k midj

भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक (बी.ओ.सी.डब्लू.) कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 एवं बी.ओ.सी.डब्लू. (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 ऐसे किसी भी प्रतिष्ठान, जिनके द्वारा किसी भवन या अन्य निर्माण कार्य में 10 या अधिक निर्माण श्रमिकों को नियोजित किया गया हो, को समाविष्ट करता है। अधिनियम, अन्य बातों के साथ, श्रमिकों के कार्य की दशा में सुधार के उद्देश्य एवं उन्हें वित्तीय सहायता उपलब्ध कराये जाने हेतु कल्याण बोर्ड के गठन किये जाने तथा निर्माण की लागत पर उपकर के आरोपण एवं संग्रहण के माध्यम से कल्याण बोर्ड के संसाधनों में वृद्धि किये जाने का प्रावधान करता है। तद्नुसार, उ.प्र. सरकार ने उ.प्र. बी.ओ.सी.डब्लू. कल्याण बोर्ड का गठन (नवम्बर 2009) किया, तथा, उपकर अधिनियम के सम्बन्ध में, एक *प्रतिशत* की दर से उपकर उद्ग्रहित किया। उ.प्र. बी.ओ.सी.डब्लू. नियमावली 2009 में पंजीकरण शुल्क ₹ 50 एवं पंजीकृत श्रमिकों से वार्षिक सदस्यता शुल्क ₹ 50 का संग्रहण किया जाना निहित है। इस सम्बन्ध में, लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नवत् है।

3-2-1 midj dk ys[kkadu

लेखापरीक्षा में पाया गया कि कल्याण बोर्ड द्वारा गठन (नवम्बर 2009) से ही अपने लेखे को अन्तिम रुप नहीं दिया गया। विगत पांच वर्षों की उपकर प्राप्तियों एवं उपभोग का विवरण **lkj.kh 3-2** में दिया गया है:

Lkkj.kh 3.2% iathdj.k 'kqYd] midj ,oa miHkksx dh foRrh; fLFkfr

(₹ djksM+ esa)

Ø0 la0	o"kZ	izkjfEHkd vo'ks"k	izkfIr;k¡				dqy miyC/k fuf/k	O;;	vfUre 'ks"k
			iathdj.k izHkkj ,oa okf"kZd lnL;rk 'kqYd	cSad ykHk esa izkIr Je midj	dk"kkxkj ls izkIr midj ¼jkT; ljdkj½	tek /kujkf'k ij C;kt			
1	2012-13	381.91	13.87	311.79	0	27.43	735.00	4.89	730.11
2	2013-14	730.11	17.84	458.46	165.00	49.58	1,420.99	98.12	1,322.87
3	2014-15	1,322.87	28.59	500.44	9.25	97.07	1,958.22	127.63	1,830.59
4	2015-16	1,830.59	14.55	686.81	0	128.37	2,660.32	202.41	2,457.91
5	2016-17	2,457.91	13.00	829.60	10.00	162.23	3,472.74	277.78	3,194.96

(स्रोतः सचिव, बी.ओ.सी.डब्लू.) (अनन्तिम आंकड़े)

इस सम्बन्ध में, अतिरिक्त निष्कर्ष निम्नवत् हैः

- बोर्ड द्वारा आरम्भ से ही अपने लेखे तैयार नहीं किये गये हैं, इसलिए आय एवं व्यय की प्रामाणिकता लेखापरीक्षा में सुनिश्चित नहीं की जा सकी।
- बोर्ड द्वारा स्थायी परिसम्पत्ति पंजिका का अनुरक्षण नहीं किया गया जिसके अभाव में सृजित परिसम्पत्तियों के भौतिक अस्तित्व तथा उनकी स्थिति को सत्यापित नहीं किया जा सका।
- उ.प्र. सरकार मार्च 2017 तक बोर्ड को ₹ 34.48 करोड़ स्थानान्तरित करने में असफल रही परिणामतः वर्ष 2016–17 में उक्त धनराशि की सीमा तक राजस्व आधिक्य में अतिशयता एवं राजकोषीय घाटा में न्यूनता रही।
- राज्य सरकार द्वारा 16 विभागों के अधिकारियों को उपकर निर्धारण अधिकारी एवं उपकर संग्रहक नामित (सितम्बर 2010) किया गया। उ.प्र. सरकार ने शासनादेश (अगस्त 2012) एवं पुनः (सितम्बर 2016) द्वारा सम्बन्धित अधिकारियों को संग्रहित उपकर की प्राप्तियों को बोर्ड द्वारा इस हेतु संचालित राष्ट्रीयकृत बैंक खाता में जमा किये जाने के निर्देश दिये। उपकर को राज्य की समेकित निधि में लाये बिना सीधे बैंक खाते में स्थान्तातरण किये जाने का आदेश भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266(1) का उल्लंघन है। परिणामस्वरूप, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है कि कितनी धनराशि का संग्रहण उपकर निर्धारण अधिकारियों द्वारा किया गया एवं कितनी धनराशि बोर्ड को स्थानान्तरित की गयी।

3.2.2 midj dk mi;ksx

राज्य सरकार द्वारा बी.ओ.सी.डब्लू. कल्याण निधि से लाभ दिये जाने हेतु विभिन्न योजनाओं/गतिविधियों को अधिसूचित किया गया यथा मातृत्व हितलाभ, पेंशन, आवास क्रय/निर्माण हेतु अग्रिम, अन्त्येष्टि सहायता, चिकित्सीय सहायता, मेधावी छात्रों को नकद पुरस्कार, लाभार्थियो के बच्चों की शिक्षा/शादी हेतु वित्तीय सहायता आदि। वर्ष 2012-17 की अवधि में इन योजनाओं पर हुये व्यय का विवरण **lkj.kh 3.3** में दिया गया हैः

lkj.kh 3.3% fuf/k ds vkoaVu ,oa miyC/krk ds lkis{k ;kstukvksa ij 0;; dk fooj.k

Ok"kZ	miyC/k fuf/k ¼₹ djksM+ esa½	Lkapkfyr ;kstuk;sa		;kstukvksa ij okLrfod 0;; ¼₹ djksM+ esa½	Ok"kZ ds vUr rd Ikathd`r Jfed	vkPNkfnr Jfed	Ikfr'krrk		
		la[;k	vkoaVu ¼₹ djksM+ esa½				vkPNkfnr Jfed	vkoaVu ds lkis{k mi;ksx	miyC/k fuf/k ds lkis{k mi;ksx
2012-13	735.00	15	225.00	3.95	2,70,871	9,610	3.55	1.76	0.54
2013-14	1,420.99	18	301.90	93.39	10,90,192	95,295	8.74	30.93	6.57
2014-15	1,958.22	22	457.90	105.96	19,58,544	2,14,121	10.93	23.14	5.41
2015-16	2,660.32	21	605.61	141.82	27,41,452	2,77,909	10.14	23.42	5.33
2016-17	3,472.74	23	752.83	249.88	34,27,104	5,16,851	15.08	33.19	7.20

(स्रोतः सचिव, बी.ओ.सी.डब्लू.) (अनन्तिम आंकड़े)

laLrqfr% उ.प्र. बी.ओ.सी.डब्लू. कल्याण बोर्ड द्वारा समय से लेखे की तैयारी प्रारम्भ किया जाना तथा भवन एवं सन्निर्माण श्रमिकों की कार्य की दशा में सुधार एवं उन्हें पर्याप्त वित्तीय सहायता दिये जाने के अधिदेश की पूर्ति हेतु सम्बन्धित अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना चाहिए। उपकर को, समेकित निधि के माध्यम से, के स्थान पर बोर्ड के बैंक खाते में सीधे स्थानान्तरण किये जाने के अपने आदेशों की उ.प्र. सरकार द्वारा समीक्षा भी की जानी चाहिए।

3.3 fodkl izkf/kdj.kksa ,oa vkokl fodkl ifj"knksa dks vfrfjDr LVkEi M~;wVh dk vUrj.k

उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 में स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग द्वारा अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी के संग्रहण करने एवं बाद में उसे विर्निदिष्ट अनुपात में सम्बन्धित नगर निगमों/नगर पालिकाओं/परिषदों/विकास प्राधिकरणों को हस्तांतरण किये जाने का प्रावधान है।

अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी के रूप में प्राप्त धनराशि का लेखांकन मुख्य शीर्ष 0030–स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क, 02–स्टाम्प नान–जुडिशियल, 102–स्टाम्प बिक्री के अधीन किया जाता है। तथापि, राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी के रूप में प्राप्त राजस्व धनराशि के चिन्हांकन के लिए अलग से उप शीर्ष नहीं खोला गया है जिसके अभाव में यह स्पष्ट नहीं है कि सरकार द्वारा दो *प्रतिशत* अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी के रूप में कितनी धनराशि प्राप्त की गयी है तथा क्या प्राप्त समस्त धनराशि सम्बन्धित नगर निगमों/नगर पालिकाओं/परिषद/विकास प्राधिकरणों को विर्निदिष्ट अनुपात में स्थानान्तरित कर दी गयी।

विकास प्राधिकरणों/नगर निगमों/परिषदों को निधियों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में, यह पाया गया कि सरकार द्वारा व्यय का लेखांकन मुख्य शीर्ष 2216–आवास या 2217–नगर विकास, जैसा प्रकरण हो, के स्थान पर मुख्य शीर्ष 3475-800-03 के अधीन किया जा रहा था। त्रुटिपूर्ण लेखांकन किये जाने से मुख्य शीर्ष 2216/2217–आवास/नगर विकास विभाग के अधीन व्यय में न्यूनता जबकि मुख्य शीर्ष 3475–अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं के अन्तर्गत व्यय में उस सीमा तक अतिशयता दर्शित हुई।

उ.प्र. सरकार द्वारा निर्गत आदेश (सितम्बर 2015) में निर्धारित किया गया है कि ऐसी अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी सर्वप्रथम लखनऊ विकास प्राधिकरण (एल.डी.ए.) को स्थानान्तरित की जायेगी, जहां से इस अधिनियम के अन्तर्गत निधियों को प्राप्त करने के लिए अधिकृत सभी इकाइयों को प्रेषित किया जायेगा। राज्य सरकार के लेखे से यह सत्यापन किया जाना सम्भव नहीं है कि क्या सभी अन्य इकाइयों को अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी का पूर्ण अंश हस्तान्तरित करने में एल.डी.ए. ने अपने उत्तरदायित्व की पूर्ति की, क्योंकि एल.डी.ए. से आगे के संव्यवहार शासकीय लेखे में प्रदर्शित नहीं हो पाते हैं। लेखे से यह भी सत्यापन किया जाना सम्भव नहीं है कि एल.डी.ए. ने मात्र उन इकाइयों को ही निधियों का हस्तान्तरण किया जो कि अधिनियम में निर्धारित है एवं अन्य को नहीं। विभिन्न प्राधिकरणों को हस्तान्तरित धनराशि (₹ 418.35 करोड़) का विवरण ***ifjf'k"V 3.1*** में दिया गया है।

अग्रेतर, सरकार द्वारा अतिरिक्त दो *प्रतिशत* स्टाम्प ड्यूटी के वितरण की प्रक्रिया के निर्धारण (सितम्बर 2013) में, एकत्र धनराशि का 25 *प्रतिशत* डेडीकेटेड नगर परिवहन निधि को स्थानान्तरित किये जाने का आदेश दिया गया जो अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत था। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, दो *प्रतिशत* स्टाम्प ड्यूटी की अतिरिक्त धनराशि का उपभोग मात्र उस क्षेत्र के विकास के लिये किया जाना था जहां से धनराशि एकत्र की गयी थी इसलिये निधि की 25 *प्रतिशत* धनराशि डेडीकेटेड नगर परिवहन निधि को स्थानान्तरित किया जाना अनियमित था। यह पाया गया कि सरकार द्वारा वर्ष 2014-15 एवं आगे इस निधि के लिये मुख्य शीर्ष 2217-80-800-08 के अन्तर्गत निरन्तर प्रावधान किया जा रहा था। इस सम्बन्ध में किये गये प्रावधान एवं व्यय का विवरण **lkj.kh 3.4** में दिया गया है:

Lkkj.kh 3.4 % MsMhdsVsM uxj ifjogu fuf/k ds fy;s izko/kku@O;; dk fooj.k

(₹ djksM+ esa)

o"kZ	izko/kku	O;;
2014-15	300	285
2015-16	434	430
2016-17	375	-

(स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के विनियोग लेखे)

वर्ष 2016-17 में किये गये प्रावधान ₹ 375 करोड़ को कोषागार से आहरित नहीं किया जा सका था जो अंततः व्यपगत हो गया क्योंकि वित्तीय संस्वीकृति वर्ष के अंतिम दिवस अर्थात् 31 मार्च 2017 को दी गयी थी।

laLrqfr% उ.प्र. सरकार द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी की प्राप्तियां एवं उ.प्र. नगर योजना एवं विकास अधिनियम में विनिर्दिष्ट प्राधिकरणों/निगमों आदि को स्थानान्तरित धनराशि, लेखे में पूर्णरूपेण एवं पारदर्शिता से प्रदर्शित हो। अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी की 25 प्रतिशत धनराशि डेडीकेटेड नगर परिवहन निधि को हस्तांतरण सम्बन्धी आदेश, जो अधिनियम के प्रावधानों के प्रतिकूल है, की समीक्षा भी उ.प्र. सरकार द्वारा की जानी चाहिए।

3.4 ys[ks esa vikjnf'kZrk

अन्य प्राप्तियां एवं अन्य व्यय से सम्बन्धित लघु शीर्ष 800 का परिचालन तभी किया जाना अभीष्ट है जब लेखे में समुचित लघु शीर्ष उपलब्ध न हो। लघु शीर्ष 800 का नियमित परिचालन हतोत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि यह लेखों की पारदर्शिता को कम करता है।

जांच में पाया गया कि वर्ष 2016–17 के दौरान लेखे के विभिन्न राजस्व एवं पूंजीगत मुख्य शीर्षों के व्यय पक्ष मे ₹ 35,329.20 करोड़ (जो कुल व्यय का लगभग 11.53 *प्रतिशत* थे) विभिन्न मुख्य शीर्षों के अधीन लघु शीर्ष 800–अन्य व्यय के अन्तर्गत अभिलेखित किये गये।

इसी प्रकार, लेखे के विभिन्न राजस्व मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 36,826.27 करोड़ (जो कुल राजस्व प्राप्तियों का लगभग 14.34 *प्रतिशत थे*) विभिन्न मुख्य शीर्षों के अधीन लघु शीर्ष 800–अन्य प्राप्तियों के अन्तर्गत अभिलेखित किये गये।

ऐसे उदाहरण जहाँ प्राप्तियों एवं व्यय के बहुत अधिक भाग (सम्बन्धित मुख्य लेखाशीर्ष के अन्तर्गत कुल प्राप्तियों/व्यय का 50 *प्रतिशत* या अधिक) लघु शीर्ष 800–अन्य प्राप्तियों/व्यय के अन्तर्गत वर्गीकृत किये गये थे, का विवरण ys[kkvksa ij fVIi.kh ¼foRr ys[kk&Hkkx&1½ के *ifjf'k"V [k* एवं *x* में दिये गये हैं।

यद्यपि भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के विगत प्रतिवेदनों में उपरोक्त पहलू पर निरन्तर टिप्पणी किये जाने से कुछ सुधार हुआ है। तथ्य है कि सम्बन्धित मुख्य शीर्ष के अधीन बहुत अधिक मात्रा में प्राप्तियों एवं व्ययों को लघु शीर्ष 800 के अन्तर्गत लेखांकन चिन्ता का कारण है क्योंकि यह पारदर्शिता को गंभीर रूप से प्रभावित करता है।

laLrqfr% वित्त विभाग को लघु शीर्ष 800 के अधीन वर्तमान में दर्शित हो रहे सभी मदों की विस्तृत समीक्षा महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के परामर्श से संचालित करनी चाहिए एवं यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि भविष्य में ऐसे सभी प्राप्तियों एवं व्ययों को लेखे के समुचित शीर्ष के अधीन पुस्तांकित किया जाय।

3.5 jksdM+cgh dk vuqj{k.k u fd;k tkuk

प्राप्तियों एवं वितरणों के वित्तीय संव्यहारों के लिये रोकड़बही प्राथमिक अभिलेख है जिसे प्रत्येक कार्यालय में प्राप्तियों एवं शासकीय धन की अभिरक्षा को उचित ढंग से

सुनिश्चित करने के लिये अनिवार्य रूप से अनुरक्षित किया जाना आवश्यक है। रोकड़बही का अनुरक्षण न किया जाना/अनुचित अनुरक्षण से न केवल शुद्धता एवं लेखे की पूर्णता प्रभावित होती है अपितु शासकीय निधियों के सम्भावित कपट, दुर्विनियोग एवं गबन का संकेतक भी है।

राज्य विधायिका को प्रस्तुत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों एवं महालेखाकार द्वारा विभिन्न विभागों को अलग से जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों में उ.प्र. सरकार की विभिन्न इकाइयों द्वारा रोकड़बही का अनुरक्षण न किये जाने/अनुचित अनुरक्षण से सम्बन्धित कई प्रकरणों को सम्मिलित किया गया। उदाहरणस्वरूप, बच्चों के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार की निष्पादन लेखापरीक्षा (वर्ष 2017 की प्रतिवेदन संख्या 2) में पाया गया कि नमूना जांच किये गये 184 स्कूलों में रोकड़बही का अनुरक्षण नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा में पाये गये कुछ अतिरिक्त अद्यतन प्रकरण *ifjf'k"V* ***3.2*** में सूचीबद्ध किये गये है।

laLrqfr% *वित्त विभाग को सुनिश्चित करना चाहिए कि वित्तीय नियमावली में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उ.प्र. सरकार के सभी विभागों एवं अधीनस्थ इकाइयों द्वारा रोकड़बही का अनुरक्षण किया जाय।*

3.6 lkoZtfud {ks= ds miØeksa@fuxeksa ds ys[kkvksa ds vfUrehdj.k esa foyEc

कम्पनी अधिनियम में निर्धारित है कि सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के अन्त से छः महीने के अन्दर अर्थात अगले वित्तीय वर्ष के 30 सितम्बर तक कम्पनियों के वित्तीय विवरणों को अन्तिम रूप देना आवश्यक है। समय पर लेखाओं के प्रस्तुत करने में विफलता, कम्पनी के अधिकारियों को अधिनियम के अन्तर्गत दण्ड प्रावधानों हेतु उत्तरदायी बनाता है, जिसमें अर्थदण्ड एक लाख रूपये तक एवं साथ ही व्यतिक्रम के प्रत्येक अतिरिक्त दिन के लिये अग्रेतर अर्थदण्ड ₹ 5,000 हो सकता है। सांविधिक निगमों के प्रकरण में, संचालित अधिनियम उनसे अपेक्षा करता है कि उनके लेखे का अन्तिमीकरण, सम्प्रेक्षित एवं राज्य विधायिका में प्रस्तुत हो।

उपरोक्त प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए, उ.प्र. में 88 *प्रतिशत* से अधिक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी.एस.यू.) के लेखे बकाया है, जिनका विवरण **lkj.kh 3-5** में है:

lkj.kh 3-5: 31 ekpZ 2017 dks ih-,l-;w- ds okf"kZd ys[kkvksa ds cdk;s dk vof/kokj fooj.k

Ø- l-	fooj.k	fØ;k'khy	vfØ;k'khy	;ksx
1	पी.एस.यू. की संख्या	65	39	104
2(अ)	बकाये लेखे वाले पी.एस.यू./निगम की संख्या	56	36	92
2(ब)	बकाये लेखाओं की संख्या	230	527	757
3(अ)	5 वर्ष से कम बकाया लेखे वाले पी.एस.यू./निगमों की संख्या	40	10	50
3(ब)	उपरोक्त पी.एस.यू./निगमों में बकाया लेखाओं की संख्या	76	24	100
4(अ)	5 से 10 वर्ष के बकाया लेखे वाले पी.एस.यू./निगमों की संख्या	11	6	17
4(ब)	उपरोक्त पी.एस.यू./निगमों में बकाया लेखाओं की संख्या	71	36	107
5(अ)	10 एवं उससे अधिक वर्षों के बकाया लेखे वाले पी.एस.यू./निगमों की संख्या	5	20	25
5(ब)	उपरोक्त पी.एस.यू./निगमों में बकाया लेखाओं की संख्या	83	467	550
6	बकाये लेखाओं की सीमा (वर्ष में)	1 से 19	1 से 34	1 से 34

(स्रोतः सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अद्यतन् अन्तिम लेखे)

लेखाओं के अन्तिमीकरण न होने के कारण, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक कम्पनियों की अनुपूरक लेखापरीक्षा, जैसा कम्पनी अधिनियम में निर्धारित है, एवं निगमों की संवैधानिक लेखापरीक्षा, जैसा उनसे सम्बन्धित अधिनियमों में निर्धारित है, एक से 34 वर्षों से करने में असमर्थ है।

सुसंगत अधिनियमों का अनुपालन व्यतिक्रमी कम्पनियों एवं निगमों द्वारा सुनिश्चित कराये जाने में सम्बन्धित प्रशासनिक विभागों एवं विशेष रूप से वित्त विभाग की विफलता को उपरोक्त सूचित करता है।

यह विशेष रूप से देखे जाने योग्य है कि इन पी.एस.यू. द्वारा वित्तीय सहायता के लिये की गयी मांग की वास्तविकता का निर्णय करने के लिये लेखाओं के अभाव में भी, वित्त विभाग द्वारा इन पी.एस.यू. को इक्विटी, ऋण, सहायता अनुदान/सब्सिडी के अंतः प्रवाह के रूप में बजटीय समर्थन नियमित रूप से उपलब्ध कराया गया। वर्ष 2016–17 के दौरान, शासन द्वारा 16 क्रियाशील कम्पनियों/सांविधिक निगमों को ₹ 21,038.52 करोड़ (इक्विटीः ₹ 13,717.74 करोड़, ऋणः ₹ 3,815.81 करोड़, अनुदानः ₹ 155.87 करोड़ एवं सब्सिडीः ₹ 3,347.57 करोड़) तथा दो अक्रियाशील कम्पनियों को ₹ 1.53 करोड़ का ऋण उपलब्ध कराया गया जिनके लेखाओं का अन्तिमीकरण नहीं हुआ था, विवरण ***ifjf'k"V 3.3*** में दर्शाया गया है।

इसी प्रकार, वर्ष 2015–16 में नौ क्रियाशील कम्पनियों को वित्तीय समर्थन एवं सहायता धनराशि ₹ 19,794.16 करोड़ (इक्विटीः ₹ 19,251.33 करोड़, ऋणः ₹ 162.73 करोड़, अनुदानः ₹ 320.93 करोड़ एवं सब्सिडीः ₹ 59.17 करोड़) उपलब्ध कराया गया जिनके लेखाओं का अन्तिमीकरण नहीं हुआ था, विवरण ***ifjf'k"V 3-4*** में दर्शाया गया है।

वर्ष 2016–17 के दौरान, कुल ₹ 6,741 करोड़ ऋण के रूप में राज्य सरकार द्वारा वितरित किया गया था, जिनमें से मुख्य वितरण यू.पी.पी.सी.एल. को ₹ 3,700 करोड़ का एक ऋण (उदय के लिये), सात ऋण ₹ 490 करोड़ का गन्ना आयुक्त को, 498 ऋण ₹ 330 करोड़ का स्थानीय निकायों के मल–जल निस्तारण एवं स्वच्छता इकाइयों को दिये गये थे।

lLrfr% *वित्त विभाग को उन सभी पी.एस.यू. के प्रकरणों की समीक्षा करनी चाहिए जिनके लेखे बकाया है एवं सुनिश्चित करना चाहिए कि उचित समयान्तर्गत लेखे वर्तमानकालिक बने एवं उन सभी प्रकरणों में वित्तीय समर्थन रोक देना चाहिए जहां लेखे निरन्तर बकाया हैं।*

3.7 v?kksf"kr ykHkka'k

राज्य सरकार द्वारा एक लाभांश नीति प्रतिपादित (अक्टूबर 2002) की गयी जिसके अन्तर्गत सभी लाभ अर्जित करने वाली पी.एस.यू. को राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अंशपूंजी के योगदान का पांच *प्रतिशत* न्यूनतम रिटर्न भुगतान करना आवश्यक है। तद्नुसार, 18 पी.एस.यू.[33] द्वारा लाभांश नीति के अनुसार लाभांश को घोषित करना था। तथापि, मात्र आठ पी.एस.यू.[34] ने ₹ 6.54 करोड़ का लाभांश घोषित किया। शेष लाभ

[33] 18=(कुल पी.एस.यू.: 33 घटायाः 15 पीएस.यू. {तीन पी.एस.यू. यथा उत्तर प्रदेश जल निगम, अपट्रान पावरट्रोनिक्स लिमिटेड एवं यू.सी.एम कोयला कम्पनी लिमिटेड दोनों श्रेणी में आते है अर्थात् हांनि में होना एवं शासकीय अंशपूंजी न होना]।

[34] उ.प्र. प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि., उ.प्र. राज्य औद्योगिक विकास निगम लि., उ.प्र. राजकीय निर्माण निगम लि., उ.प्र. राज्य निर्माण एवं अवसंरचना विकास निगम लि., उ.प्र. राज्य सेतु निगम लि., उ.प्र. इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि., उ.प्र. खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लि. एवं उ.प्र. पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड।

अर्जित करने वाले 10 पी.एस.यू.[35] ने ₹ 507.48 करोड़ का लाभांश घोषित नहीं किया जो देय न्यूनतम लाभांश के भुगतान सम्बन्धी राज्य सरकार की नीति के विपरीत था। विवरण *ifjf'k"V* **3.5** में दिया गया है

lLrfr% राज्य सरकार द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि लाभ अर्जित करने वाले पी.एस.यू. द्वारा वर्ष के अन्त तक विनिर्दिष्ट लाभांश को निश्चित रूप से शासकीय लेखे में जमा किया जाय।

3.8 bfDoVh@_.kk dk feyku u fd;k tkuk

31 मार्च 2017 तक, सरकार ने विभिन्न इकाइयों[36] में कुल ₹ 96,400 करोड़ का निवेश किया था। यह पाया गया कि वित्त लेखे में दिये गये विवरणों एवं पी.एस.यू. द्वारा सूचित आंकड़ों में ₹ 8,241.58 करोड़ की भिन्नता है, जिसका मिलान किया जा रहा है।

इसी प्रकार, उ.प्र. सरकार द्वारा दिये गये ऋण के सम्बन्ध में वित्त लेखे एवं पी.एस.यू. द्वारा सूचित आंकड़ों में भिन्नता है जिसका मिलान किया जा रहा है।

lLrfr% वित्त विभाग एवं सम्बन्धित प्रशासनिक विभागों को अभिलेखों एवं राज्य के निवेश से सम्बन्धित लेखे, ऋण एवं गारन्टी में भिन्नता के मिलान के लिये महालेखाकार (लेखा एवं हक.) के साथ मिलकर कार्य करना चाहिए।

3.9 yfEcr izdj.kk dh fjikfVx

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (जी. एण्ड एस.एस.ए.), उ.प्र., इलाहाबाद में उपलब्ध विवरण/सूचना के अनुसार, वर्ष 2016–17 की अवधि तक चोरी या हानि के 135 प्रकरण निस्तारण हेतु लम्बित थे, जिसमें ₹ 8.83 करोड़ की धनराशि निहित थी। विभागवार लम्बित प्रकरणों एवं उनका अवधिवार विश्लेषण *ifjf'k"V* **3.6** में दिया गया है। ऐसे प्रकरणों की प्रकृति का विवरण *ifjf'k"V* **3.7** में दिया गया है। परिशिष्टियों में दिये गये लम्बित प्रकरणों की प्रकृति एवं अवधिवार स्थिति को **lkj.kh 3.6** में सारांशीकृत किया गया है:

lkj.kh 3-6% yfEcr izdj.kk dh fLFkfr

vof/kokj yfEcr izdj.k			yfEcr izdj.kk dh izd̀fr		
vof/k ¼o"kk e½	izdj.kk dh la[;k	lfEefyr /kujkf'k ¼₹ yk[k e½	izdj.kk dh izd̀fr	izdj.kk dh la[;k	lfEefyr /kujkf'k ¼₹ yk[k e½
0 – 5	6	64.24	चोरी	61	33.21
5 – 10	15	287.80			
10 – 15	22	67.05	दुर्विनियोग	08	58.73
15 – 20	14	62.86			
20 – 25	29	13.55	हानि	24	172.35
25 एवं इससे अधिक	49	387.07	गबन	42	618.28
;kx	**135**	**882.57**	;kx	**135**	**882.57**

(स्रोत% सम्बन्धित विभागों के अभिलेख)

ऐसे प्रकरणों के लम्बित रहने का कारण, जैसा विभागों द्वारा सूचित किया गया, **lkj.kh 3.7** में सूचीबद्ध है:

[35] उ.प्र. राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि., उ.प्र. राज्य भण्डारण निगम, उ.प्र. पुलिस आवास निगम लि., उ.प्र. अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि., उ.प्र. बीज विकास निगम लि., उ.प्र. विकास सिस्टम कारपोरेशन लि., उ.प्र. महिला कल्याण निगम लि., उ.प्र. अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लि., उ.प्र. मत्सय विकास निगम लि. एवं उ.प्र. भूमि सुधार निगम लिमिटेड।

[36] संवैधानिक निगमों (₹ 856 करोड़), सरकारी कम्पनियों (₹ 93,299 करोड़), सहकारिताएं (₹ 2,199 करोड़) एवं बैंक (₹ 58 करोड़)–₹ 12 करोड़ के निवेश के विवरण का मिलान प्रगति में है।

lkj.kh 3.7½ yfEcr izdj.kksa dk dkj.k

foyEc@vo'k"k izdj.kksa dk dkj.k		izdj.kksa dh la[;k	/kujkf'k ¼₹ yk[k esa½
क	विभागीय एवं आपराधिक जाँच प्रतीक्षित है	27	189.67
ख	विभागीय जाँच प्रारम्भ की गयी परन्तु अन्तिम रूप नहीं दिया गया	74	541.63
ग	आपराधिक कार्यवाही पूरी की गयी परन्तु धनराशि की वसूली की कार्यवाही लम्बित हैं	1	4.14
घ	वसूली या अपलेखन के आदेश अपेक्षित हैं	9	6.40
ङ	माननीय न्यायालयों में लम्बित	24	140.73
	;ksx	**135**	**882.57**

(स्रोत½ सम्बन्धित विभागों के अभिलेख)

laLrqfr½ शासन को अधिपत्रित विभागीय कार्यवाही शीघ्रता से पूर्ण करना चाहिये एवं ऐसे प्रकरणों की रोकथाम/पुनरावृत्ति को रोकने के लिये आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली को मजबूत करना चाहिए।

3.10 foHkkxh; okf.kfT;d miØeksa dk izksQkekZ ys[kk

विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रोफॉर्मा वार्षिक लेखे को अन्तिम रूप देना एवं लेखाबन्दी के तीन माह के अन्दर लेखापरीक्षा हेतु महालेखाकार को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हैं। तथापि, यह पाया गया कि, राज्य के नौ विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों में से तीन ने कई वर्षों से अपने लेखाओं को अन्तिम रूप नहीं दिया था। विवरण *ifjf'k"V 3.8* में दिया गया है।

3.11 miHkksx izek.k&i= izsf"kr u fd;k tkuk

वित्तीय नियमावली में निर्धारित है कि जहाँ विशिष्ट उद्देश्यों के लिये सहायता अनुदान स्वीकृत किये जाते हैं, सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों द्वारा अनुदान प्राप्तकर्ताओं से उपभोग प्रमाण–पत्र प्राप्त किये जाने चाहिए, जिन्हें सत्यापन के पश्चात् महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को, निधियों का उपभोग विनिर्दिष्ट उद्देश्यों के लिये किये जाने को सुनिश्चित करने के लिये, अग्रेषित किया जाना चाहिये। तथापि, यह पाया गया कि, 31 मार्च 2017 तक ₹ 97,906.27 करोड़ के उपभोग प्रमाण–पत्र लम्बित थे, जैसा कि **lkj.kh 3.8** में दिया गया है:

lkj.kh 3-8½ yfEcr miHkksx izek.k&i=

vof/k	yfEcr miHkksx izek.k&i=ksa dh la[;k	/kujkf'k (₹djksM+ esa)
2014-15 तक	2,25,597	66,861.14
2015-16	11,355	10,223.77
2016-17	18,071	20,821.36
;ksx	**2,55,023**	**97,906.27**

(स्रोतः वित्त लेखे वर्ष 2016–17)

उपभोग प्रमाण–पत्रों के अप्रस्तुतीकरण के मुख्य प्रकरण *पंचायती राज* विभाग (₹ 25,490.95 करोड़), शिक्षा विभाग (₹ 25,693.52 करोड़), एवं समाज कल्याण विभाग (₹ 26,927.49 करोड़) से सम्बन्धित थे। अप्रस्तुत उपभोग प्रमाण–पत्र के प्रकरण नियमित रूप से भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में सूचित किये जाते रहे हैं, तथापि कोई सुधार नहीं हुआ। कई प्रकरणों में, उन्हीं प्राप्तकर्ताओं द्वारा उन्हीं विभागों से अगला अनुदान प्राप्त करना जारी रखा गया जबकि पूर्व के अनुदानों के उपभोग

प्रमाण पत्र लम्बित थे। उपभोग प्रमाण–पत्रों का अधिकता में लम्बित रहना निधियों के दुर्विनियोजन एवं कपट के जोखिम से भरा हुआ था।

lLrfr% वित्त विभाग द्वारा एक समय सीमा निर्धारित किया जाना चाहिए जिसके अन्तर्गत अनुदान अवमुक्त करने वाले प्रशासनिक विभाग अनुदान आदेश में निहित समय से अधिक लम्बित उपभोग प्रमाण पत्रों का संग्रह करें एवं यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसी अवधि में, प्रशासनिक विभाग व्यतिक्रमी अनुदानग्राहियों को अगला अनुदान अवमुक्त न करे।

3.12 yfEcr foLrr vkdfLed fcy

वित्तीय नियमावली में अपेक्षित है कि संक्षिप्त आकस्मिक (ए.सी.) देयक द्वारा आहरित अग्रिमों का समायोजन शीघ्रता से विस्तृत आकस्मिक (डी.सी.) के माध्यम से किया जाय। तथापि, यह पाया गया कि 31 मार्च 2017 तक ₹ 139.05 करोड़ धनराशि के 3620 ए.सी. देयक समायोजन हेतु लम्बित थे, विवरण **lkj.kh 3.9** में दिया गया है। समय से डी.सी. देयक प्रस्तुत करने में विफलता सम्भावित दुर्विनियोग एवं कपट का संकेतक है।

lkj.kh 3.9% vlek;kftr lf{kIr vkdfLed n;d

vof/k	yfEcr Mh-lh- fcyks dh l[;k	/kujkf'k (₹ djksM+ e)
2014-15 तक	3,329	72.27
2015-16	170	19.04
2016-17	121	47.74
;kx	**3,620**	**139.05**

(स्रोतः वित्त लेखे वर्ष 2016–17)

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि मात्र मार्च 2017 में ही ₹ 32.97 करोड़ के 40 ए.सी. देयक आहरित किये गये, इनमें से 11 ए.सी. देयक ₹ 32.63 करोड़[37] वित्त विभाग द्वारा दिनांक 28 मार्च और 31 मार्च 2017 के मध्य आहरित किये गये। *क्षेत्र पंचायतों* एवं *ग्राम पंचायतों* को नियत कार्यों के लिये सीधे इन निकायों को धनराशि हस्तांतरित किये जाने के स्थान पर वित्त विभाग द्वारा ₹ 32.53 करोड़ का आहरण ए.सी देयक के माध्यम से किये जाने का कारण स्पष्ट नहीं है। ए.सी. देयक से अनावश्यक आहरण एवं निर्धारित समयान्तर्गत डी.सी. देयक प्रस्तुत न किया जाना वित्तीय व्यवस्था का उल्लंघन है एवं लोक निधि के दुर्विनियोजन के जोखिम का संकेतक है तथा अनुपयुक्त प्रथा है।

lLrfr% वित्त विभाग को सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी नियन्त्रक अधिकारियों द्वारा निर्धारित अवधि से अधिक समय से लम्बित सभी ए.सी. देयकों का समायोजन समयबद्ध तरीके से किया जाय एवं यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि मात्र बजट व्यपगत होने से बचाने के लिये ए.सी. देयकों से आहरण न हो।

3.13 tekvk ij C;kt dk Hkxrku u fd;k tkuk

राज्य सरकार द्वारा मुख्य शीर्ष 8336 से 8342 के अन्तर्गत जमा पर ब्याज का भुगतान किये जाने की आवश्यकता है। 31 मार्च 2017 को लोक लेखे से सम्बन्धित इन मुख्य शीर्षों में ₹ 3,767.19 करोड़ (मुख्य शीर्ष 8336–सिविल जमाः ₹ 1.49 करोड़, मुख्य शीर्ष 8338–स्थानीय निधियों की जमाः ₹ 459.68 करोड़ एवं मुख्य शीर्ष 8342–अन्य जमाः ₹ 3,306.02 करोड़) अवशेष था। तथापि, इन जमाओं पर ब्याज का

[37] निदेशक, वित्त विभाग की निधि खाता (₹ 0.09 करोड़) स्टाफ कार/गाड़ी क्रय हेतु (₹ 8,19,000) एवं कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर के क्रय हेतु (₹ 95,500), वित्त विभाग (ऋण सेवाओं एवं अन्य व्यय) के अधीन जिला पंचायत राज अधिकारी, पडरौना को क्षेत्र पंचायत (₹ 5.64 करोड़) एवं ग्राम पंचायत (₹ 26.89 करोड़) के नियत कार्य हेतु।

कोई भुगतान नहीं किया गया जैसा कि तथ्य से स्पष्ट है कि शीर्ष 2049–60–101–जमा पर ब्याज के अन्तर्गत वर्ष 2016–17 के दौरान कोई व्यय पुस्तांकित नहीं किया गया। अनुदारवादी अनुमान लेते हुए मात्र वर्ष 2016–17 के लिये सरकारी उधार पर 6.82 प्रतिशत की दर से इस अवधि के लिये इन जमाओं पर ₹ 256.92 करोड़ ब्याज देय था। जिसके परिणामस्वरूप, वर्ष 2016–17 में राजस्व आधिक्य में ₹ 256.92 करोड़ की अतिशयता हुई।

lLrqfr% वित्त विभाग को मुख्य शीर्ष 8336 से 8342 के अन्तर्गत सभी ब्याज सहित जमाओं पर ब्याज दर्ज करने हेतु समुचित कार्यवाही के लिये अवशेषों की समीक्षा करनी चाहिए।

3.14 jkT; ds iquxZBu ds i'pkr~ vo'ks"kksa dk foHkktu

उत्तर प्रदेश के संयुक्त राज्य के पुनर्गठन 8 नवम्बर 2000 से प्रभावी होने के करीब दो दशक के पश्चात् भी उत्तराधिकारी राज्यों उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड के मध्य जमा और अग्रिम (मुख्य शीर्ष 8336–सिविल जमा से मुख्य शीर्ष 8550–सिविल अग्रिम) के अन्तर्गत प्रदर्शित अवशेष धनराशि ₹ 8,757.37 करोड़ विभाजन हेतु अवशेष है।

lLrqfr% राज्य सरकार द्वारा जमा और अग्रिम (₹ 8,757.37 करोड़) के अवशेषों का विभाजन दोनों उत्तराधिकारी राज्यों के मध्य शीघ्र किया जाना चाहिये।

3.15 jksdM+ vo'ks"k esa fHkUurk

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्गत अवशेषों के सत्यापन प्रमाण–पत्र के अनुसार, माह मार्च 2017 के लिये शासन का डेबिट अवशेष ₹ 1,407.94 करोड़ था जबकि महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा प्रमाणित अन्तिम रोकड़ अवशेष ₹ 1,280.65 करोड़ था। इस प्रकार, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा आगणित एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित किये गये (31.03.2017 को) राज्य सरकार के रोकड़ शेष में विगत वर्षों के अवशेषों सहित ₹ 127.29 करोड़ (निवल डेबिट) का अन्तर है।

राज्य सरकार द्वारा बताया गया (जनवरी, 2018) कि मिलान की प्रक्रिया प्रगति में है।

3.16 /kujkf'k;ksa dk dsUnzh; lM+d fuf/k esa gLrkUrj.k u fd;k tkuk

मुख्य तथा लघु लेखा शीर्षों की सूची में, केन्द्रीय सड़क निधि (सी.आर.एफ.) से सम्बन्धित लेखा प्रक्रिया वर्णित है। इस प्रक्रिया के अनुसार, भारत सरकार से प्राप्त ऐसे अनुदान को सर्वप्रथम लोक लेखे में स्थानान्तरित किया जाना है, जहां से सड़कों तथा सेतुओं के अनुरक्षण एवं मरम्मत पर व्यय करना है। उत्तर प्रदेश सरकार सी.आर.एफ. अनुदान के रूप में वर्ष 2016–17 में प्राप्त ₹ 219.71 करोड़ को लोक लेखे में स्थानान्तरित करने में विफल रहा, यद्यपि सड़कों एवं सेतुओं के अनुरक्षण एवं मरम्मत पर ₹ 4,639.29 करोड़ का व्यय किया गया था, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि भारत सरकार द्वारा अवमुक्त ₹ 219.71 करोड़ में से विनिर्दिष्ट उद्देश्यों पर कितना उपभोग किया गया।

राज्य सरकार ने बताया कि चूंकि केन्द्र सरकार केन्द्रीय सड़क निधि (केन्द्र सरकार द्वारा सृजित) से राज्य सरकार को सड़क निर्माण हेतु अनुदान प्रदान करती है जो मुख्य शीर्ष 1601–केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान के अधीन क्रेडिट होता है एवं सम्बन्धित मुख्य शीर्ष 3054/5054 से राज्य सड़क के अनुरक्षण पर व्यय किया जाता है, जो राज्य सरकार की परिसम्पत्ति है, इसलिए, उस अनुदान के समतुल्य राशि का

हस्तांतरण मुख्य शीर्ष 8449–103–केन्द्रीय सड़क निधि को किया जाना वांछनीय नहीं है।

राज्य सरकार का कथन उचित नहीं है क्योंकि यह केन्द्रीय सड़क निधि की लेखा प्रक्रिया से विचलन है।

3-17 jktLo vkf/kD; ,o jktdk"kh; ?kkV ij iHkko

वित्त लेखे के अनुसार, प्राप्ति एवं व्यय के त्रुटिपूर्ण पुस्तांकन/लेखांकन के परिणामस्वरूप राजस्व आधिक्य में ₹ 4,532.04 करोड़ की अतिशयता एवं राजकोषीय घाटे में ₹ 4,462.96 करोड़ की न्यूनता हुई, जैसा lkj.kh **3-10** में दिया गया है:

lkj.kh 3-10% y[kk d vulkj jktLo vkf/kD; ,o jktdk"kh; ?kkVk ij iHkko

fooj.k	jktLo vkf/kD; ij iHkko (₹ djkM e)		jktdk"kh; ?kkV ij iHkko (₹ djkM e)	
	vfr'k;rk	U;urk	vfr'k;rk	U;urk
लघु निर्माण कार्य एवं सहायता अनुदान राजस्व के स्थान पर पूंजीगत अनुभाग में लेखांकन	69.08	-	-	-
निक्षेप निधि से समेकित निधि में राजस्व प्राप्तियों के रूप में धनराशि का स्थानान्तरण	4,145.61	-	-	4,145.61
प्रतिभूति विमोचन निधि में अंशदान न किया जाना	298.27	-	-	298.27
राज्य आपदा अनुक्रिया निधि के अवशेषों पर ब्याज	19.08	-	-	19.08
;kx	**4,532.04**	**-**	**-**	**4,462.96**

(स्रोतः वित्त लेखे वर्ष 2016–17)

तथापि, प्रतिवेदन के विभिन्न स्थानों पर वर्णित, राजस्व एवं व्यय के त्रुटिपूर्ण पुस्तांकन/लेखांकन का प्रभाव, जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा आगणित किया गया, lkj.kh **3.11** में दिया गया है:

lkj.kh 3-11% y[kkijh{kk d vulkj jktLo vkf/kD; ,o jktdk"kh; ?kkVk ij iHkko

fooj.k	jktLo vkf/kD; ij iHkko (₹ djkM e)		jktdk"kh; ?kkV ij iHkko (₹ djkM e)	
	vfr'k;rk	U;urk	vfr'k;rk	U;urk
लघु निर्माण कार्य एवं सहायता अनुदान राजस्व के स्थान पर पूंजीगत अनुभाग में लेखांकन	69.08	-	-	-
निक्षेप निधि के लेन–देन	-	6,626.74	6,626.74	-
प्रतिभूति विमोचन निधि में अंशदान न किया जाना	298.27	-	-	298.27
राज्य आपदा अनुक्रिया निधि के अवशेषों पर ब्याज	19.08	-	-	19.08
जमाओं पर ब्याज का भुगतान न किया जाना	256.92	-	-	256.92
बोर्ड को अस्थानान्तरित श्रम उपकर की धनराशि	34.48	-	-	34.48
;kx	**677.83**	**6,626.74**	**6,626.74**	**608.75**

उपरोक्त दृष्टि से, राज्य का राजस्व आधिक्य एवं राजकोषीय घाटा जो क्रमशः ₹ 20,283 करोड़ एवं ₹ 41,187 करोड़ (उदय को छोड़कर) था, वास्तव में ₹ 19,605 करोड़ एवं ₹ 41,796 करोड़ होगा। निक्षेप निधि के उपरोक्त लेन–देनों के प्रभाव से राज्य के बकाया दायित्व में उक्त सीमा तक वृद्धि होगी अर्थात् बकाया दायित्व ₹ 4,08,422 करोड़ (उदय को छोड़कर) के स्थान पर ₹ 4,15,049 करोड़ होगा, जैसा कि lkj.kh **1.32** में प्रदर्शित है। राज्य की उपलब्धियों पर इन समस्त प्रभावों का वर्णन iSjk **1.1.2** में किया गया है।

¼ih0 d0 dVkfj;k½
प्रधान महालेखाकार (जी0 एण्ड एस0एस0ए0)
उत्तर प्रदेश

इलाहाबाद
दिनांक 06 जून 2018

प्रतिहस्ताक्षरित

¼jktho egf"k½
भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक 7th June, 2018

ifjf'k"V 1.1

jkT; dk ifjn'

(संदर्भः राज्य का परिदृश्य; पृष्ठ 1)

v- lkekU; vkdM+s			
Ø0 l0	fooj.k		vkdM+s
1	क्षेत्रफल		2,40,928 वर्ग किमी0
2	जनसंख्या		
	अ. 2011 की जनगणना के अनुसार		19.98 करोड़
	ब. **2016**		22.01 करोड़
3	अ. जनसंख्या घनत्व (2001 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय घनत्व = 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी0)		690 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी0
	ब. जनसंख्या घनत्व[1] (2011 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय घनत्व = 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी0)		829 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी0
4	गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या[2] (बी0पी0एल0) (अखिल भारतीय औसत = 21.90 *प्रतिशत*)		29.40 *प्रतिशत*
5	अ. साक्षरता (2001 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय औसत = 64.80 *प्रतिशत*)		56.27 *प्रतिशत*
	ब. साक्षरता[3] 2011 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय औसत = 73.00 *प्रतिशत*)		67.70 *प्रतिशत*
6	शिशु मृत्युदर **2015**[4] (प्रति 1000 जन्म पर) (अखिल भारतीय औसत = 37 प्रति 1000 जन्म पर)		46 प्रति 1000 जन्म पर
7	जन्म के समय जीवन की प्रत्याशा[5] **2011-15** (अखिल भारतीय औसत =68.3 वर्ष)		64.5 वर्ष
8	गिनी गुणांक[6]		
	अ. ग्रामीण (अखिल भारतीय = 0.29)		0.36
	ब. शहरी (अखिल भारतीय = 0.38)		0.33
9	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) वर्तमान मूल्यों पर		₹ 12,75,141 करोड़
10	प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर (2007-08 से 2016-17)	उत्तर प्रदेश	12.40
		सामान्य श्रेणी राज्य	13.20
11	सकल राज्य घरेलू उत्पाद[7] मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर (2007-08 से 2016-17)	उत्तर प्रदेश	14.30
		सामान्य श्रेणी राज्य	14.60
12	जनसंख्या वृद्धि[8] **(2007** से **2016)**	उत्तर प्रदेश	16.60
		सामान्य श्रेणी राज्य	11.90

[1] अन्तिम जनसंख्या भारतीय जनगणना सूचना 2011
[2] इकोनोमिक सर्वे 2016-17 (अगस्त 2017), भाग II, पृष्ठ अ 154
[3] इकोनोमिक सर्वे 2016-17 (अगस्त 2017), भाग II, पृष्ठ अ 149
[4] इकोनोमिक सर्वे 2016-17 (अगस्त 2017), भाग II, पृष्ठ अ 156
[5] इकोनोमिक सर्वे 2016-17 (अगस्त 2017), भाग II, पृष्ठ अ 146
[6] गिनी गुणांक, जनता की आय में परस्पर असमानता का मापक है। शून्य से एक के पैमाने पर, शून्य के समीप होने पर असमानता कम तथा एक के समीप होने पर असमानता अधिक होगी। वर्ष 2009-10 के लिये उपलब्ध अद्यतन आंकड़ों का समावेश किया गया है। एचटीटीपी://प्लानिंगकमीशन.एनआईसी.इन/डेटा/डेटाटेबिल/डेटा_2312/डेटाबुकडीईसी2014%20106.पीडीएफ
[7] भारत एवं राज्यों के जनसंख्या अनुमान 2001–2016 (पुनरीक्षित दिसम्बर 2006) राष्ट्रीय जनसंख्या कमीशन द्वारा गठित जनसंख्या अनुमान के तकनीकी ग्रुप के प्रतिवेदन की सारणी 14 (1 अक्टूबर 2001-2016 को लिंग आधारित कुल जनसंख्या)
[8] 1 अगस्त 2017 को सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी सकल राज्य घरेलू उत्पाद मे विवरण में वर्ष के लिये कुछ राज्यों जैसे गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, अरूणाचल प्रदेश, असम, जम्मू एवं कश्मीर (बजट भाषण 2017-18) मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड एवं त्रिपुरा के आंकड़े नहीं दिये गये है। अतः इन राज्यों के आंकड़े संबंधित महालेखाकारों से प्राप्त किये गये है।

Ø0 l0	fooj.k		vkdM+s ¼izfr'kr esa½			
	c- foRrh; vkdM+s					
	fefJr okf"kZd of) nj		2007-08 ls 2015-16		2015-16 ls 2016-17	
			lkekU; Js.kh jkT;	mRrj izns'k	lkekU; Js.kh jkT;	mRrj izns'k
13	क.	राजस्व प्राप्तियाँ	14.58	16.12	11.52	13.12
	ख.	कर राजस्व	14.80	15.89	13.50	5.90
	ग.	करेतर राजस्व	9.45	18.84	12.10	25.11
	घ.	कुल व्यय	15.84	16.75	15.31	9.38
	ङ.	पूंजीगत व्यय	14.53	18.16	17.91	8.33
	च.	शिक्षा पर राजस्व व्यय	16.86	18.39	9.86	15.85
	छ.	स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय	18.43	17.40	14.92	14.89
	ज.	वेतन एवं मजदूरी	14.89	18.34	13.06	14.75
	झ.	पेंशन	17.17	18.68	10.63	16.88

(स्रोतः वित्तीय आंकड़े वित्त लेखे वर्ष 2016-17 पर आधारित है)

ifjf'k"V 1.2

'kkldh; y[k dk :i ,o lajpuk rFkk foRr y[k dk ik:i

(संदर्भ: प्रस्तर 1.1; पृष्ठ 2)

Hkkx&v% 'kkldh; y[k dk :i ,o lajpuk	
'kkldh; y[k dh lajpuk: राज्य सरकार के लेखे को तीन भागों में रखा गया है (i) समेकित निधि, (ii) आकस्मिकता निधि तथा (iii) लोक लेखे।	
Hkkx-1 lefdr fuf/k% राज्य सरकार की समस्त राजस्व प्राप्तियां, ट्रेजरी बिलों के जरिये उगाहे गये समस्त ऋण, आन्तरिक एवं वाह्य ऋण तथा सरकार द्वारा ऋणों के भुगतान हेतु प्राप्त समस्त धनराशि एक समेकित निधि का गठन करता है जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 (1) के अन्तर्गत गठित 'राज्य की समेकित निधि' नाम से जाना जाता है।	
Hkkx-2 vkdfLedrk fuf/k% संविधान के अनुच्छेद 267(2) के अन्तर्गत राज्य की आकस्मिकता निधि का गठन होता है जो एक प्रकार का अग्रदाय है जिसमें से अति आवश्यक अनपेक्षित व्यय को पूरा करने हेतु अग्रिम लिया जाता है जो राज्यपाल के अधिकार में है। इस प्रकार के व्यय हेतु तथा बाद में इसी के बराबर की धनराशि के समेकित निधि से आहरण हेतु विधायिका की संस्तुति प्राप्त की जाती है, जिससे आकस्मिकता निधि से लिये गये अग्रिमों की प्रतिपूर्ति की जाती है।	
Hkkx-3 ykd y[k% प्राप्तियों एवं वितरणों से सम्बन्धित कुछ लेनदेनों यथा लघु बचत, भविष्य निधि, समेकित निधि, निक्षेप, उचन्त, प्रेषण इत्यादि जो समेकित निधि के भाग नहीं होते, को संविधान की धारा 266(2) के अन्तर्गत लोक लेखे में रखे जाते हैं एवं वे राज्य विधायिका के द्वारा मतदान का विषय नहीं होते हैं।	
Hkkx&c% foRr y[k dk ik:i	
fooj.k l0	ik:i
foRr y[k nks Hkkxks e foHkkftr gSA Hkkx ,d ljdkj dh foRrh; fooj.k dks lkjka'khd`r #i e vkj Hkkx nks e foLr`r fooj.k iLrr fd;k tkrk gSA Hkkx ,d e Hkkjr ds fu;a=d ,o egkys[kkijh{kd ds iek.k&i=] 13 lkjka'k fooj.k vkj y[k dh ;ktuk ij fVIi.kh dk lfEefyr fd;k tkrk g tSlk fd uhps fn;k x;k gSA	
[k.M&I	
1	वित्तीय स्थिति का विवरण
2	प्राप्तियों एवं संवितरणों का विवरण, अनुलग्नक–अ, रोकड़ शेष और रोकड़ शेषों के निवेश सहित
3	प्राप्तियों का विवरण (समेकित निधि)
4	व्यय का विवरण (समेकित निधि)
5	प्रगामी पूंजीगत व्यय का विवरण
6	उधारों और अन्य दायित्वों का विवरण
7	सरकार द्वारा दिए गये ऋणों एवं अग्रिमों का विवरण
8	सरकार के निवेशों का विवरण
9	सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों का विवरण
10	सरकार द्वारा दिए गये सहायता अनुदानों का विवरण
11	दत्तमत और प्रभारित व्यय का विवरण
12	राजस्व लेखे से भिन्न व्ययों के लिए निधियों के स्रोत एवं प्रयोग का विवरण
13	समेकित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखे के अन्तर्गत शेष राशियों का सारांश

[k.M&II	
Hkkx&I	
14	राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण
15	राजस्व व्यय का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण
16	पूंजीगत व्यय का लघु शीर्षवार तथा उप शीर्षवार विस्तृत विवरण
17	उधार एवं अन्य दायित्वों का विस्तृत विवरण
18	राज्य सरकार द्वारा दिए गये ऋणों एवं अग्रिमों का विस्तृत विवरण
19	सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण
20	सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों का विस्तृत विवरण
21	आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखे के लेन–देनों का विस्तृत विवरण
22	उद्दिष्ट शेषों के निवेश का विस्तृत विवरण
Hkkx&II ¼ifjf'k"V½	
परिशिष्ट–I	वेतन पर तुलनात्मक व्यय
परिशिष्ट–II	सब्सिडी पर तुलनात्मक व्यय
परिशिष्ट–III	राज्य सरकार द्वारा दिये गये सहायता अनुदान/सहायता (संस्थानवार और योजनावार)
परिशिष्ट–IV	वाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं का विवरण
परिशिष्ट–V	आयोजनागत योजना व्यय अ. केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय पुरोनिधानित योजनाएं एवं केन्द्रीय आयोजनागत योजनाएं) ब. राज्य आयोजनागत योजनाएं
परिशिष्ट–VI	राज्य में क्रियान्वयन एजेन्सियों को केन्द्रीय योजना निधियों का सीधा अन्तरण (राज्य बजट के बाहर से प्राप्त निधियाँ) (असंप्रेक्षित आँकड़े)
परिशिष्ट–VII	शेषों की स्वीकृति एवं मिलान (जैसा विवरण संख्या 18 एवं 21 में दर्शाया गया है)
परिशिष्ट–VIII	सिंचाई निर्माण कार्यों के वित्तीय परिणाम
परिशिष्ट–IX	सरकार की वचनबद्धता – अपूर्ण पूंजीगत कार्यों की सूची
परिशिष्ट–X	वेतन एवं गैर वेतन भाग में विभक्त अनुरक्षण व्यय
परिशिष्ट–XI	वर्ष के दौरान सरकार के प्रमुख नीतिगत निर्णय अथवा बजट में प्रस्तावित नई योजनाएं
परिशिष्ट–XII	सरकार की वचनबद्ध देयताएं
परिशिष्ट–XIII	मदें, जिनके लिये राज्यों के मध्य शेषों का विभाजन राज्यों के पुनर्गठन के फलस्वरूप अन्तिम रुप से नहीं हुआ है

ifjf'k"V 1.3

o"k 2016-17 d fy, çkfIr;k ,o lforj.kk dk lkj

(संदर्भ: प्रस्तर 1.1.1; पृष्ठ)

(₹ djkM esa)

çkfIr;k				lforj.k					
2015-16			**2016-17**	**2015-16**			vk;ktuRrj	vk;ktukxr	**2016-17**
Hkkx ^v^									
2,27,075.94	**I**	jktLo izkfIr;k	**2,56,875.15**	**2,12,735.95**	**I**	jktLo 0;;	**1,86,886.03**	**49,706.23**	**2,36,592.26**
81,106.26		-कर राजस्व	**85,965.92**	**72,227.92**		lkekU; lsok,a	**88,110.97**	**143.84**	**88,254.81**
				82,486.46		lkekftd lsok,a	**50,702.89**	**41,158.23**	**91,861.12**
23,134.65		- करेतर राजस्व	28,944.07	45,077.35		-शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	34,201.21	18,018.70	52,219.91
				11,195.21		-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	6,929.68	5,931.85	12,861.53
90,973.69		- संघीय करों में राज्यांश	1,09,428.29	3,924.34		-जल आपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास	2,322.82	2,212.94	4,535.76
				190.35		-सूचना एवं प्रसारण	611.87	1.06	612.93
8,273.90		-आयोजनेत्तर अनुदान	9,334.95	4,510.78		-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	1,410.51	2,760.53	4,171.04
1,933.17		-राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान	232.32	514.10		-श्रम तथा श्रमिक कल्याण	426.89	209.02	635.91
				16,995.08		-समाज कल्याण तथा पोषण	4,705.66	12,023.63	16,729.29
21,654.27		-केन्द्रीय तथा केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाओं हेतु अनुदान	22,969.60	79.25		-अन्य	94.25	0.50	94.75
0.00		वाह्य अनुदान सहायता	0.00	**47,881.29**		vkfFkd lsok,a	**37,430.01**	**8,404.16**	**45,834.17**
				5,097.83		-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध सेवाएँ	3,278.74	2,320.54	5,599.28
				7,714.16		-ग्राम्य विकास	9,004.22	4,844.03	13,848.25
				11.68		-विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम	0.01	11.97	11.98
				5,221.93		-सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	4,838.60	627.52	5,466.12
				22,225.00		-ऊर्जा	14,398.12	141.62	14,539.74

				3,082.18		-उद्योग एवं खनिज	283.73	388.78	672.51
				3,572.60		-परिवहन	4,825.02	0.90	4,825.92
				37.77		-विज्ञान, तकनीकी एवं पर्यावरण	19.20	43.45	62.65
				918.14		-सामान्य आर्थिक सेवाएं	782.35	25.35	807.70
				10,140.28		lgk;rk vuqnku ,oa va'knku	**10,642.16**	-	**10,642.16**
2,27,075.94		;ksx	**2,56,875.15**	**2,12,735.95**		;ksx	**1,86,886.03**	**49,706.23**	**2,36,592.26**
'kwU;	**II**	jktLo ?kkVk Hkkx ^c* dks vxzsf"kr	'kwU;	**14,339.99**	**II**	jktLo vkf/kD; Hkkx ^c*dks vxzsf"kr	-	-	**20282.89**
2,27,075.94		;ksx	**2,56,875.15**	**2,27,075.94**		;ksx			**2,56,875.15**
Hkkx ^c*									
(-)401.32	**III**	çkjfEHkd jksdM+ 'ks"k] LFkkbZ vfxze ,oa jksdM+ 'ks"k fuos'k lfgr	**(-)202.28**	-	**III**	Hkkjrh; fjtoZ cSad ls çkjfEHkd vkojMªk¶V	-	-	-
-	**IV**	fofo/k iwathxr çkfIr;ka	-	**64,422.73**	**IV**	iwathxr ifjO;;	**9,215.70**	**60,573.42**	**69,789.12**
				5,259.08		lkekU; lsok,a	**2,396.10**	**3,331.20**	**5,727.30**
				11,706.76		lkekftd lsok,a	**191.11**	**16,959.36**	**17,150.47**
				1,130.44		-शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	3.05	2,015.25	2,018.30
				2,256.01		-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	15.46	2,906.84	2,922.30
				7,286.48		-जल आपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास	136.20	10,521.40	10,657.60
				117.31		-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	-	85.31	85.31
				662.17		-समाज कल्याण तथा पोषण	1.16	1,108.54	1,109.70
				254.35		-अन्य	35.24	322.01	357.25
				47,456.89		vkfFkZd lsok,a	**6,628.49**	**40,282.86**	**46,911.35**
				2,271.78		-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध क्रियाकलाप	2,892.46	1,028.67	3,921.13
				4,756.88		-ग्राम्य विकास	-	2,249.22	2,249.22

				554.42		-विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम	-	698.02	698.02
				5,051.88		-सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	-	5,200.76	5,200.76
				18,809.10		-ऊर्जा	3,729.65	8,005.43	11,735.08
				91.85		-उद्योग एवं खनिज	5.83	146.20	152.03
				15,715.45		-परिवहन	0.55	22,652.52	22,653.07
				203.53		-सामान्य आर्थिक सेवाएं	-	297.60	297.60
				2.00		-विज्ञान, तकनीकी एवं पर्यावरण	-	4.42	4.42
725.63	**V**	_.kk ,o vfxek dh olyh	**258.79**	**9,117.91**	**V**	lforfjr _.k rFkk vfxe	**6,741.09**	**-**	**6,741.09**
				6,083.12		-विद्युत परियोजनाओं हेतु	3700.32	-	3,700.32
				106.79		-सरकारी कर्मचारियों को	91.54	-	91.54
				2,928.00		-अन्य को	2,949.24	-	2,949.24
14,339.99	**VI**	v/kkuhr jktLo vf/k'k"k	**20,282.89**	-	**VI**	v/kkuhr jktLo ?kkVk	-	-	-
74,513.58	**VII**	ykd _.k çkfIr;k	**67,685.07**	**17,672.76**	**VII**	ykd _.k dk iuHkxrku	**20,302.67**	**-**	**20,302.67**
69,421.17		-अर्थोपाय अग्रिमों एवं ओवरड्राफ्ट से भिन्न आन्तरिक ऋण	57,958.94	10,044.95		-अर्थोपाय अग्रिमों एवं ओवरड्राफ्ट से भिन्न आन्तरिक ऋण	10,167.95	-	10,167.95
4,498.55		-अर्थोपाय अग्रिम के अन्तर्गत निवल लेन देन	8,695.05	6,230.51		-अर्थोपाय अग्रिम के अन्तर्गत निवल लेनदेन	8,695.05	-	8,695.05
00		-ओवरड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेन देन	-	0.00		-ओवरड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेनदेन	-	-	-
593.86		-केन्द्रीय सरकार से ऋण तथा अग्रिम	1,031.08	1,397.30		-केन्द्रीय सरकार से ऋण एवं अग्रिम का पुनर्भुगतान	1,439.67	-	1,439.67
-	**VIII**	vkdfLedrk fuf/k l fofu;kx	-	-	**VIII**	vkdfLedrk fuf/k dk fofu;kx	-	-	-
201.28	**IX**	vkdfLedrk fuf/k dk LFkkukUrfjr /kujkf'k	**173.12**	**44.07**	**IX**	vkdfLedrk fuf/k l 0;;	349.16	-	**349.16**
2,65,971.96	**X**	ykd y[k çkfIr;k	**3,06,406.38**	**2,64,293.87**	**X**	ykd y[k lforj.k	2,96,523.22	-	**2,96,523.22**
10,302.77		-अल्प बचतें एवं	10,171.49	8,768.41		-अल्प बचतें एवं	8,552.40	-	8,552.40

		भविष्य निधियां				भविष्य निधियां			
15,598.88		-आरक्षित निधियां	20,005.79	13,038.35		-आरक्षित निधियां	12,780.77	-	12,780.77
1,98,734.45		-उचन्त एवं विविध	15,762.62	1,99,411.79		-उचन्त एवं विविध	16,063.24	-	16,063.24
27,976.77		-प्रेषण	2,27,377.96	28,173.38		-प्रेषण	2,26,786.07	-	2,26,786.07
13,359.09		-जमा तथा अग्रिम	33,088.52	14,901.94		-जमा तथा अग्रिम	32,340.74	-	32,340.74
-	**XI**	Hkkjrh; fjtoZ cSd ls vkojMk¶V dk vfre vo'k"k	-	**(-) 200.21**	**XI**	vfre jkdM 'k"k		-	**898.71**
				00		-कोषागार में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण	-	-	00
				(-) 1,409.33		भारतीय रिजर्व बैंक में जमा	-	-	(-)1,280.65
				12.68		-स्थायी अग्रिमों सहित विभागीय रोकड़ शेष	-	-	11.13
				1,196.44		-रोकड़ शेष निवेश लेखा	-	-	2,168.23
5,68,087.07		;kx	**6,51,479.12**	**5,68,087.07**		;kx			**6,51,479.12**

ifjf'k"V 1.4

Ok"kZ 2016-17 ds fy, ctV vuqeku] okLrfod izkfIr;k¡ ,oa O;;

(संदर्भः प्रस्तर 1.1.3; पृष्ठ 6)

(₹ djksM+ esa)

fooj.k	ctV vuqeku	okLrfod O;;	of) (+)/ deh (-)	of) (+)/ deh (-) izfr'kr esa
1	**2**	**3**	**4 (3-2)**	**5**
jktLo izkfIr;k¡ ftlesa	**2,81,555.44**	**2,56,875.15**	**-24680.29**	**-8.77**
dj jktLo	**1,01,256.50**	**85,965.92**	**-15290.58**	**-15.10**
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	57,940.30	51,882.88	-6057.42	-10.45
राज्य आबकारी	19,250.00	14,273.49	-4976.51	-25.85
वाहनों पर कर	5,123.80	5,148.06	24.26	0.47
स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क	16,319.60	11,564.02	-4755.58	-29.14
सामान एवं यात्रियों पर कर	0.00	0.31	0.31	0.00
भू–राजस्व	660.00	760.05	100.05	15.16
अन्य कर	1,962.80	2,337.11	374.31	19.07
djsrj jktLo	**24,240.85**	**28,944.07**	**4703.22**	**19.40**
ब्याज प्राप्तियाँ	750.00	1164.94	414.94	55.33
विविध सामान्य सेवाएँ	4,220.61	4,460.40	239.79	5.68
अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग	1,650.00	1,548.39	-101.61	-6.16
अन्य करेतर राजस्व	17,620.24	21,770.34	4150.10	23.55
dsUnzh; djksa ,oa 'kYdksa dk va'k	**1,05,637.10**	**1,09,428.29**	**3791.19**	**3.59**
Hkkjr ljdkj ls lgk;rk vuqnku	**50,420.99**	**32,536.87**	**-17884.12**	**-35.47**
jktLo O;; ftlesa	**2,53,354.54**	**2,36,592.26**	**-16762.28**	**-6.62**
lkekU; lsok,¡	**92,856.00**	**88,254.81**	**-4601.19**	**-4.96**
प्रशासनिक सेवाएँ	19,242.62	16,324.14	-2918.48	-15.17
पेन्शन एवं विविध सामान्य सेवाएँ	28,539.82	28,270.19	-269.63	-0.94
ब्याज का भुगतान तथा ऋण सेवा	38,106.31	37,708.02	-398.29	-1.05
राजकोषीय सेवाएँ	4,073.20	3,470.89	-602.31	-14.79
राज्य के अंग	2,894.04	2,481.57	-412.47	-14.25
lkekftd lsok,¡	**1,01,789.83**	**91,861.12**	**-9928.71**	**-9.75**
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	52,332.21	52,219.91	-112.30	-0.21
समाज कल्याण एवं पोषण	20,637.01	16,729.29	-3907.72	-18.94
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	5,228.96	4,171.04	-1057.92	-20.23
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	15,452.96	12,861.53	-2591.43	-16.77
जलापूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास	6,628.95	4,535.76	-2093.19	-31.58
सूचना एवं प्रसार	331.69	612.93	281.24	84.79
श्रम एवं श्रमिक कल्याण	1,070.37	635.91	-434.46	-40.59
अन्य	107.68	94.75	-12.93	-12.01

vkfFkd lsok,	**48,021.19**	**45,834.17**	**-2187.02**	**-4.55**
कृषि तथा सम्बद्ध सेवाएँ	6,850.18	5,599.30	-1250.88	-18.26
ग्राम्य विकास	12,417.99	13,848.25	1430.26	11.52
विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम	58.51	11.98	-46.53	-79.52
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	6,920.05	5,466.12	-1453.93	-21.01
ऊर्जा	13,942.57	14,539.74	597.17	4.28
उद्योग एवं खनिज	3,105.72	672.52	-2433.20	-78.35
परिवहन	3,545.32	4,825.92	1280.60	36.12
विज्ञान, तकनीकी एवं पर्यावरण	62.86	62.65	-0.21	-0.33
सामान्य आर्थिक सेवाएं	1,117.98	807.69	-310.29	-27.75
lgk;rk vuqnku ,oa va'knku	**10,687.52**	**10,642.16**	**-45.36**	**-0.42**
iwathxr 0;; ftlesa	**71,877.99**	**69,789.12**	**-2088.87**	**-2.91**
lkekU; lsok,a	**6,824.00**	**5,727.30**	**-1096.70**	**-16.07**
lkekftd lsok,a	**19,009.47**	**17,150.47**	**-1859.00**	**-9.78**
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	3,701.74	2,018.30	-1683.44	-45.48
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	3,683.59	2,922.30	-761.29	-20.67
जलापूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास	9,774.55	10,657.60	883.05	9.03
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	180.04	85.31	-94.73	-52.62
समाज कल्याण एवं पोषण	1,273.73	1,109.70	-164.03	-12.88
अन्य सामाजिक सेवाएं	395.82	357.26	-38.56	-9.74
vkfFkd lsok,a	**46,044.52**	**46,911.35**	**866.83**	**1.88**
कृषि तथा सम्बद्ध सेवाएं	1,286.15	3,921.13	2634.98	204.87
ग्राम्य विकास	6,135.00	2,249.22	-3885.78	-63.34
विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम	834.24	698.02	-136.22	-16.33
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	6,904.95	5,200.76	-1704.19	-24.68
ऊर्जा	11,577.59	11,735.09	157.50	1.36
उद्योग एवं खनिज	148.10	152.03	3.93	2.65
परिवहन	19,001.55	22,653.08	3651.53	19.22
विज्ञान, तकनीकी एवं पर्यावरण	4.50	4.42	-0.08	-1.78
सामान्य आर्थिक सेवाएं	152.45	297.60	145.15	95.21
jktLo vkf/kD; ¼$½@?kkVk ¼&½	**28,200.90**	**20,282.89**	**-7918.01**	**-28.08**
jktdks"kh; ?kkVk ¼&½	**49,960.88**	**55,988.53**	**6027.65**	**12.06**
izkFkfed vkf/kD; ¼$½@?kkVk ¼&½	**22,626.92**	**29,052.86**	**6425.94**	**28.40**

ifjf'k"V 1.5
jkT; ljdkj d foRr d le;c) vkdM

(संदर्भ: प्रस्तर 1.3; पृष्ठ)

(₹ djkM e)

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
Hkkx v- çkfIr;k					
1. jktLo çkfIr;k	**1,45,904**	**1,68,214**	**1,93,422**	**2,27,076**	**2,56,875**
(i) Lo;a dk dj jktLo	58,098(40)	66,582(40)	74,172(38)	81,106(36)	8,59,66(33)
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	34,870 (60)	39,645(60)	42,934(58)	47,692(59)	51,883(60)
राज्य आबकारी	9,782 (17)	11,644(18)	13,483(18)	14,084(17)	14,274(17)
वाहनों पर कर	2,993 (5)	3,441(5)	3,797(5)	4,410(5)	5,148(6)
स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क	8,742 (15)	9,521(14)	11,803(16)	12,404(15)	11,564(13)
भू–राजस्व	805 (1)	772(1)	527(1)	505(1)	760(1)
सामान तथा यात्रियों पर कर	1 (0)	1(0)	1(0)	1(0)	0
अन्य कर	905 (2)	1,558(2)	1,627(2)	2,010(3)	2,337(3)
(ii) djrj jktLo	12,970 (9)	16,450(10)	19,935(10)	23,135(10)	28,944(11)
(iii) l?kh; djk ,o 'kYdk e jkT;k'k	57,498 (39)	62,777(37)	66,623(35)	90,974(40)	1,09,428(43)
(iv) Hkkjr ljdkj l lgk;rk vuqnku	17,338 (12)	22,405(13)	32,692(17)	31,861(14)	32,537(13)
2. fofo/k iithxr çkfIr;k	-	-	-	-	-
3. _.k ,o vfxeka dh olyh	**419**	**589**	**262**	**726**	**259**
4. dy jktLo ,o xj _.k iithxr çkfIr;k ¼1$2$3½	**1,46,323**	**1,68,803**	**1,93,684**	**2,27,802**	**25,7134**
5. ykd _.k çkfIr;k	**15,820**	**14,900**	**35,520**	**74,514**	**67,685**
आन्तरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)	15,493 (98)	14,502(97)	33,302(94)	69,421(93)	57,959(86)
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेन–देन	31 (0)	8(0)	1,732(5)	4,499(6)	8,695(13)
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	296 (2)	390(3)	486(1)	594(1)	1,031(1)
6. lefdr fuf/k e dy çkfIr;k ¼4$5½	**1,62,143**	**1,83,703**	**2,29,204**	**3,02,316**	**3,24,819**
7. vkdfLedrk fuf/k çkfIr;k	**310**	**262**	**1**	**201**	**173**
8. ykd y[kk ikfIr;k	**1,43,478**	**2,26,078**	**2,30,199**	**2,65,972**	**3,06,406**
9. jkT; dh dy çkfIr;k ¼6$7$8½	**3,05,931**	**4,10,043**	**4,59,404**	**5,68,489**	**6,31,398**
Hkkx c- 0;;@laforj.k					
10. jktLo 0;;	**1,40,724 (85)**	**1,58,147(82)**	**1,71,027(76)**	**2,12,736(74)**	**2,36,592(76)**
आयोजनागत	25,878 (18)	31,657(20)	33,262(19)	43,251(20)	49,706(21)
आयोजनेत्तर	1,14,846 (82)	1,26,490(80)	1,37,765(81)	1,69,485(80)	1,86,886(79)
सामान्य सेवाएं (ब्याज भुगतान सहित)	59,907 (43)	61,983(39)	64,305(38)	72,228(34)	88,255(37)
सामाजिक सेवाएं	53,300 (38)	60,756(39)	60,906(36)	82,487(39)	91,861(39)
आर्थिक सेवाएं	21,338 (15)	25,711(16)	34,885(20)	47,881(22)	45,834(19)
सहायता अनुदान एवं अंशदान	6,179 (4)	9,696(6)	10,931(6)	10,140(5)	10,642(5)
11. पूंजीगत व्यय	**23,834 (14)**	**32,863(17)**	**53,297(23)**	**64,423(23)**	**69,789(22)**
आयोजनागत	22,608 (95)	30,608(93)	44,416(83)	49,045(76)	60,573(87)

आयोजनेत्तर	1,226 (5)	2,255(7)	8,881(17)	15,378(24)	9,216(13)
सामान्य सेवाएं	1,405 (6)	3,463(10)	4,009(7)	5,259(8)	5,727(8)
सामाजिक सेवाएं	7,594 (32)	6,760(21)	12,755(24)	11,707(18)	17,151(25)
आर्थिक सेवाएं	14,835 (62)	22,640(69)	36,534(69)	47,457(74)	46,911(67)
12. ऋणों एवं अग्रिमों का संवितरण	**1,003 (1)**	**1,473(1)**	**1,873**(1)	**9,118(3)**	**6,741(2)**
13. कुल व्यय **(10+11+12)**	**1,65,561**	**1,92,483**	**2,26,197**	**2,86,277**	**3,13,122**
14. लोक ऋण का पुनर्भुगतान	**8,909**	**8,167**	**9,411**	**17,673**	**20,303**
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)	7,514 (84)	6,694(82)	8,051(86)	10,045(57)	10,168(50)
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेन–देन	-	8(0)	-	6,231(35)	8,695(43)
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	1,395 (16)	1,465(18)	1,360(14)	1,397(8)	1,440(7)
15. आकस्मिकता निधि को विनियोग	-	-	-	-	-
16. समेकित निधि से कुल संवितरण (कुल व्यय) **(13+14+15)**	**1,74,470**	**2,00,650**	**2,35,608**	**3,03,950**	**3,33,425**
17. आकस्मिकता निधि संवितरण	**262**	**87**	**203**	**44**	**349**
18. लोक लेखे संवितरण	**1,29,472**	**2,20,459**	**2,28,014**	**2,64,294**	**2,96,523**
19. jkT; }kjk dqy lafor j.k **(16+17+18)**	**3,04,204**	**4,21,196**	**4,63,825**	**5,68,288**	**6,30,297**
Hkkx l- ?kkVk					
20. jktLo ?kkVk ¼&½@jktLo vkf/kD; ¼$½ **(1-10)**	**(+)5,180**	**(+)10,067**	**(+) 22,394**	**(+) 14,340**	**(+)20,283**
21. jktdks"kh; ?kkVk ¼&½@jktdks"kh; vkf/kD; ¼$½ **(4-13)**	**(-)19,238**	**(-)23,680**	**(-) 32,513**	**(-) 58,475**	**(-)55,988**
22. izkFkfed ?kkVk **(21+23)**	**(-)2,317**	**(-)6,268**	**(-) 13,648**	**(-) 37,027**	**(-)29,052**
Hkkx n- vU; vkdM+s					
23. C;kt Hkqxrku ¼jktLo O;; esa lfEefyr½	**16,921**	**17,412**	**18,865**	**21,448**	**26,936**
24. LFkkuh; fudk;ksa dks foÙkh; lgk;rk] bR;kfn	**43,212**	**45,576**	**52,241**	**77,069**	**-**
25. vFkksZik; vfxze ,oa vksojMªkQ~V dk ykHk ¼fnuksa esa½	-	-	-	**14**	-
अर्थोपाय अग्रिम का उपभोग (दिनों में)	-	-	-		-
ओवरड्राफ्ट का उपभोग (दिनों में)	-	-	-		-
26. vFkksZik; vfxze@vksojMªkQ~V ij C;kt	-	-	-		-
27 orZeku ewY; ij ldy jkT; ?kjsyw mRikn ¼th-,l-Mh-ih-)[9]	**8,22,393**	**9,40,356**	**10,11,790**	**11,20,836**	**12,75,141**
28 cdk;k jktdks"kh; nk;rk,a ¼o"kkZUr½	**2,59,621**	**2,81,709**	**3,07,859**	**3,67,252**	**4,23,224**
29. cdk;k izR;kHkwfr;ka ¼o"kkZUr½ C;kt lfgr	**43,337**	**62,822**	**70,740**	**57,618**	**55,825**
30. vf/kdre izR;kHkwr /kujkf'k;ka ¼o"kkZUr½	**50,459**	**69,752**	**78,023**	**78,826**	**66,702**
31. vius.kh; ifj;kstukvksa dh la[;k	**383**	**412**	**545**	**924**	**611**
32. vius.kh; ifj;kstukvksa esa vo#) iwath	**3,393**	**3,032**	**7,714**	**14,407**	**12,987**
Hkkx ;- jktdks"kh; fLFkfr ds ladsrd					

[9] स.रा.घ.उ. के लिये आंकड़े: वर्ष 2012–13 से नये प्रक्रम में परिवर्तन हो गया है।

I l l k/kuk dk lxg.k					
स्वयं का कर राजस्व/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	7.06	7.08	7.33	7.24	6.74
करेतर राजस्व/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	1.58	1.75	1.97	2.06	2.26
केन्द्रीय स्थानान्तरण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	6.99	6.68	6.58	8.12	8.58
II 0;; çcU/ku					
कुल व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	20.13	20.47	22.36	25.54	24.56
कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियां	113.47	114.43	116.94	126.07	121.90
राजस्व व्यय/कुल व्यय	85.00	82.16	75.61	74.31	75.56
सामाजिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	37	35	33	33	35
आर्थिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	22	25	32	33	30
पूंजीगत व्यय/कुल व्यय	14	17	24	23	22
सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर कुल पूंजीगत व्यय/कुल व्यय	14	15	22	21	20
III jktdks"kh; vlUrqyu dk çcU/ku					
राजस्व घाटा (आधिक्य)/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	(+)0.63	(+)1.07	(+)2.21	(+)1.28	(+)1.59
राजकोषीय घाटा/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	(-)2.34	(-)2.52	(-)3.21	(-)5.22	(-)4.39
प्राथमिक घाटा (आधिक्य)/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	(-)0.28	(-)0.67	(-)1.35	(-)3.30	(-)2.28
राजस्व घाटा/राजकोषीय घाटा	-	-	-	-	-
प्राथमिक राजस्व शेष/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	(-)1.43	(-)0.78	(+)0.35	(-)0.63	(-)0.52
IV jktdks"kh; ns;rkvksa dk çcU/ku					
राजकोषीय देयताएं/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	32	30	30	33	33
राजकोषीय देयताएं/राजस्व प्राप्तियाँ	178	167	159	162	165
V vU; jktdks"kh; fLFkfr ds ladsrd					
निवेश पर प्रतिफल	62.70	5.23	8.08	42.66	86.34
चालू राजस्व से अवशेष	26,323	35,617	32,275	27,037	36,015
वित्तीय परिसम्पत्तियां/देयताएं	0.85	0.89	0.97	1.02	1.06

कोष्ठक में दिए गये अंक प्रत्येक उपशीर्षों का कुल योग से *प्रतिशत* (पूर्णांक) प्रदर्शित करता है।

ifjf'k"V 1.6

¼v½ o"kZ 2012-17 dh vof/k esa dj jktLo
¼c½ o"kZ 2012-17 dh vof/k esa djsrj jktLo

(सन्दर्भः प्रस्तर 1.2.2.1; पृष्ठ 9)

¼v½ o"kZ 2012-17 dh vof/k esa dj jktLo

(₹ djksM+ esa)

'kh"kZ	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	
					ctV vuqeku	okLrfod 0;;
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	34,870	39,645	42,934	47,692	57,941	51,883
राज्य आबकारी	9,782	11,644	13,483	14,084	19,250	14,274
वाहनों पर कर	2,993	3,441	3,797	4,410	5,124	5,148
स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क	8,742	9,521	11,803	12,404	16,320	11,564
भू–राजस्व	805	772	527	505	660	760
सामान एवं यात्रियों पर कर	1	1	1	1	0	0
अन्य कर	905	1,558	1,627	2,010	1,962	2,337
;kx ¼v½	**58,098**	**66,582**	**74,172**	**81,106**	**1,01,257**	**85,966**

¼c½ o"kZ 2012-17 dh vof/k esa djsrj jktLo

(₹ djksM+ esa)

'kh"kZ	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	
					ctV vuqeku	okLrfod 0;;
ब्याज प्राप्तियां, लाभांश एवं लाभ	1,249	1,624	2,310	676	758	1,251
सामान्य सेवायें	5,069	3,907	7,122	6,114	5,158	5,994
सामाजिक सेवायें	4,670	7,159	6,514	11,264	11,665	14,653
आर्थिक सेवायें	1,982	3,760	3,988	5,081	6,660	7,046
;kx ¼c½	**12,970**	**16,450**	**19,935**	**23,135**	**24,241**	**28,944**
dqy ;kx ¼v$c½	**71,068**	**83,032**	**94,107**	**1,04,241**	**1,25,498**	**1,14,910**

ifjf'k"V 1.7

31 ekp] 2017 dks ljdkj dh foRrh; fLFkfr dk lf{kIr lkj

(संदर्भ: प्रस्तर 1.5.1; पृष्ठ 22)

(₹ djksM+ esa)

31.03.2016 dks			31.03.2017 dks
	n;rk,i		
2,40,835.79	vkUrfjd _.k		**2,88,626.78**
1,27,968.32	ब्याज सहित बाजार ऋण	1,64,872.76	
2.65	ब्याज रहित बाजार ऋण	2.63	
4.15	भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण	2.30	
1,12,860.67	अन्य संस्थानों से ऋण	1,23,749.09	
00	अर्थोपाय अग्रिम	00	
00	भारतीय रिजर्व बैंक से ओवर ड्राफ्ट	00	
13,658.21	dsUæ ljdkj ls _.k ,oa vfxze		**13,249.62**
9.94	1984-85 से पहले का ऋण	9.94	
72.42	आयोजनेतर ऋण	65.52	
13,564.23	राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिए ऋण	13,162.54	
00	केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं के लिए ऋण	00	
10.19	केन्द्रीय पुरोनिधानित आयोजनागत योजनाओं के लिए ऋण	10.19	
1.43	अर्थोपाय अग्रिम	1.43	
600.00	vkdfLedrk fuf/k ¼dkiZl½		**600.00**
46,655.29	vYi cpr] Hkfo"; fuf/k;ka vkfn		**48,237.64**
22,312.18	fu{ksi		**22,094.39**
43,790.33	vkjf{kr fuf/k;ka		**51,015.35**
2,732.76	çs"k.k 'ks"k		**3,480.54**
6,401.55	ljdkjh ys[kk esa vf/kD;		**23,891.38**
7,938.45	(i) वर्ष के प्रारम्भ में संचयी घाटा	3,608.49	
14,339.99	(ii) tksM+s: वर्तमान वर्ष में राजस्व आधिक्य	20,282.89	
3,76,986.11	;ksx		**4,51,195.70**
	ifjlEifÙk;k		
3,52,856.28	vpy lEifÙk;ksa ij ldy iwathxr ifjO;;		**4,20,315.71**
84,356.79	कम्पनियों, निगमों आदि के शेयरों में निवेश	96,400.05	
2,68,499.49	अन्य पूंजीगत परिव्यय	3,23,915.66	
132.08	vkdfLedrk fuf/k ¼vlek;ksftr½		**308.12**
22,458.65	_.k ,oa vfxze		**28,446.79**
8,013.55	विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण	11,713.87	
14,219.52	अन्य विकास ऋण	16,518.22	
225.57	सरकारी कर्मचारियों को ऋण एवं विविध ऋण	214.70	
45.20	vkjf{kr fuf/k;ksa esa fuos'k		**45.20**
8.75	vfxze		**91.58**
1,685.36	mpUr ,oa fofo/k 'ks"k		**1,089.59**
(-) 200.21	jksdM+		**898.71**
00	कोषागार में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण	00	

(-) 1,409.33	भारतीय रिजर्व बैंक में जमा	(-)1,280.65	
12.21	विभागीय रोकड़ शेष	10.69	
0.47	स्थाई अग्रिम	0.44	
1,196.44	रोकड़ शेष निवेश	2,168.23	
3,76,986.11	;kx		**4,51,195.70**

lkfjf'k"V **1.3** ,oa **1.7** ds fy, O;k[;kRed fVIif.k;k

पूर्ववर्ती विवरणों में संक्षिप्त लेखे को वित्त लेखे में दिए गये विवरणों एवं टिप्पणियों के साथ पढ़ा जाय। सरकारी लेखे मुख्यतया रोकड़ आधारित होते हैं, सरकारी लेखे में घाटे, जैसा कि *ifjf'k"V* **1.7** में प्रदर्शित है, नकदी आधार पर प्रदर्शित है, सम्भूति आधारित वाणिज्यिक लेखाओं से भिन्न है। फलस्वरूप, देय या प्राप्य मद का ह्रास अथवा भंडार लेखा में विचलन इत्यादि मद लेखे में अंकित नहीं है। उचन्त एवं विविध अवशेष में ऐसे निर्गत चेक जिनका भुगतान नहीं किया गया, राज्य की ओर से किए गये भुगतान एवं अन्य लम्बित समाधान सम्मिलित है। "रिजर्व बैंक में निक्षेप" के अन्तर्गत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित एवं लेखे में प्रदर्शित आंकड़ों के बीच ₹ 127.29 करोड़ ¼fuoy MsfoV½ का अन्तर था।

ifjf'k"V 1.8

vkjf{kr fuf/k;k dk fooj.k

(संदर्भ : प्रस्तर 1.5.2; पृष्ठ 22)

(₹ yk[k e)

fooj.k	ikjfEHkd 'k"k	ikfIr	lforj.k	vfUre 'k"k
2014-15				
vkjf{kr fuf/k;k				
C;kt lfgr vkjf{kr fuf/k;k				
8115- eY;ækl@uohdj.k vkjf{kr fuf/k	**1,848.54**	**00**	**6,290.11**	**-4,441.57**
103- मूल्यह्रास/आरक्षित निधि–सरकारी वाणिज्यिक विभाग तथा उपक्रम	6,290.11	00	6,290.11	00
105- मूल्यह्रास आरक्षित निधि–निवेश खाता	-4,441.57	00	00	-4,441.57
8121- lkekU; ,oa vU; vkjf{kr fuf/k;k	**126.69**	**00**	**126.69**	**0.00**
102- कृषि प्रयोजनों के लिये विकास निधि	120.50	00	126.69	-6.19
111- आकस्मिकता आरक्षित निधि–विद्युत	6.19	00	00	6.19
;kx	**1,975.23**	**00**	**6,416.80**	**-4,441.57**
C;kt jfgr vkjf{kr fuf/k;k				
8222- flfdx Q.M	**40,25,270.93**	**4,50,000.00**	**3,98,780.60**	**4,076,490.33**
01-–ऋण घटाने या उसके परिहार के लिये विनियोजन 101- सिंकिंग फण्ड	40,25,270.93	4,50,000.00	3,98,780.60	4,076,490.33
8223- vdky jkgr fuf/k	**853.50**	**00**	**931.51**	**-78.01**
101- अकाल राहत निधि	931.51	00	931.51	0.00
102- अकाल राहत निधि–निवेश लेखा	-78.01	00	00	-78.01
8225- lMd ,oa lrh fuf/k	**2,15,744.65**	**2,80,000.00**	**5,27,918.38**	**-32,173.73**
101- राज्य सड़क तथा सेतु निधि	2,15,744.65	2,80,000.00	5,27,918.38	-32,173.73
8226- eY;ækl@uohdj.k vkjf{kr fuf/k	**5,931.77**	**00**	**1,901.80**	**4,029.97**
102- सरकारी अवाणिज्यिक विभागों की मूल्यह्रास आरक्षित निधि	5,931.77	00	1,901.80	4,029.97
8229- fodkl ,oa dY;k.k fuf/k	**1,09,361.95**	**2,00,565.15**	**2,65,934.33**	**43,992.77**
101- शिक्षा प्रयोजनों के लिए विकास निधि	4,327.38	2,00,565.14	20,102.35	1,84,790.17
102- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य प्रयोजनों के लिये विकास निधि	1,088.84	00	00	1,088.84
105- चीनी विकास निधि	1,000.00	00	00	1,000.00
106- औद्योगिक विकास निधि	3,022.38	00	00	3,022.38
109- सहकारी विकास निधि	4.77	0.01	00	4.78
200- अन्य विकास तथा कल्याण निधि	99,918.58	00	2,45,831.98	-1,45,913.40
8235- lkekU; ,oa vU; vkjf{kr fuf/k;k	**28,745.91**	**68,603.79**	**66,709.73**	**30,639.97**
101- सरकारी वाणिज्यिक विभागों/उपक्रमों की सामान्य आरक्षित निधियां	498.54	586.52	735.56	349.50
102- जमींदारी उन्मूलन निधि	707.78	00	00	707.78
103- धार्मिक तथा पूर्त न्यास निधि	33.79	00	00	33.79
105- सामान्य बीमा निधि	27.78	00	00	27.78
111- राज्य आपदा अनुक्रिया निधि	19,089.44	65,590.58	65,123.45	19,556.57
200- अन्य निधियां	8,388.58	2,426.69	850.72	9,964.55
;kx	**43,85,908.71**	**9,99,168.94**	**12,62,176.35**	**41,22,901.30**
egk;kx	**43,87,883.94**	**9,99,168.94**	**12,68,593.15**	**41,18,459.73**

2015-16				
fooj.k	izkjfEHkd 'ks"k	izkfIr	lforj.k	vfUre 'ks"k
vkjf{kr fuf/k;k				
C;kt lfgr vkjf{kr fuf/k;k				
8115- eY;ãkl@uohdj.k vkjf{kr fuf/k	**(-) 4,441.57**	**00**	**00**	**(-) 4,441.57**
103- मूल्यह्रास/आरक्षित निधि–सरकारी वाणिज्यिक विभाग तथा उपक्रम	00	00	00	00
105- मूल्यह्रास आरक्षित निधि–निवेश खाता	(-) 4,441.57	00	00	(-) 4,441.57
8121- lkekU; ,oa vU; vkjf{kr fuf/k;k	**00**	**00**	**00**	**00**
102- कृषि प्रयोजनों के लिये विकास निधि	(-) 6.19	00	00	(-) 6.19
111- आकस्मिकता आरक्षित निधि–विद्युत	6.19	00	00	6.19
;kx	**(-) 4,441.57**	**00**	**00**	**(-) 4,441.57**
C;kt jfgr vkjf{kr fuf/k;k				
8222- flfdx Q.M	**40,76,490.33**	**6,96,678.20**	**4,69,904.00**	**43,03,264.53**
01--ऋण घटाने या उसके परिहार के लिये विनियोजन 101- सिंकिंग फण्ड	40,76,490.33	6,96,678.20	4,69,904.00	43,03,264.53
8223- vdky jkgr fuf/k	**(-) 78.01**	**00**	**00**	**(-) 78.01**
101- अकाल राहत निधि	00	00	00	00
102- अकाल राहत निधि–निवेश लेखा	(-) 78.01	00	00	(-) 78.01
8225- lMd ,oa lrg fuf/k	**(-) 32,173.73**	**2,50,000.00**	**2,49,972.76**	**(-) 32,146.49**
101- राज्य सड़क तथा सेतु निधि	(-) 32,173.73	2,50,000.00	2,49,972.76	(-) 32,146.49
8226- eY;ãkl@uohdj.k vkjf{kr fuf/k	**4,029.97**	**2,000.00**	**9,829.00**	**(-) 799.03**
102- सरकारी अवाणिज्यिक विभागों की मूल्यह्रास आरक्षित निधि	4,029.97	2,000.00	9,829.00	(-) 799.03
8229- fodkl ,oa dY;k.k fuf/k	**43,992.77**	**2,00,003.47**	**1,76,389.06**	**67,607.18**
101- शिक्षा प्रयोजनों के लिए विकास निधि	1,84,790.17	(-) 2,00,557.11	(-) 20,102.35	4,335.41
102- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य प्रयोजनों के लिये विकास निधि	1,088.84	00	1,088.84	00
105- चीनी विकास निधि	1,000.00	560.58	00	1,560.58
106- औद्योगिक विकास निधि	3,022.38	00	1,800.00	1,222.38
109- सहकारी विकास निधि	4.78	00	4.77	0.01
200- अन्य विकास तथा कल्याण निधि	(-) 1,45,913.40	4,00,000.00	1,93,597.80	60,488.80
8235- lkekU; ,oa vU; vkjf{kr fuf/k;k	**30,639.97**	**4,11,206.30**	**4,00,740.29**	**41,105.98**
101- सरकारी वाणिज्यिक विभागों/उपक्रमों की सामान्य आरक्षित निधियां	349.50	292.41	(-)735.56	1,377.47
102- जमींदारी उन्मूलन निधि	707.78	0.00	707.78	0.00
103- धार्मिक तथा पूर्त न्यास निधि	33.79	-	-	33.79
105- सामान्य बीमा निधि	27.78	00	27.78	00
107- इथाइल अल्कोहल भण्डारण सुविधा निधि	00	0.52	00	0.52
111- राज्य आपदा अनुक्रिया निधि	19,556.57	4,06,725.51	3,99,841.60	26,440.48
200- अन्य निधियां	9,964.55	4,187.86	898.69	13,253.72
;kx	**41,22,901.30**	**15,59,887.97**	**13,03,835.11**	**43,78,954.16**
egk;kx	**41,18,459.73**	**15,59,887.97**	**13,03,835.11**	**43,74,512.59**

2016-17				
fooj.k	ikjEHkd 'k"k	ikfIr	lforj.k	vfUre 'k"k
vkjf{kr fuf/k;k				
C;kt lfgr vkjf{kr fuf/k;k				
8115- eY;ækl@uohdj.k vkjf{kr fuf/k	**(-) 4,441.57**	**00**	**00**	**(-) 4,441.57**
103- मूल्यह्रास/आरक्षित निधि–सरकारी वाणिज्यिक विभाग तथा उपक्रम	00	00	00	00
105- मूल्यह्रास आरक्षित निधि–निवेश खाता	(-) 4,441.57	00	00	(-) 4,441.57
8121- lkekU; ,oa vU; vkjf{kr fuf/k;k	**00**	**00**	**00**	**00**
102- कृषि प्रयोजनों के लिये विकास निधि	6.19	00	00	6.19
111- आकस्मिकता आरक्षित निधि–विद्युत	(-) 6.19	00	00	(-) 6.19
;kx	**(-) 4,441.57**	**00**	**00**	**(-) 4,441.57**
C;kt jfgr vkjf{kr fuf/k;k				
8222- flfdx Q.M	**43,03,264.53**	**10,77,235.00**	**4,14,560.80**	**4,96,5938.73**
01-–ऋण घटाने या उसके परिहार के लिये विनियोजन 101- सिंकिंग फण्ड	43,03,264.53	**10,77,235.00**	**4,14,560.80**	**49,65,938.73**
8223- vdky jkgr fuf/k	**(-) 78.01**	**0**	**00**	**(-) 78.01**
101- अकाल राहत निधि	00	0	00	00
102- अकाल राहत निधि–निवेश लेखा	(-) 78.01	0	00	(-) 78.01
8225- lMd ,oa lrh fuf/k	**(-) 32,146.49**	**4,40,000.00**	**4,40,000.00**	**(-) 32,146.49**
101- राज्य सड़क तथा सेतु निधि	(-) 32,146.49	4,40,000.00	4,40,000.00	(-) 32,146.49
8226- eY;ækl@uohdj.k vkjf{kr fuf/k	**(-) 799.03**	**00**	**00**	**(-) 799.03**
102- सरकारी अवाणिज्यिक विभागों की मूल्यह्रास आरक्षित निधि	(-) 799.03	00	00	(-) 799.03
8229- fodkl ,oa dY;k.k fuf/k	**67,607.18**	**2,50,000.00**	**2,28,775.63**	**88,831.55**
101- शिक्षा प्रयोजनों के लिए विकास निधि	4,335.41	00	00	**4,335.41**
102- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य प्रयोजनों के लिये विकास निधि	00	00	00	00
105- चीनी विकास निधि	1,560.58	00	00	1,560.58
106- औद्योगिक विकास निधि	1,222.38	00	00	1,222.38
109- सहकारी विकास निधि	0.01	00	00	0.01
200- अन्य विकास तथा कल्याण निधि	60,488.80	2,50,000.00	2,28,775.63	8,1713.17
8235- lkekU; ,oa vU; vkjf{kr fuf/k;k	**41,105.98**	**2,33,344.64**	**1,94,740.64**	**79,709.98**
101- सरकारी वाणिज्यिक विभागों/उपक्रमों की सामान्य आरक्षित निधियां	1,377.47	50,89.33	00	6,466.80
102- जमींदारी उन्मूलन निधि	0.00	6.04	00	6.04
103- धार्मिक तथा पूर्त न्यास निधि	33.79	0.03	00	33.82
107- इथाइल अल्कोहल भण्डारण सुविधा निधि	0.52	(-)0.52	00	00
111- राज्य आपदा अनुक्रिया निधि	26,440.48	2,28,255.80	1,93,483.67	61,212.61
200- अन्य निधियां	13,253.72	00	1,256.97	11,996.75
;kx	**43,78,954.16**	**20,00,579.64**	**12,78,077.07**	**51,01,456.73**
egk;kx	**43,74,512.59**	**20,00,579.64**	**12,78,077.07**	**50,97,015.16**

ifjf'k"V 2.1

iqufoZfu;ksx ds ek/;e ls iko/kku esa deh ds ckotwn 0;;kf/kD;

(सन्दर्भः प्रस्तर 2.2.1; पृष्ठ 30)

(₹ djksM+ esa)

Ø0 l0	;kstuk dk uke	iko/kku	deh	dqy iko/kku	0;;	0;;kf/kD;
1.	जिला एवं अन्य सड़कों की मरम्मत व रखरखाव (3054-04-337-03)	मूल-1,703.00	7.32	1,695.68	1,859.41	163.73
2.	राज्य सड़क निधि से जिला एवं अन्य सड़कों की मरम्मत व रखरखाव (3054-04-337-05)	मूल -1,500.00 पूरक-1,000.00	17.60	2,482.40	2,709.19	226.79
3.	तेरहवें वित्त आयोग द्वारा अनुमोदित भारत नेपाल सीमा के जिलों के सड़कों के अधूरे कार्य/सुदृढ़ीकरण/चौड़ीकरण (5054-02-337-04)	मूल - 57.37	10.60	46.77	51.44	4.67
4.	राज्य राजमार्ग का निर्माण कार्य (5054-03-337-03)	मूल - 324.00 पूरक - 229.00	41.34	511.66	859.61	347.95
5.	राज्य राजमार्ग के निर्माण कार्य हेतु एकमुश्त प्रावधान (5054-03-337-13)	मूल - 75.00 पूरक - 109.00	32.22	151.78	378.38	226.60
6.	एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में बाईपास का निर्माण (5054-03-337-84)	मूल - 10.00 पूरक - 20.00	20.00	10.00	11.00	1.00
7.	उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि से व्यय (5054-04-337-05)	मूल - 625.00	112.49	512.51	559.30	46.79
8.	जिला एवं अन्य सड़कों के निर्माण कार्य हेतु एकमुश्त प्रावधान (5054-04-337-13)	मूल -2,479.00 पूरक - 589.00	106.87	2,961.13	3,166.81	205.68
9.	नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सड़कों एवं छोटे पुलों के निर्माण के चालू कार्यों हेतु प्रावधान (5054-04-337-63)	मूल - 40.00	1.80	38.20	42.02	3.82
10.	श्री राम मनोहर लोहिया एकीकृत ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत चयनित 1,000 अथवा अधिक जनसंख्या वाले गांवों के क्षतिग्रस्त संपर्क मार्गों के पुनर्निर्माण हेतु एकमुश्त प्रावधान (5054-04-337-90)	मूल - 50.00	1.22	48.78	55.14	6.36
11.	कृषि विपणन सुविधाओं हेतु असम्बद्ध निवास स्थलों में संपर्क मार्गों/छोटे पुलों के नए कार्यों हेतु एकमुश्त प्रावधान (5054-04-337-93)	मूल - 40.00	0.59	39.41	46.40	6.99
	;ksx	**esy - 6,903.37** **iwjd - 1,947.00**	**352.05**	**8,498.32**	**9,738.70**	**1,240.38**

ifjf'k"V 2.2

¼v½ foxr o"kksZ ds 0;;kf/kD; ds fofu;ferhdj.k dh vko';drk
¼c½ o"kZ 2016-17 ds 0;;kf/kD; ds fofu;ferhdj.k dh vko';drk

(सन्दर्भ: प्रस्तर 2.2.2; पृष्ठ 31)

¼v½ foxr o"kksZ ds 0;;kf/kD; ds fofu;ferhdj.k dh vko';drk

(₹ djksM+ esa)

Ø0 l0	0k"kZ	vuqnku@fofu;ksx dh l[;k	vuqnku@fofu;ksx dk fooj.k	vkf/kD; /kujkf'k
1.	2005-06	25–अनुदान 4–विनियोग	राजस्व दत्तमत–8,12,19,53,55,57,58,72; पूंजीगत दत्तमत–15,16,18,23,24,33, 34,37,38,40, 55,56,57,58,73,75,96; राजस्व भारित–1,52; पूंजीगत भारित–52,55;	1,026.78
2.	2006-07	18–अनुदान 6–विनियोग	राजस्व दत्तमत–9,13,55,58,61,62,73,91,95; पूंजीगत दत्तमत–3,16,31, 37, 55,57,58,89,96; राजस्व भारित–2,3,10,52,62,89;	2,484.47
3.	2007-08	12–अनुदान 2–विनियोग	राजस्व दत्तमत–51,55,57,58,62; पूंजीगत दत्तमत–13,16,55,58,63,83,96; राजस्व भारित–51,66	3,610.65
4.	2008-09	5–अनुदान 1– विनियोग	राजस्व दत्तमत–62,96; पूंजीगत दत्तमत–55,58,96; राजस्व भारित–52;	3,399.42
5.	2009-10	6–अनुदान 6– विनियोग	राजस्व दत्तमत–58; पूंजीगत दत्तमत–1,16,55,58,59; राजस्व भारित–3,10,16,48,52,66;	1,250.16
6.	2010-11	6–अनुदान 4– विनियोग	राजस्व दत्तमत–30,51,91; पूंजीगत दत्तमत–10,55,58; राजस्व भारित–10,23,61,82;	1,702.62
7.	2011-12	6–अनुदान 6– विनियोग	राजस्व दत्तमत–21,62,91; पूंजीगत दत्तमत–1,55,58; राजस्व भारित–13,18,23,61,62,82;	1,889.66
8.	2012-13	4–अनुदान 3– विनियोग	राजस्व दत्तमत–51,57; पूंजीगत दत्तमत–55,58; राजस्व भारित–55,62,89;	2,380.23
9.	2013-14	2–अनुदान 1–विनियोग	पूंजीगत दत्तमत– 55, 58; पूंजीगत भारित– 52;	2,608.18
10.	2014-15	7- अनुदान 1- विनियोग	राजस्व दत्तमत–57,91; पूंजीगत दत्तमत–1,40,55,57,58; राजस्व भारित–13;	2,225.32
11.	2015-16	4- अनुदान 4- विनियोग	पूंजीगत दत्तमत–55,57,58,87; राजस्व भारित–2,23,52,62;	1,566.71
			;ksx	**24,144.20**

(स्रोत: विनियोग लेखे वर्ष 2016-17)

¼c½ o"kZ 2016&17 ds O;;kf/kD; ds fofu;ferhdj.k dh vko';drk

(₹ djksM+ esa)

Ø0 la0	vuqnku@fofu;ksx dh la[;k ,oa uke	dqy vuqnku@ fofu;ksx	O;;	O;;kf/kD;	o"kZ ds nkSjku jkf'k;ksa dk lek;kstu	O;;kf/kD; ds fofu;ferhdj.k dh vko';drk
1	2	3	4	5	6	7
	iwathxr&दत्तमत					
1	55- लोक निर्माण विभाग (भवन)	81.02	115.35	34.33	7.91	26.42
2	58- लोक निर्माण विभाग (संचार साधन–सड़कें)	11,515.48	13,217.15	1,701.67	860.75	840.92
3	87-सैनिक कल्याण विभाग	2.14	2.15	0.01	0.00	0.01
	;ksx	**11,598.64**	**13,334.65**	**1,736.01**	**868.66**	**867.35**
	jktLo &Hkkfjr					
4	89- संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्य कर)	65.45	65.58	0.13	0.00	0.13
	;ksx	**65.45**	**65.58**	**0.13**	**0.00**	**0.13**
	iwathxr&Hkkfjr					
5	61- वित्त विभाग (ऋण सेवायें तथा अन्य व्यय)	15,435.44	20,230.22	4,794.78	0.09[1]	4,794.69
	;ksx	**15,435.44**	**20,230.22**	**4,794.78**	**0.09**	**4,794.69**
	egk;ksx	**27,099.53**	**33,630.45**	**6,530.92**	**868.75**	**5,662.17**

(स्रोत: विनियोग लेखे वर्ष 2016-17)

[1] वर्ष 2015-16 के लिये ₹ 9.14 लाख की धनराशि का उचन्त निस्तारण।

ifjf'k"V 2.3

vuqnku@fofu;ksx] tgk¡ cpr ₹10 djksM+ ls vf/kd ,oa dqy izko/kku ds 20 izfr'kr ls vf/kd Fkh

(सन्दर्भ : प्रस्तर 2.2.3 पृष्ठ 31)

(₹ djksM+ esa)

Ø0 l0	vuqnku l[;k	vuqnku@fofu;ksx dk uke	dqy izko/kku	O;;	Ckpr	izfr'krrk
		jktLo&nÙker				
1.	02	आवास विभाग	965.93	743.32	222.61	23
2.	06	उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)	257.02	39.74	217.28	85
3.	07	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	1,150.19	143.34	1,006.85	88
4.	10	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास)	362.15	264.67	97.48	27
5.	11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	3,534.84	2,706.26	828.58	23
6.	12	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन)	306.52	202.85	103.67	34
7.	17	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)	120.95	62.20	58.75	49
8.	24	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	1,249.26	65.25	1,184.01	95
9.	27	गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)	21.85	11.16	10.69	49
10.	33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी)	850.03	609.18	240.85	28
11.	34	चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी)	373.64	284.37	89.27	24
12.	35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	5,188.59	3,925.01	1,263.58	24
13.	36	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	695.02	413.71	281.31	40
14.	37	नगर विकास विभाग	7,500.60	4,749.13	2,751.47	37
15.	40	नियोजन विभाग	287.74	186.58	101.16	35
16.	41	निर्वाचन विभाग	476.79	367.67	109.12	23
17.	42	न्याय विभाग	1,775.51	1,343.25	432.26	24
18.	43	परिवहन विभाग	241.63	185.99	55.64	23
19.	44	पर्यटन विभाग	82.84	51.81	31.03	37
20.	48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	2,153.58	1,179.81	973.77	45
21.	51	राजस्व विभाग (दैवीय आपदा के संबंध में राहत)	6,965.50	2,833.00	4,132.50	59
22.	54	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	2,180.26	401.89	1,778.37	82
23.	60	वन विभाग	672.88	534.66	138.22	21
24.	63	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	286.75	189.87	96.88	34
25.	69	व्यावसायिक शिक्षा विभाग	469.50	345.64	123.86	26
26.	73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	2,280.36	1,820.07	460.29	20
27.	75	शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद)	154.18	115.21	38.97	25
28.	88	संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)	919.65	698.35	221.30	24
29.	92	संस्कृति विभाग	80.33	58.81	21.52	27
30.	95	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	4,014.52	2,834.11	1,180.41	29
		fuoy ;ksx	**45,618.61**	**27,366.91**	**18,251.70**	**40**

jkt Lo–Hkkfjr						
31.	20	कार्मिक विभाग (लोकसेवा आयोग)	62.77	48.12	14.65	23
fuoy ;kx			**62.77**	**48.12**	**14.65**	**23**
ithxr–nÙker						
32.	11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	789.66	356.83	432.83	55
33.	13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	11,831.31	8,530.35	3,300.96	28
34.	15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	263.19	158.27	104.92	40
35.	26	गृह विभाग (पुलिस)	1,741.50	1,289.45	452.05	26
36.	32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	862.20	581.03	281.17	33
37.	35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	188.99	0.00	188.99	100
38.	38	नागरिक उड्डयन विभाग	302.00	196.59	105.41	35
39.	42	न्याय विभाग	1,179.51	598.09	581.42	49
40.	43	परिवहन विभाग	290.81	177.78	113.03	39
41.	44	पर्यटन विभाग	423.45	298.91	124.54	29
42.	47	प्राविधिक शिक्षा विभाग	258.26	175.71	82.55	32
43.	48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	1,057.51	712.51	345.00	33
44.	51	राजस्व विभाग (दैवीय आपदा के सम्बन्ध में राहत)	22.50	6.65	15.85	70
45.	52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)	73.87	11.83	62.04	84
46.	62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते एवं पेंशन)	300.00	34.57	265.43	88
47.	71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	1,331.45	55.00	1,276.45	96
48.	72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	603.51	367.44	236.07	39
49.	74	गृह विभाग (होमगार्ड्स)	36.60	14.22	22.38	61
50.	75	शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद)	50.57	2.26	48.31	96
51.	76	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	10.25	0.25	10.00	98
52.	79	समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	188.10	145.38	42.72	23
53.	81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	47.89	17.12	30.77	64
54.	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	10,375.08	7,897.10	2,477.98	24
55.	84	सामान्य प्रशासन विभाग	23.75	10.50	13.25	56
56.	86	सूचना विभाग	34.00	0.00	34.00	100
57.	88	संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)	38.00	19.00	19.00	50
58.	92	संस्कृति विभाग	59.15	35.16	23.99	41
59.	94	सिंचाई विभाग (निर्माण)	7,312.97	5,678.05	1,634.92	22
fuoy ;kx			**39,696.08**	**27,370.05**	**12,326.03**	**31**
ithxr–Hkkfjr						
60.	58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन–सड़कें)	12.00	1.34	10.66	89
fuoy ;kx			**12.00**	**1.34**	**10.66**	**89**
egk ;kx			**85,389.46**	**54,786.42**	**30,603.04**	**36**

ifjf'k"V 2.4

₹ 100 djkM+ ;k mlls vf/kd dh cpr okys vuqnku@fofu;kx

(सन्दर्भ: प्रस्तर 2.2.3 पृष्ठ 31)

(₹ djksM+ esa)

Ø0 l0	vuqnku l[;k	vuqnku dk uke	izko/kku			okLrfod O;;	cpr
			ey vuqnku	vuqiwjd	dqy vuqnku		
jktLo &nÙker							
1.	2	आवास विभाग	964.93	1.00	965.93	743.32	222.61
2.	6	उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)	257.02	0.00	257.02	39.74	217.28
3.	7	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	1,144.19	6.00	1,150.19	143.34	1,006.85
4.	9	ऊर्जा विभाग	14,441.46	935.22	15,376.68	15,004.89	371.79
5.	11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	3,484.71	50.13	3,534.84	2,706.26	828.58
6.	12	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन)	306.52	0.00	306.52	202.85	103.67
7.	13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	1,999.44	209.11	2,208.55	1,905.69	302.86
8.	15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	1,066.90	5.33	1,072.23	918.04	154.19
9.	24	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	1,241.57	7.69	1,249.26	65.25	1,184.01
10.	26	गृह विभाग (पुलिस)	13,524.59	0.25	13,524.84	12,638.50	886.34
11.	31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	1,900.34	179.00	2,079.34	1,927.26	152.08
12.	32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	5,417.21	64.65	5,481.86	4,393.44	1,088.42
13.	33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी)	850.03	0.00	850.03	609.18	240.85
14.	35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	5,188.59	0.00	5,188.59	3,925.01	1,263.58
15.	36	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	695.02	0.00	695.02	413.71	281.31
16.	37	नगर विकास विभाग	6,907.80	592.80	7,500.60	4,749.13	2,751.47
17.	40	नियोजन विभाग	286.74	1.00	287.74	186.58	101.16
18.	41	निर्वाचन विभाग	366.79	110.00	476.79	367.67	109.12
19.	42	न्याय विभाग	1,718.57	56.94	1,775.51	1,343.25	432.26
20.	48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	2,153.57	0.01	2,153.58	1,179.81	973.77
21.	49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	5,752.54	260.44	6,012.98	4,906.25	1,106.73
22.	51	राजस्व विभाग (दैवीय आपदा के सम्बन्ध में राहत)	4,965.50	2,000.00	6,965.50	2,833.00	4,132.50
23.	52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)	3,185.91	98.86	3,284.77	2,685.35	599.42

24.	54	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	2,180.26	0.00	2,180.26	401.89	1,778.37
25.	60	वन विभाग	672.88	0.00	672.88	534.66	138.22
26.	69	व्यावसायिक शिक्षा विभाग	468.96	0.54	469.50	345.64	123.86
27.	71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	36,794.61	3,614.06	40,408.67	37,994.05	2,414.62
28.	72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	8,430.12	1.03	8,431.15	8,037.09	394.06
29.	73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	2,247.11	33.25	2,280.36	1,820.07	460.29
30.	78	सचिवालय प्रशासन विभाग	767.32	0.00	767.32	662.06	105.26
31.	80	समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)	5,869.29	1.00	5,870.29	5,483.71	386.58
32.	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	12,523.18	50.36	12,573.54	10,869.33	1,704.21
33.	88	संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)	904.65	15.00	919.65	698.35	221.30
34.	94	सिंचाई विभाग (निर्माण)	2,208.78	64.00	2,272.78	2,170.24	102.54
35.	95	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	4,014.52	0.00	4,014.52	2,834.11	1,180.41
		;kx	**1,54,901.62**	**8,357.67**	**1,63,259.29**	**1,35,738.72**	**27,520.57**
jktLo–Hkkfjr							
36.	9	ऊर्जा विभाग	4,008.18	49.01	4,057.19	3,691.77	365.42
		;kx	**4,008.18**	**49.01**	**4,057.19**	**3,691.77**	**365.42**
iwthxr &nÙker							
37.	2	आवास विभाग	2,039.00	360.00	2,399.00	2,139.90	259.10
38.	7	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	5,702.25	2,020.76	7,723.01	6,239.19	1,483.82
39.	9	ऊर्जा विभाग	14,348.19	1,142.52	15,490.71	15,242.71	248.00
40.	11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	776.60	13.06	789.66	356.83	432.83
41.	13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	11,213.51	617.80	11,831.31	8,530.35	3,300.96
42.	15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	175.37	87.82	263.19	158.27	104.92
43.	21	खाद्य एवं रसद विभाग	7,655.87	1,506.97	9,162.84	8,876.13	286.71
44.	26	गृह विभाग (पुलिस)	1,501.50	240.00	1,741.50	1,289.45	452.05
45.	31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	2,318.57	344.00	2,662.57	2,164.18	498.39
46.	32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	842.20	20.00	862.20	581.03	281.17
47.	35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	188.99	0.00	188.99	0.00	188.99
48.	38	नागरिक उड्डयन विभाग	202.00	100.00	302.00	196.59	105.41
49.	40	नियोजन विभाग	1,234.24	656.25	1,890.49	1,554.28	336.21

50.	42	न्याय विभाग	1,090.51	89.00	1,179.51	598.09	581.42
51.	43	परिवहन विभाग	233.15	57.66	290.81	177.78	113.03
52.	44	पर्यटन विभाग	152.45	271.00	423.45	298.91	124.54
53.	48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	902.39	155.12	1,057.51	712.51	345.00
54.	61	वित्त विभाग (ऋण सेवायें तथा अन्य व्यय)	2,726.40	0.00	2,726.40	2,608.90	117.50
55.	62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते एवं पेंशन)	300.00	0.00	300.00	34.57	265.43
56.	71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	1,271.45	60.00	1,331.45	55.00	1,276.45
57.	72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	526.71	76.80	603.51	367.44	236.07
58.	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	9,048.64	1,326.44	10,375.08	7,897.10	2,477.98
59.	94	सिंचाई विभाग (निर्माण)	6,597.97	715.00	7,312.97	5,678.05	1,634.92
		;kx	**71,047.96**	**9,860.20**	**80,908.16**	**65,757.26**	**15,150.90**
		egk;kx	**2,29,957.76**	**18,266.88**	**2,48,224.64**	**2,05,187.75**	**43,036.89**

Ikfjf'k"V 2.5

vuojr cprks okys vunku

(सन्दर्भ: प्रस्तर 2.2.4; पृष्ठ 32)

(₹ djksM+ esa)

Ø0 l0	vunku l[;k	vunku dk uke	cpr dh /kujkf'k				
			2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
		jktLo &nÙker					
1.	11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	644.92	596.10	425.39	438.74	828.58
2.	13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	103.79	201.09	399.75	208.61	302.86
3.	26	गृह विभाग (पुलिस)	793.40	982.88	994.09	1,346.41	886.34
4.	32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	403.79	471.31	672.14	938.53	1,088.42
5.	35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	221.35	169.95	210.71	1,404.12	1,263.58
6.	37	नगर विकास विभाग	238.51	654.69	2,762.12	1,390.72	2,751.47
7.	42	न्याय विभाग	178.52	223.31	330.65	329.12	432.26
8.	48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	104.26	201.19	815.40	852.81	973.77
9.	49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	372.97	271.58	370.04	1,058.88	1,106.73
10.	52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)	353.02	202.58	337.40	456.79	599.42
11.	54	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	681.45	1,041.27	1,265.68	1,384.03	1,778.37
12.	71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	1,865.81	2,567.23	4,390.54	3,229.85	2,414.62
13.	72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	1,276.77	874.11	787.75	918.15	394.06
14.	73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	816.09	348.28	422.39	278.80	460.29
15.	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	1,762.10	1,315.74	2,509.94	2,306.78	1,704.21
16.	94	सिंचाई विभाग (निर्माण)	198.79	738.76	745.95	766.33	102.54
17.	95	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	483.40	597.47	739.30	933.97	1,180.41
		;ksx	**10,498.94**	**11,457.54**	**18,179.24**	**18,242.64**	**18,267.93**
		iwathxr &nÙker					
18.	11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	177.73	470.53	286.17	533.67	432.83
19.	13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	203.22	145.76	2,017.90	1,669.11	3,300.96
20.	26	गृह विभाग (पुलिस)	363.24	126.51	110.84	282.44	452.05
21.	48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	164.73	148.22	640.44	635.44	345.00
22.	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	588.84	524.04	1,634.76	1,357.70	2,477.98
		;ksx	**1,497.76**	**1,415.06**	**4,690.11**	**4,478.36**	**7,008.82**
		egk;ksx	**11,996.70**	**12,872.60**	**22,869.35**	**22,721.00**	**25,276.75**

Ikfjf'k"V 2.6
Ádj.k] ftuesa vuqiwjd iko/kku
¼ÁR;sd Ádj.k esa ₹ ,d djksM+ ;k vf/kd½ vukoZ';d fl) gq,
(सन्दर्भ: प्रस्तर 2.2.5; पृष्ठ 32)

(₹ djksM+ esa)

Ø0 l0	vuqnku l[;k	vuqnku@fofu;ksx dk uke	ewy iko/kku	okLrfod 0;;	vuqiwjd iko/kku	ewy iko/kku ds lkis{k cpr
		jktLo &nÙker				
1.	02	आवास विभाग	964.93	743.32	1.00	221.61
2.	03	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	324.13	273.56	11.12	50.57
3.	07	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	1,144.19	143.34	6.00	1,000.85
4.	10	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास)	330.45	264.67	31.70	65.78
5.	11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	3,484.71	2,706.27	50.13	778.44
6.	13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	1,999.44	1,905.70	209.11	93.74
7.	15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	1,066.89	918.04	5.33	148.85
8.	17	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)	90.95	62.20	30.00	28.75
9.	21	खाद्य एवं रसद विभाग	329.04	310.39	56.05	18.65
10.	24	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	1,241.57	65.25	7.69	1,176.32
11.	32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	5,417.21	4,393.44	64.65	1,023.77
12.	37	नगर विकास विभाग	6,907.80	4,749.13	592.80	2,158.67
13.	39	भाषा विभाग	22.75	22.18	1.72	0.57
14.	40	नियोजन विभाग	286.74	186.58	1.00	100.16
15.	42	न्याय विभाग	1,718.57	1,343.25	56.94	375.32
16.	43	परिवहन विभाग	232.31	185.99	9.32	46.32
17.	46	प्रशासनिक सुधार विभाग	14.21	13.66	1.60	0.55
18.	49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	5,752.54	4,906.25	260.44	846.29
19.	50	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	797.51	711.87	1.49	85.64
20.	51	राजस्व विभाग (दैवीय आपदा के संबंध में राहत)	4,965.50	2,833.00	2,000.00	2,132.50
21.	52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)	3,185.92	2,685.35	98.86	500.57
22.	65	राजस्व विभाग (लेखापरीक्षा, अल्पबचत आदि)	255.25	207.32	2.10	47.93
23.	72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	8,430.12	8,037.09	1.03	393.03
24.	73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	2,247.11	1,820.07	33.25	427.04
25.	75	शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद)	149.37	115.21	4.81	34.16
26.	76	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	301.49	257.04	4.50	44.45
27.	80	समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)	5,869.29	5,483.71	1.00	385.58

28.	81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	239.49	223.66	23.87	15.83
29.	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	12,523.18	10,869.33	50.36	1,653.85
30.	88	संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)	904.65	698.35	15.00	206.30
31.	92	संस्कृति विभाग	69.03	58.81	11.30	10.22
32.	94	सिंचाई विभाग (निर्माण)	2,208.78	2,170.24	64.00	38.54
		; kx	**73,475.12**	**59,364.27**	**3,708.17**	**14,110.85**
		jktLo &Hkkfjr				
33.	9	ऊर्जा विभाग	4,008.18	3,691.77	49.01	316.41
34.	42	न्याय विभाग	311.78	291.83	20.85	19.95
		; kx	**4,319.96**	**3,983.60**	**69.86**	**336.36**
		iwathxr &nÙker				
35.	11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	776.60	356.83	13.06	419.77
36.	13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	11,213.51	8,530.35	617.80	2,683.16
37.	15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	175.37	158.27	87.81	17.10
38.	26	गृह विभाग (पुलिस)	1,501.50	1,289.45	240.00	212.05
39.	31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	2,318.57	2,164.18	344.00	154.39
40.	32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	842.20	581.03	20.00	261.17
41.	38	नागरिक उड्डयन विभाग	202.00	196.59	100.00	5.41
42.	42	न्याय विभाग	1,090.51	598.09	89.00	492.42
43.	43	परिवहन विभाग	233.15	177.78	57.66	55.37
44.	47	प्राविधिक शिक्षा विभाग	257.26	175.71	1.00	81.55
45.	48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	902.39	712.51	155.13	189.88
46.	59	लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)	411.92	405.01	2.00	6.91
47.	69	व्यवसायिक शिक्षा विभाग	243.65	242.94	1.83	0.71
48.	71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	1,271.45	55.00	60.00	1,216.45
49.	72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	526.71	367.45	76.80	159.26
50.	74	गृह विभाग (होमगार्ड्स)	31.60	14.22	5.00	17.38
51.	79	समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	185.46	145.38	2.64	40.08
52.	81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	45.22	17.13	2.67	28.09
53.	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	9,048.64	7,897.10	1,326.44	1,151.54
54.	86	सूचना विभाग	24.00	0.00	10.00	24.00
55.	92	संस्कृति विभाग	52.38	35.16	6.77	17.22
56.	94	सिंचाई विभाग (निर्माण)	6,597.97	5,678.05	715.00	919.92
		; kx	**37,952.06**	**29,798.23**	**3,934.61**	**8,153.83**
		egk; kx	**1,15,747.14**	**93,146.10**	**7,712.64**	**22,601.04**

Ikfjf'k"V 2.7

fuf/k;ks dk vf/kd@vuko';d iqufoZfu;ksx

(सन्दर्भ: प्रस्तर 2.2.6 पृष्ठ 32)

(₹ yk[k esa)

Ø0 l0	vuqnku l[;k	vuqnku dk uke	y{[kk 'kh"kZ	iqufoZfu;ksx	vkf/kD;	Ckpr (-)
1.	01	आबकारी विभाग	2039-001-03	407.03	0.00	22.19
2.	02	आवास विभाग	4217-60-800-05	1,114.50	4,796.23	0.00
3.	04	उद्योग विभाग (खानें एवं खनिज)	2853-02-001-03	192.87	0.00	29.27
4.	07	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	4859-02-800-10	4,000.00	0.00	5,000.00
5.	08	उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन सामग्री)	2058-001-03	410.00	0.00	4.05
6.			2058-103-04	1.25	1.27	0.00
7.	09	ऊर्जा विभाग	4801-06-190-06	83,792.00	0.00	14,210.18
8.	10	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास)	2401-001-03	2.46	0.86	0.00
9.			2401-119-01	100.43	0.00	139.42
10.			2851-001-03	10.00	0.00	199.33
11.	11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	2415-80-120-09	238.29	0.00	385.34
12.			4415-80-277-27	570.14	0.00	355.64
13.	13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	2501-01-800-03	1,492.22	0.00	672.17
14.			2515-102-06	19.00	0.00	283.35
15.			2515-001-03	362.13	0.00	14.20
16.			2515-800-07	443.80	0.00	300.00
17.			2515-800-08	4,737.00	300.00	0.00
18.			4215-01-102-02	5,462.86	6,032.98	0.00
19.			4216-03-800-04	1,11,138.29	0.00	1,11,138.29
20.			5054-04-337-03	41,829.74	25,071.83	0.00
21.	15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	2403-102-13	92.00	0.00	0.58
22.			2403-102-22	100.00	31.24	0.00
23.			2403-104-01	21.00	0.00	25.00
24.			2403-106-03	200.00	0.00	61.96
25.			2403-107-01	15.00	0.00	0.70
26.			2403-113-01	123.50	0.00	187.49
27.	17	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)	2405-101-02	1,631.70	0.00	1,631.70
28.	18	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	2425-001-06	12.00	0.00	14.75
29.	21	खाद्य एवं रसद विभाग	3475-106-04	1.00	0.00	17.76
30.	25	गृह विभाग (कारागार)	2056-001-03	68.35	6.30	0.00
31.			2056-102-03	150.00	2.17	0.00
32.	27	गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)	2070-106-03	8.00	0.00	47.02
33.	28	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)	2235-60-800-03	4,000.00	0.00	15.52
34.	32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	2210-01-110-04	1,206.79	4,279.14	0.00
35.			2210-01-110-97	5,582.89	0.00	12.38
36.	33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी)	2210-05-101-06	19.98	0.00	1,485.35
37.	37	नगर विकास विभाग	2215-01-192-04	1,132.46	698.89	0.00

38.			2215-02-191-04	1,282.69	863.98	0.00
39.			2217-04-051-03	5,000.00	0.00	4,372.72
40.			2217-80-191-04	115.71	0.00	54.41
41.			2217-80-193-04	40.00	0.00	57.50
42.			4215-01-101-97	25,000.00	99.81	0.00
43.			6215-02-193-04	500.00	0.00	368.58
44.	39	भाषा विभाग	2202-05-102-05	1.50	0.00	8.50
45.	40	नियोजन विभाग	2575-02-800-04	5,000.00	81.86	0.00
46.			2575-06-105-05	30.00	0.00	30.00
47.			3451-092-05	5.80	0.00	6.14
48.			3454-02-001-03	3.52	0.32	0.00
49.			3454-02-001-04	5,689.19	0.00	236.11
50.			4515-800-05	1,500.00	4.67	0.00
51.			4575-02-800-04	11,189.00	1,892.03	0.00
52.			4575-06-102-03	61.87	123.57	0.00
53.			4575-06-800-15	158.63	0.00	158.63
54.	41	निर्वाचन विभाग	2015-103-05	167.22	12.61	0.00
55.			2015-106-04	66.22	0.00	3.95
56.	42	न्याय विभाग	4216-01-700-10	2,163.60	5,291.66	0.00
57.	44	पर्यटन विभाग	3452-80-800-03	140.00	0.00	32.91
58.			5452-80-104-08	443.31	75.12	0.00
59.	47	प्राविधिक शिक्षा विभाग	2203-105-03	33.30	0.00	498.62
60.			2203-800-03	162.00	0.00	0.37
61.			4202-02-104-58	950.24	0.00	650.24
62.	48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	2202-01-800-03	30.00	71.87	0.00
63.			4202-01-800-01	2,072.83	0.00	2,072.83
64.	49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	2235-02-190-06	40.27	0.00	40.27
65.	55	लोक निर्माण विभाग (भवन)	4059-60-051-04	72.22	0.00	72.22
66.			4059-80-051-18	200.00	111.80	0.00
67.			4059-80-051-23	190.80	24.17	0.00
68.			4216-01-106-03	625.00	152.71	0.00
69.			4216-01-700-05	200.00	177.82	0.00
70.	58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन–सड़कें)	5054-03-337-03	1,100.00	34,795.42	0.00
71.			5054-04-337-11	1,100.00	4,560.81	0.00
72.			5054-04-337-13	1,700.00	20,567.67	0.00
73.			5054-04-337-58	10,000.00	20,082.43	0.00
74.			5054-04-337-75	1,100.00	3,777.49	0.00
75.			5054-04-800-04	10,800.00	33,488.27	0.00
76.	59	लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)	2013-800-03	208.02	50.00	0.00
77.			2059-60-053-03	30.88	35.01	0.00
78.	60	वन विभाग	2235-60-200-04	100.00	70.30	0.00
79.			4406-01-102-05	930.66	0.00	0.01
80.			4406-02-110-15	170.17	0.53	0.00
81.	61	वित्त विभाग (ऋण सेवायें तथा अन्य व्यय)	2049-01-123-04	31,614.85	0.01	0.00
82.			2049-01-200-03	328.03	0.01	0.00
83.			2049-01-305-03	1,947.15	0.00	0.01

84.	65	वित्त विभाग (लेखापरीक्षा, अल्पबचत आदि)	2070-105-03	50.00	0.00	331.05
85.	68	विधान सभा सचिवालय	2011-02-101-03	800.75	89.48	0.00
86.			2011-02-103-03	170.00	0.00	0.02
87.			4059-80-800-04	35.25	0.00	35.25
88.	69	व्यवसायिक शिक्षा विभाग	2230-03-003-01	3.18	6.00	0.00
89.	72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	2202-01-102-04	2,100.00	0.00	629.20
90.			2202-02-001-03	67.70	19.13	0.00
91.			2202-05-103-04	2,000.00	0.00	10.76
92.			2202-05-103-05	387.09	0.00	237.68
93.	73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	2202-03-001-03	82.00	0.00	249.66
94.			2202-03-001-04	12.00	0.00	29.32
95.			2202-03-102-27	100.00	0.00	100.00
96.			2202-03-103-03	675.00	0.00	12,195.18
97.			4202-01-203-08	655.18	0.00	655.18
98.			4202-01-203-19	89.82	0.00	189.82
99.			4202-01-203-29	255.00	0.00	1,755.00
100.	74	गृह विभाग (होमगार्ड्स)	2070-107-04	28.00	0.00	341.19
101.			2070-107-07	892.00	0.00	29.36
102.	75	शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद)	2202-80-001-03	16.35	0.00	7.95
103.			2202-80-003-05	12.18	0.00	5.65
104.			2202-80-003-10	764.69	0.00	434.45
105.			2202-80-003-11	52.66	0.00	3.62
106.	76	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	2210-01-102-03	9.09	3.57	0.00
107.			2210-01-102-04	0.17	0.00	0.70
108.			2210-01-102-05	2.40	0.00	10.01
109.			2210-01-102-06	2.50	0.00	21.70
110.			2230-01-001-03	20.10	0.00	88.26
111.			2230-01-101-03	4.61	0.99	0.00
112.			2230-01-102-03	0.66	0.00	0.02
113.			2230-01-103-04	11.13	0.00	5.39
114.	78	सचिवालय प्रशासन विभाग	2013-104-03	295.00	0.00	0.01
115.			2251-090-03	40.00	71.46	0.00
116.			2251-090-04	4.38	0.00	5.39
117.			3451-090-03	50.00	60.16	0.00
118.	79	समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	2225-03-277-03	2,599.88	8.50	0.00
119.			2235-02-101-03	227.42	0.00	159.62
120.			2235-02-101-10	1,767.00	0.00	0.23
121.			4235-02-101-11	212.13	400.00	0.00
122.			4235-02-101-28	400.00	0.00	0.01
123.			4235-02-101-29	622.52	0.00	0.01
124.	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	2225-01-789-01	200.00	0.00	27,408.10
125.			2235-01-789-09	101.54	0.00	99.51
126.			2235-02-789-07	91.70	0.00	92.71
127.			4225-01-789-10	3,005.62	0.00	2,433.64
128.			4575-02-789-03	300.00	14.51	0.00
129.	86	सूचना विभाग	2220-60-001-03	519.58	0.01	0.00
130.			2220-60-111-03	4.70	0.00	0.01

131.	88	संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)	2052-091-03	2.00	0.00	21.39
132.			2052-091-06	12.00	0.00	103.81
133.	89	संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्य कर)	2040-800-03	10.26	296.99	0.00
134.			2040-800-05	18.25	10.42	0.00
135.	91	संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)	2030-03-001-03	100.00	0.00	387.53
136.	92	संस्कृति विभाग	2205-001-03	10.00	0.00	338.92
137.			2205-103-01	11.90	0.00	24.31
138.	94	सिंचाई विभाग (निर्माण)	2700-08-101-03	83.45	0.00	0.41
139.			2700-09-101-03	26.22	42.45	0.00
140.			2701-36-101-03	5.00	0.00	0.44
141.			2701-64-101-03	80.41	0.00	0.01
142.			2701-68-101-03	10.25	0.00	0.01
143.			4700-04-051-10	1,309.74	0.00	1,599.12
144.			4700-05-051-10	2,646.72	0.00	2,842.84
145.			4700-09-051-15	33,151.58	0.00	2,367.69
146.			4700-19-051-10	1,000.00	0.00	358.71
147.			4700-20-051-10	5,000.00	0.00	95.88
148.			4700-23-051-10	1,500.00	0.00	52.94
149.			4700-97-051-10	200.00	0.00	3,322.02
150.			4701-34-051-10	8,049.21	0.00	7,821.03
151.			4701-78-051-10	1,000.00	0.00	0.01
152.			4702-101-03	150.00	0.00	618.27
153.			4702-101-04	250.00	0.00	264.73
154.			4702-102-03	343.00	0.00	5790.19
155.			4711-01-103-01	718.76	0.00	9302.35
156.			4711-01-103-03	303.61	0.00	59.95
157.			4711-01-103-06	950.23	0.00	250.48
158.			4711-01-103-08	300.00	0.00	679.95
159.			4711-01-103-09	2,758.94	687.35	0.00
160.			4711-03-103-03	1,903.05	0.00	471.25
161.	95	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	2700-32-800-97	63.00	0.00	170.53
162.			2701-02-001-05	500.00	0.00	60.72
			;kx	**4,77,161.92** vFkok **4,771.62** djkM	**1,69,343.88** vFkok **1,693.44** djkM	**2,29,488.81** vFkok **2,294.89** djkM

ifjf'k"V 2.8

Ok"kZ 2016-17 esa vR;f/kd /kujkf'k;ksa dk vH;iZ.k

(सन्दर्भ: प्रस्तर 2.2.7; पृष्ठ 32)

Ø0 l0	vuqnku la[;k	vuqnku dk uke	;kstuk dk uke ¼ys[kk'kh"kZ½	ikoz/kku	vH;fiZr /kujkf'k	vH;fiZr /kujkf'k ¼izfr'kr esa½
1.	1	आबकारी विभाग	2039-001-04-जिला कार्यकारी अधिष्ठान	20.00	19.42	97
2.	2	आवास विभाग	4216-01-106-03-सिविल सर्विसेज इन्स्टीट्यूट के टावर्स का निर्माण	4,500.00	2,500.00	56
3.			4217-60-190-03-कानपुर मेट्रो रेल परियोजना में अंशपूंजी विनियोजन	5,000.00	5,000.00	100
4.			4217-60-190-04- वाराणसी मेट्रो रेल परियोजना में अंशपूंजी विनियोजन	5,000.00	5,000.00	100
5.			6217-03-800-03- ब्रज नियोजन एवं विकास बोर्ड को ऋण	1,000.00	1,000.00	100
6.	3	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	2851-102-26- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति के अन्तर्गत ब्याज उपादान	260.00	260.00	100
7.			2851-800-08- समाजवादी हस्तशिल्प पेंशन योजना	1,000.00	950.00	95
8.	5	उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग)	2851-105-10- बुन्देलखंड के नक्सल प्रभावित जनजाति बाहुल्य एवं अन्य पिछड़े जनपदों में न्यू मॉडल चर्खा वितरण	1,500.00	1,500.00	100
9.	6	उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)	2851-102-03- उत्तर प्रदेश वस्त्र उद्योग नीति–2014 के अन्तर्गत मेगा परियोजना का क्रियान्वयन	1,000.00	1,000.00	100
10.			2851-102-04-उत्तर प्रदेश वस्त्र उद्योग नीति–2014 के अन्तर्गत ब्याज उपादान योजना	2,000.00	1,564.26	78
11.			2851-103-06- समाजवादी हथकरघा पेंशन योजना	3,000.00	2,865.69	96
12.			2851-108-04- पावरलूम बुनकरों को विद्युत दर में छूट की प्रतिपूर्ति	15,000.00	15,000.00	100
13.			2851-108-07- जनेश्वर मिश्र पावरलूम उद्योग विकास योजना	1,500.00	827.25	55
14.	7	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	2852-07-202-04- उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्यूफैक्चरिंग नीति -2014 का क्रियान्वयन	1,100.00	1,023.82	93
15.			2852-07-202-22- इलेक्ट्रॉनिक मिशन निदेशालय	113.10	93.10	82
16.			2852-80-800-08-पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप परियोजनाओं तथा सार्वजनिक व सहकारी क्षेत्र की इकाइयों का विनिवेश	405.00	268.39	66
17.			2852-80-800-10- भारी उद्योग निवेश नीति के अर्न्तगत औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहन	41,500.00	41,500.00	100
18.			2852-80-800-12-लखनऊ से आजमगढ़ के रास्ते बलिया तक एक्सप्रेस वे परियोजना	520.00	320.00	62

19.			4059-80-800-03-जनपद कन्नौज में परफ्यूम पार्क एवं म्यूजियम	10,000.00	10,000.00	100
20.			4859-02-800-13- कमांड सेन्टरों की स्थापना	4,392.00	4,392.00	100
21.			6885-01-190-06- औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना	27,596.00	27,596.00	100
22.	10	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास)	2401-108-07- उत्तर प्रदेश आलू विकास नीति- 2014 का क्रियान्वयन	34.00	25.28	74
23.			2401-119-04- फल	7,498.50	4,775.21	64
24.			4401-119-01- केन्द्र पुरोनिधानित योजनाएँ।	730.00	436.25	60
25.	12	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन)	2515-800-03-मण्डलीय विकास निगमों के छटनीशुदा कर्मचारियों के वेतनादि का भुगतान	52.98	49.36	93
26.	13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	4515-102-04- विकास खंडों के आवासीय/अनावासीय भवनों का निर्माण	2,500.00	2,500.00	100
27.			4515-103-03- आई. स्पर्श योजना	30,000.00	24,710.23	82
28.			4702-102-13- क्षेत्रीय भू–जल हब की स्थापना	315.00	240.00	76
29.	19	कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)	2070-003-08- भारतीय प्रशासनिक सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों का प्रशिक्षण	195.87	123.94	63
30.	21	खाद्य एवं रसद विभाग	4059-60-051-01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	664.00	586.96	88
31.			4408-01-101-01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	4,497.66	2,432.01	54
32.			4408-01-101-04-डबल फोर्टिफाइड नमक	8,524.95	3,695.96	43
33.	22	खेल विभाग	4202-03-800-83-जनपद गाजीपुर में नवीन स्पोर्टस स्टेडियम का निर्माण	500.00	500.00	100
34.	23	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	2401-111-03-गन्ना उत्पादन कार्यक्रम के कार्यों एवं उसके आयातों का अध्ययन	44.80	23.71	53
35.	24	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	2852-08-201-06-सहकारी समितियों को सहायता	22,350.00	22,350.00	100
36.			2852-08-201-07-कृषकों को गन्ना मूल्य के भुगतान हेतु चीनी मिलों को अतिरिक्त सहायता/रियायत की प्रतिपूर्ति	93,600.00	93,600.00	100
37.			2852-08-201-08-चीनी उद्योग को जनरेशन एवं आसवनी प्रोत्साहन नीति के अन्तर्गत छूट	2,500.00	1,275.00	51
38.			2852-08-201-09-मे. जसवन्त शुगर मिल मलियाना मेरठ के भूमि के मुआवजे/प्रतिकर का भुगतान	269.00	269.00	100
39.	25	गृह विभाग (जेल)	2056-001-03- मुख्य	10.00	10.00	100
40.	28	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)	2052-091-04-जिला पासपोर्ट प्रकोष्ठों के लिये आनुषंगिक व्यय	24.54	21.74	89
41.			2251-200-06- मृतक स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के दाह संस्कार हेतु उनके आश्रितों को आर्थिक सहायता	10.00	5.61	56

42.			3055-190-04-आपातकालीन अवधि में मीसा एवं डी.आई.आर. में बन्द प्रदेश के राजनैतिक बन्दियों को उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा	400.00	296.79	74
43.			4250-800-03- स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी संस्थान द्वारा स्वतन्त्रता संग्राम के शहीदों के स्मारकों/ स्तम्भों के निर्माण तथा जन्म शताब्दी आदि के लिये	30.00	30.00	100
44.	31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	4210-03-105-08-रूरल इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एण्ड रिसर्च, सैफई, इटावा में पैरा मेडिकल इन्स्टीट्यूट की स्थापना	3,594.00	2,787.94	78
45.			4210-03-105-10-प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पी.एम.एच.एस.वाई)	2,000.00	2,000.00	100
46.			4210-03-105-39- गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज, कानपुर	1,807.00	1,095.15	61
47.			4210-03-105-63- पैरा मेडिकल कालेज, आजमगढ़	74.80	74.80	100
48.			4210-03-105-64- राजकीय मेडिकल कालेजों में गहन चिकित्सा कक्ष (आई.सी.यू.) की स्थापना	95.01	95.01	100
49.			6075-800-03-एस.जी.पी.जी.आई. लखनऊ में राज्य कर्मचारियों की चिकित्सा के लिये रिवॉलविंग फंड	100.00	100.00	100
50.	32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	2210-01-110-06- मंडल मुख्यालय पर डायलिसिस यूनिट की स्थापना	1,000.00	1,000.00	100
51.			2210-01-110-07- किशोरी स्वास्थ्या सुरक्षा योजना	3,000.00	2,117.05	71
52.			2210-01-110-08- राज्य कर्मचारियों को असाध्य बीमारी के उपचार हेतु कैश लेस चिकित्सा सुविधा	25.00	25.00	100
53.			2210-03-110-04- किशोरी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना	3,000.00	2,047.96	68
54.			2210-03-110-05- बी.एम.जी.एफ. के सहयोग से प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं का सुदृढ़ीकरण	2,000.00	2,000.00	100
55.			2210-80-800-06- आरोग्य निधि की स्थापना	500.00	411.05	82
56.			2210-80-800-07- जे.ई./ए.ई.एस. से मृत व्यक्तियों के परिवार तथा विकलांग व्यक्तियों को सहायता	500.00	282.50	57
57.	32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	2210-80-800-08- क्लीन ग्रीन अभियान	10.00	10.00	100
58.			2210-80-800-09- विभागीय वेबसाइटों का संचालन	500.00	500.00	100
59.			2210-80-800-10- लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर आकस्मिक चिकित्सा सुविधा	440.40	440.40	100
60.			2210-01-001-03- निर्देशन	20.00	14.30	72
61.			4210-01-110-10- चीरघर का निर्माण	807.50	583.65	72

62.			4210-01-110-13- जिला पुरूष/महिला चिकित्सालयों में रोगी आश्रय स्थल का निर्माण	95.00	59.22	62
63.			4210-01-110-16-अलीगढ़ में 300 शैय्यायुक्त चिकित्सालय भवन निर्माण	95.00	95.00	100
64.			4210-01-110-19- प्लास्टिक सर्जरी एवं बर्न यूनिट का भवन निर्माण (जिला योजना)	617.50	386.27	63
65.			4210-01-110-24- विधूना, ओरैया में डा. राम मनोहर लोहिया 50 शैय्यायुक्त नेत्र चिकित्सालय की स्थापना	636.16	318.08	50
66.			4210-01-110-72- 100 शैय्यायुक्त चिकित्सालयों की स्थापना	4,750.00	2,708.04	57
67.			4210-01-110-79- डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल चिकित्सालय, लखनऊ का परिसर का विस्तार	1,900.00	1,900.00	100
68.			4210-02-104-10- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिये उपकरणों का क्रय	2,514.05	1,325.81	53
69.			4210-02-110-17- जनपद बुलन्दशहर के ग्राम औरंगाबाद (अहीर) सिकन्दराबाद में 100 शैय्या चिकित्सालय का भवन निर्माण	2,000.00	2,000.00	100
70.	37	नगर विकास विभाग	2070-800-05-पशु वधशालाओं के संचालन हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति	27.70	17.62	64
71.	38	नागरिक उड्डयन विभाग	5053-80-800-03- हेलीकाप्टर/वायुयान का क्रय	10,000.00	10,000.00	100
72.			5053-80-800-04- हेलीकाप्टर/वायुयान की विशेष मरम्मत	200.00	157.23	79
73.	40	नियोजन विभाग	2575-06-105-04- कौशल विकास मिशन हेतु एकमुश्त व्यवस्था	300.00	300.00	100
74.			2575-06-800-04- समीक्षा, प्रशिक्षण एवं मूल्यांकन हेतु एकमुश्त व्यवस्था	50.00	50.00	100
75.			3425-60-004-03- इनोवेशन सेल की स्थापना	30.00	30.00	100
76.			3425-60-004-04- राज्य इनोवेशन फंड	900.00	900.00	100
77.			3425-60-004-05- इनोवेशन हेतु पुरस्कार	70.00	70.00	100
78.			3451-092-07- राज्य नियोजन संस्थान (मूल्यांकन प्रभाग) द्वारा विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के मूल्यांकन की प्रक्रिया में विशेषज्ञों की सेवाओं के उपयोग हेतु व्यवस्था)	50.00	44.08	88
79.			3451-800-06- सुशासन के क्षेत्र में इनोवेशन करने वाली सामाजिक संस्थाओं/संगठनों को बढ़ावा देने हेतु अनुदान	100.00	100.00	100
80.			4575-06-800-04- होम्यापैथी चिकित्सालयों के भवन निर्माण/विस्तार के लिये एकमुश्त व्यवस्था	5.00	5.00	100
81.			4575-06-800-07- सामुदायिक भवनों का निर्माण	50.00	38.48	77
82.			4575-06-800-08- आयुर्वेदिक औषधालयों का भवन निर्माण	5.00	5.00	100

83.			4575-06-800-11- मिनी स्टेडियम के निर्माण हेतु एकमुश्त व्यवस्था	100.00	69.51	70
84.			4575-06-800-12- अनुसूचित जनजाति आश्रम पद्धति विद्यालय के चहारदीवारी एवं परिसर में रोड के निर्माण हेतु एकमुश्त व्यवस्था	50.00	29.36	59
85.			4575-06-800-13- शौचालय निर्माण के लिये एकमुश्त व्यवस्था	600.00	329.74	55
86.			4801-05-800-03- त्वरित आर्थिक विकास योजना	12,300.01	7,300.01	59
87.			4801-80-800-03- त्वरित आर्थिक विकास योजना	2,000.01	1,589.53	79
88.	41	निर्वाचन विभाग	2015-105-03- सामान्य निर्वाचन	1,271.31	702.49	55
89.			2015-105-04- उप चुनाव	391.00	387.31	99
90.	43	परिवहन विभाग	3055-800-05- उ.प्र. सड़क सुरक्षा कोष से व्यय	1,500.00	1,284.58	86
91.			3055-800-97- बाह्य सहायतित योजनाएं	1,000.00	1,000.00	100
92.			4047-800-01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं	500.00	500.00	100
93.			4059-01-051-15- संम्भागीय परिवहन कार्यालय, आजमगढ़ में भवन निर्माण	1,700.00	1,700.00	100
94.			4059-01-051-16- संम्भागीय परिवहन कार्यालय, गौतमबुद्ध नगर में भवन निर्माण	1,500.00	1,493.02	100
95.			4059-80-800-01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	497.76	497.76	100
96.			5055-800-05- उ.प्र. सड़क सुरक्षा कोष से व्यय	3,500.00	2,420.32	69
97.	44	पर्यटन विभाग	3452-80-800-08- प्रदेश में वायु सेवा सुविधा के सम्बन्ध में सीट अंडरराईट हेतु	1,500.00	1,210.00	81
98.			5452-80-104-01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	8,500.00	6,663.46	78
99.			5452-80-104-03- पर्यटक आवास गृहों के लिये भूमि की अध्याप्ति	25.00	25.00	100
100.			5452-80-104-21- अयोध्या के पर्यटन विकास की योजना	100.00	100.00	100
101.			5452-80-104-28- कुशीनगर में निर्मित पथिक निवास में अवस्थापना सुविधाओं का विकास	30.00	30.00	100
102.			5452-80-104-31- गोमती नदी में क्रूज बोट का संचालन	2,000.00	2,000.00	100
103.			5452-80-104-32- काकोरी का पर्यटन विकास	500.00	250.82	50
104.			5452-80-104-14- ऐतिहासिक/पौराणिक स्थलों पर पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं का विकास	1,000.00	985.29	99

105.	47	प्राविधिक शिक्षा विभाग	2203-112-17- प्रदेश में संचालित निजी क्षेत्र में चिकित्सीय, अभियंत्रण संस्थाओं में परास्नातक, स्नातक व डिप्लोमा पाठ्यक्रम तथा शिक्षा विभाग द्वारा संचालित व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में निष्पक्ष एवं पारदर्शी प्रवेश तथा फीस निर्धारण हेतु	45.32	26.28	58
106.			2203-112-21- इंजीनियरिंग कालेजों की स्थापना	1,600.00	1,582.04	99
107.			4202-02-105-01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	6,453.00	5,933.00	92
108.			4202-02-105-06- कमला नेहरू इन्स्टीट्यूट ऑफ सांइस एंड टेक्नोलॉजी, सुलतानपुर को सहायक अनुदान (जिला योजना)	260.00	130.00	50
109.			4202-02-105-15- स्किल डेवलपमेंट एवं डिजाइन इन्स्टीट्यूट, जनपद उन्नाव	1,418.00	1,118.00	79
110.			4202-02-105-20- जनपद प्रतापगढ़ में इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना	100.00	100.00	100
111.	48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	2070-001-06-रजिस्ट्रार/निरीक्षक अरबी फारसी मदरसा उ.प्र. इलाहाबाद	83.31	54.99	66
112.			2070-800-03- उ0प्र0 वक्फ न्यायाधिकरण	427.60	350.67	82
113.			2071-01-117-03-सहायता प्राप्त अरबी फारसी मदरसों के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कार्मिकों के लिये	1,000.00	1,000.00	100
114.			2202-01-800-01- केन्द्रीय आयोजनागत /केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं	33,636.90	17,779.18	53
115.			2202-01-800-06- अरबी फारसी मदरसों को पोषण	10.00	5.85	59
116.			2202-02-800-12- राज्य अध्यापक पुरस्कार योजनाा	7.25	6.55	90
117.			2225-80-800-01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	64,436.56	64,291.67	100
118.			2235-02-800-01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	5,750.00	4,303.28	75
119.			4202-01-800-04- अखिल भारतीय प्रशासनिक/प्रादेशिक सिविल सेवाओं में अल्पसंख्यक छात्रों के लिए कोचिंग संस्थान	395.54	395.54	100
120.			4202-01-800-05- अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में बहुउद्देशीय शैक्षणिक हब की स्थापना	8,500.00	4,464.17	53
121.			4250-800-03- हज हाउस, लखनऊ तथा गाजियाबाद का निर्माण	1,512.26	1,512.26	100
122.	50	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	2053-093-03- कलेक्ट्रेट की स्थापना	15.00	15.00	100
123.	51	राजस्व विभाग (दैवीय आपदा के सम्बन्ध में राहत)	2235-02-200-03- अन्य राज्य सरकारों को दैवी आपदा के समय सहायता	10.00	5.00	50
124.			2245-05-800-04- दैवी आपदा से प्रभावित किसानों को राज्य सरकार से अतिरिक्त सहायता	2,25,000.00	1,69,193.43	75

125.			2245-80-800-06- उ.प्र. आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण	300.00	200.00	67
126.			2245-80-800-07- जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण	300.00	245.54	82
127.			4070-800-01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	250.00	250.00	100
128.			4250-101-05- स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फण्ड से व्यय	250.00	250.00	100
129.			4250-101-06- डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मिटिगेशन फण्ड से व्यय	250.00	250.00	100
130.			4250-101-07- उ.प्र. आपदा प्रबंध प्राधिकरण	500.00	453.05	91
131.	52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)	2029-800-05- भूमि अर्जन,पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन प्राधिकरण	947.29	946.44	100
132.			2059-80-053-03- राजस्व परिषद के अनावासीय भवनों का अनुरक्षण	15.00	15.00	100
133.			2075-800-06- वक्फों, न्यासों और धर्मस्वों को देय वार्षिक वृद्धियां	12.00	11.77	98
134.			2216-01-700-03- राजस्व परिषद के आवासीय भवनों का अनुरक्षण	15.00	15.00	100
135.			2029-001-03- भूमि अध्यापित–सामान्य राजस्व व्यय	5.00	5.00	100
136.			2029-101-03- भू–राजस्व (माल गुजारी) तकावी नहर और अन्य प्रकीर्ण सरकारी देय धनराशियों का संग्रहण प्रभार	10.50	10.50	100
137.			4059-01-800-04- राजस्व परिषद, लखनऊ/इलाहाबाद के अनावासीय भवनों में विभिन्न निर्माण कार्य	120.00	120.00	100
138.			4059-01-800-10- राजस्व परिषद के अनावासीय भवनों में लघु निर्माण कार्य	10.00	10.00	100
139.			4216-01-700-03- राजस्व परिषद के आवासीय भवन	10.00	10.00	100
140.			4216-01-700-05- राजस्व परिषद के आवासीय भवनों में विभिन्न निर्माण कार्य	112.16	83.00	74
141.			6003-106-03- ब्याज वाले बंधपत्र	5.00	5.00	100
142.	53	राष्ट्रीय एकीकरण विभाग	2070-800-01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं	60.00	38.30	64
143.			2070-800-03- मौलाना आजाद स्मारक अकादमी को अनुदान	15.00	7.50	50
144.			2070-800-08- महान विभूतियों के जन्म दिन पर राष्ट्रीय एकता एवं साम्प्रदायिक सद्भाव कार्यक्रमों का आयोजन	26.25	17.31	66
145.			2070-800-09- जिला एकीकरण समितियों पर व्यय	15.00	8.01	53
146.			2070-800-13-अन्तर्धार्मिक विवाह हेतु प्रोत्साहन (नकद पुरस्कार) (राज्यांश 100 प्रतिशत)	10.00	7.50	75
147.	57	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन–सेतु)	5054-04-101-36- प्रदेश के विभिन्न श्रेणी के मार्गों पर नये सेतुओं का निर्माण (नाबार्ड पोषित)	5,000.00	2,597.08	52

148.	58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन–सड़कें)	5054-03-337-84- एक लाख से अधिक आबादी के शहरों के बाई–पास का निर्माण	3,000.00	2,000.00	67
149.			5054-04-337-06- इंडो नेपाल बार्डर पर प्रस्तावित मार्ग के भूमि अध्याप्ति हेतु व्यवस्था	22,000.00	15,000.00	68
150.			5054-05-337-97- बाह्य सहायतित प्रोजेक्ट	58,500.00	38,288.22	65
151.			5054-80-800-04- मूल्यह्रास निधि से मशीनरी तथा उपस्कर क्रय	2,000.00	2,000.00	100
152.			5054-80-800-03- अन्य व्यय	1,200.00	1,058.32	88
153.	60	वन विभाग	2406-02-110-04- बर्ड फेस्टिवल का आयोजन	100.00	50.00	50
154.			2406-02-110-05- जंगल लॉजेज एवं रिजॉर्ट सोसाइटी	100.00	85.00	85
155.			2406-01-001-04- अधिष्ठान	13.70	7.99	58
156.			4406-01-800-17- गौरा हरदो, आजमगढ़ में वन विहार पार्क का विकास	500.00	264.93	53
157.			4406-02-110-18- साण्डी पक्षी विहार, हरदोई में वन विश्राम गृह का निर्माण	50.00	50.00	100
158.			4406-02-111-11- कानपुर प्राणी उद्यान, कानपुर में तितली पार्क	95.00	68.50	72
159.	61	वित्त विभाग (ऋण सेवायें तथा अन्य व्यय)	2235-60-200-03- मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को सहायता	100.00	65.55	66
160.			4070-800-03- परियोजनाओं के डी.पी. आर. पर होने वाला व्यय	500.00	500.00	100
161.			6075-800-03- सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों/स्वायत्तशासी संस्थाओं के वित्तीय पुनर्गठन के लिये ऋण सहायता	10,000.00	8,264.00	83
162.			7610-202-03- राज्य कर्मचारियों को मोटर वाहन क्रय के लिये अग्रिम	1,000.00	655.37	66
163.			7610-204-03- राज्य कर्मचारियों को व्यक्तिगत कम्प्यूटर क्रय हेतु अग्रिम	80.00	74.30	93
164.			7610-201-03- अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को भवन क्रय, निर्माण/मरम्मत या विस्तार के लिये अग्रिम	60.00	59.00	98
165.	63	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	2054-097-04- कोषागारों का कम्प्यूटरीकरण	100.00	92.43	92
166.			4059-01-051-03- प्रदेश के विभिन्न कोषागारों/उप कोषागारों में विभिन्न निर्माण/नवीनीकरण कार्य	200.00	166.00	83
167.	67	विधान परिषद सचिवालय	2011-02-102-03- विद्यायिका परिषद	72.92	25.76	35
168.	69	व्यावसायिक शिक्षा विभाग	2230-03-101-04- राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में नये व्यवसायिक प्रशिक्षण	122.59	100.86	82
169.			4250-203-01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	380.06	228.36	60
170.	71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	2202-01-053-04- प्राइमरी तथा जूनियर हाईस्कूल के भवनों का रख रखाव हेतु एकमुश्त प्रावधान	500.00	500.00	100

171.			2202-01-102-32- प्रदेश में संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को निःशुल्क यूनिफार्म	4,000.00	2,066.36	52
172.			2202-01-105-03- अनौपचारिक शिक्षा के अन्तर्गत परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी का अधिष्ठान व्यय	1,816.00	1,816.00	100
173.			2202-01-105-11- साक्षर भारत मिशन–2012	273.94	155.81	57
174.			2202-01-800-04- प्राथमिक विद्यालयों के छात्र छात्राओं को स्कूल बैग दिया जाना	15,000.00	9,084.81	61
175.			2202-01-800-09- साक्षरता निकेतन, लखनऊ परिसर छात्रावास का निर्माण	100.00	100.00	100
176.			2202-80-800-04- ''सभी के लिये शिक्षा'' की विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत सचिवालय स्तर पर बजट कार्य तथा अन्य योजनाओं के अनुश्रवण हेतु कोष्ठक की स्थापना	10.32	8.89	86
177.			2202-80-800-05- राष्ट्रीय/राज्य अध्यापक पुरस्कार प्राप्त अध्यापकों को परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा	10.00	10.00	100
178.			4202-01-201-01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	95,553.55	95,553.55	100
179.			4202-01-201-03- जिलों में बेसिक शिक्षा अधिकारियों के कार्यालय भवनों का निर्माण (जिला योजना)	312.36	168.45	54
180.			4202-01-201-05- बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास	26,358.30	26,354.91	100
181.			4202-01-201-10- मॉडल प्राथमिक विद्यालय	1,500.00	1,500.00	100
182.	72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	2202-02-107-11- ग्रामीण क्षेत्रों के माध्यमिक स्तर के (कक्षा 9–10) प्रतिभावान छात्रों को राष्ट्रीय छात्रवृत्तियाँ	8.00	6.24	78
183.			2202-02-107-13-हाईस्कूल और इंटर छात्र वृत्तियों की दरों में वृद्धि	42.50	24.54	58
184.			2202-02-107-19-राष्ट्रीय इंडियन मिलिटरी कालेज देहरादून में अध्ययनरत उ.प्र. के छात्रों को छात्रवृत्ति	10.80	7.68	71
185.			2202-02-109-06-राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त अनुभाग खोलने तथा नये विषयों का समावेश (जिला योजना)	176.76	100.77	57
186.			2202-02-110-05- सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों का शैक्षिक भम्रण	5.00	5.00	100
187.			2202-02-110-08-अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में विषय विशेषज्ञों को मानदेय के भुगतान हेतु व्यवस्था	50.00	38.75	78

188.			2202-02-800-03- गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में सामूहिक बीमा योजना हेतु राज्य सरकार का अंशदान	23.76	23.76	100
189.			2202-02-800-07- शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार हेतु माध्यमिक विद्यालयों की ग्रेडिंग	50.00	37.79	76
190.			2202-02-800-15- राज्य मुक्त विद्यालय परिषद	20.00	20.00	100
191.			2202-02-800-22- एक सुर एक ताल कार्यक्रम	50.00	26.09	52
192.			2202-02-800- 27- उ.प्र. माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त अशासकीय असहायिक विद्यालयों के अंशकालिक शिक्षकों को मानदेय का भुगतान	20,000.00	10,855.73	54
193.			4202-01-202-15- केन्द्रीय राज्य पुस्तकालय	10.00	8.01	80
194.			4202-01-202-23- उ.प्र. सैनिक स्कूल	10.00	10.00	100
195.	75	शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद)	2202-80-003-04-परिषद का हिन्दी भाषा विभाग राज्य हिन्दी संस्थान, वाराणसी	106.18	53.74	51
196.	76	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	2230-01-103-08- बाल श्रम अनुदान	28.92	15.75	54
197.			4250-201-03- औद्योगिक श्रमिक बस्तियों की सुरक्षा हेतु चहारदीवारी का निर्माण	1,000.00	1,000.00	100
198.	78	सचिवालय प्रशासन विभाग	2013-800-03- मंत्रियों तथा उपमंत्रियों के प्रकीर्ण व्यय	245.01	167.95	69
199.			2052-090-05- संसदीय कार्य विभाग	11.70	9.63	82
200.	81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	2217-05-796-01- केन्द्र प्रायोजित योजनायें	50.00	38.80	78
201.	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	2202-80-789-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	3,198.63	1,822.00	57
202.			2204-789-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	100.70	100.70	100
203.			2217-05-789-01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	12,500.00	12,500.00	100
204.			2230-02-789-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	5,450.00	4,356.63	80
205.			2515-789-05- अम्बेडकर रोजगार योजना	600.00	600.00	100
206.			2852-80-789-04-निजी क्षेत्र के सहयोग से एक्सप्रेस वे परियोजनाएं	10.00	10.00	100
207.			4202-02-789-01-केन्द प्रायोजित योजनाएं	497.00	367.00	74
208.			4202-02-789-17-स्किल्स इन्स्टीट्यूट, उन्नाव की स्थापना	420.00	420.00	100
209.			4202-03-789-04- सोनभद्र में विशिष्ट स्टेडियम का निर्माण	36.71	36.71	100
210.			4210-02-789-09-सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिये उपकरणों का क्रय	668.29	587.06	88
211.			4210-03-789-08- राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज, अम्बेडकरनगर	302.97	302.97	100

212.			4210-03-789-09- राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा	636.30	445.42	70
213.			4210-03-789-10- राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर	21.21	21.21	100
214.			4210-03-789-11- राजकीय मेडिकल कालेज, इलाहाबाद	424.20	328.76	78
215.			4210-03-789-12- राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ	474.74	379.30	80
216.			4210-03-789-13- राजकीय मेडिकल कालेज, झांसी	466.62	371.18	80
217.			4210-03-789-14- राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर	397.40	248.78	63
218.			4210-03-789-16- राजकीय मेडिकल कालेज, बदायूं	1,272.60	1,272.60	100
219.			4210-03-789-17- राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़	848.40	848.40	100
220.			4210-03-789-19- पैरा मेडिकल कालेज, आजमगढ़	21.21	21.21	100
221.			4210-03-789-20- मेडिकल कालेज, गोरखपुर में 500 शैय्या का बाल रोग चिकित्सा संस्थान	1,272.60	1,272.60	100
222.			4210-03-789-21- मेडिकल कालेज, कन्नौज में हृदय रोग अस्पताल	318.15	318.15	100
223.			4210-03-789-22- मेडिकल कालेज, कन्नौज में कैंसर अस्पताल	318.15	318.15	100
224.			4210-03-789-25- गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज, कानपुर में स्थापित कार्डियोलॉजिकल इन्स्टीट्यूट	84.84	84.84	100
225.			4210-03-789-32-राजकीय मेडिकल कालेज, चन्दौली	106.05	106.05	100
226.			4216-02-789-01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	3,000.00	2,484.03	83
227.			4406-01-789-01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	17.55	17.55	100
228.			4406-01-789-04- राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (सी.सी.एल. प्रणाली)	316.05	34.94	11
229.			4702-789-02- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	1,677.00	974.92	58
230.			4801-06-789-01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	30,000.00	30,000.00	100
231.			4801-06-789-07- दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत विद्युत वितरण कार्यों हेतु अंशपूंजी	7,300.00	7,300.00	100
232.			5054-04-789-21- नाबार्ड पोषित आर. आई.डी.एफ. के अन्तर्गत नये सेतुओं का निर्माण	1,345.98	699.12	52
233.			4210-03-789-30- पैरा मेडिकल इन्स्टीट्यूट, सैफई, इटावा	100.00	99.00	99
234.	84	सामान्य प्रशासन	2075-800-05- महारानी अहिल्याबाई होल्कर पुरस्कार योजना	6.00	6.00	100

235.		विभाग	4250-800-04- चित्रकूट में भजन संध्या एवं परिक्रमा स्थल के विकास/निर्माण	1,375.00	824.68	60
236.	86	सूचना विभाग	2220-01-003-02- फिल्म टेलीविजन एवं लिबरल आर्ट्स संस्थान	500.00	250.00	50
237.			2220-01-105-06- डिजीटल प्रसारण योजना	40.45	35.85	89
238.			2220-60-103-04- टैलीप्रिन्टर योजना	18.53	14.49	78
239.			2220-60-800-07- फिल्म विकास निधि की स्थापना	1,500.00	1,500.00	100
240.			4059-01-051-03- सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ.प्र. के मुख्यालय भवन का निर्माण	2,400.00	2,400.00	100
241.			4059-80-800-03- फिल्म टेलीविजन एवं लिबरल आर्ट्स संस्थान की स्थापना	1,000.00	1,000.00	100
242.	88	संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)	2235-60-110-03- समाजवादी किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के कार्यान्वयन हेतु	2,060.00	1,035.87	50
243.			4059-01-051-03- जनपद लखनऊ में संस्थागत वित्त निदेशालय के कार्यालय भवन का निर्माण	3,800.00	1,900.00	50
244.	89	संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्यिक कर)	2040-800-07- उ.प्र. पंजीकृत व्यापारियों के लिये जोखिम व्यक्तिगत दुर्घटना योजना	500.00	486.60	97
245.			2040-800-09- जी.एस.टी.एन. से सम्बन्धित व्यय	6,273.00	3,975.22	63
246.			2040-800-10- जी.एस.टी. का क्रियान्वयन	3,000.00	1,867.68	62
247.			2040-800-03- वाणिज्य कर आयुक्त का अधिष्ठान	10.00	6.29	63
			;kx	**11,08,684.25** vFkok **11,086.84** djkM	**9,28,048.29** vFkok **9,280.48** djkM	

lkfjf'k"V 2.9

okLrfod cpr ls vf/kd vH;iZ.k ¼₹ 50 yk[k ;k vf/kd½

(सन्दर्भः प्रस्तर 2.2.8 पृष्ठ 33)

¼₹ djksM+ esa½

Ø0 la0	vuqnku la[;k	vuqnku@fofu;ksx dk uke	dqy vuqnku	cpr	vH;fiZr /kujkf'k	vf/kd vH;fiZr /kujkf'k
		jktLo&nÙker				
1.	51	राजस्व विभाग (दैवीय आपदा के संबंध में राहत)	6,965.50	4,132.50	4,468.69	336.19
2.	68	विधान सभा सचिवालय	134.44	0.05	0.94	0.89
3.	72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	8,431.15	394.07	614.86	220.79
4.	78	सचिवालय प्रशासन विभाग	767.32	105.26	107.30	2.04
		fuoy ;ksx	**16,298.41**	**4,631.88**	**5,191.79**	**559.91**
		iwathxr&nÙker				
5.	43	परिवहन विभाग	290.81	113.03	117.85	4.82
6.	44	पर्यटन विभाग	423.45	124.54	125.29	0.75
		fuoy ;ksx	**714.26**	**237.57**	**243.14**	**5.57**
		egk;ksx	**17,012.67**	**4,869.45**	**5,434.93**	**565.48**

Ikfjf'k"V 2.10

vuqnkuksa@fofu;ksxksa dk fooj.k] ftuesa cpr gqbZ ijUrq mlds dkbZ Hkkx vH;fiZr ugha fd;k x;k

(सन्दर्भ: प्रस्तर 2.2.9 पृष्ठ 33)

¼₹ djksM+ esa½

Ø0 l0	vuqnku l[;k	vuqnku@fofu;ksx dk uke	Ckpr	
			jktLo	iwathxr
		I–vuqnku		
1.	09	ऊर्जा विभाग	371.79	248.01
2.	11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	-	432.83
3.	14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	-	0.82
4.	15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	154.19	104.92
5.	16	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)	5.03	46.05
6.	17	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)	58.75	-
7.	18	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	16.86	-
8.	26	गृह विभाग (पुलिस)	886.35	452.05
9.	27	गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)	10.69	-
10.	30	गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय)	0.89	-
11.	33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी)	240.85	4.37
12.	34	चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी)	89.27	3.58
13.	35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	1,263.58	188.99
14.	36	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	-	3.93
15.	42	न्याय विभाग	432.26	581.42
16.	49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	1,106.73	35.60
17.	62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते एवं पेंशन)	28.70	265.43
18.	65	वित्त विभाग (लेखापरीक्षा, अल्प बचत आदि)	50.04	-
19.	73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	460.29	57.84
20.	74	गृह विभाग (होमगार्ड्स)	4.28	22.38
21.	79	समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़े वर्गों का कल्याण)	34.29	42.72
22.	80	समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)	386.58	-
23.	91	संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)	36.99	2.00
24.	92	संस्कृति विभाग	21.52	23.98
25.	94	सिंचाई विभाग (निर्माण)	102.54	1,634.91
26.	95	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	1,180.41	-
		;ksx	**6,942.88**	**4,151.83**
		II – fofu;ksx		
27.	09	ऊर्जा विभाग	365.42	-
28.	15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	0.14	-

29.	17	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)	0.05	-
30.	18	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	1.14	4.50
31.	20	कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग)	-	0.10
32.	26	गृह विभाग (पुलिस)	0.27	-
33.	35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	0.02	-
34.	36	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	0.02	-
35.	42	न्याय विभाग	40.79	2.95
36.	49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	0.08	-
37.	54	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	0.04	-
38.	62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशन)	9.94	-
39.	72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	0.03	-
40.	94	सिंचाई विभाग (निर्माण)	-	9.13
41.	95	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	0.30	-
		;kx	**418.24**	**16.68**
		egk;kx	**7,361.12**	**4,168.51**
		jktLo vkj ihthxr dk ;kx	**11,529.63**	

Ikfjf'k"V 2.11

vH;fiZr u dh x;h ₹ ,d djksM+ ,oa mlls vf/kd dh cpr

(सन्दर्भ: प्रस्तर 2.2.9; पृष्ठ 33)

¼₹ djksM+ esa½

Ø0 l0	vuqnku la[;k	vuqnku@fofu;ksx dk uke	cpr	vH;iZ.k	cpr] ftUgsa vH;fiZr ugha fd;k x;k
		jktLo &nÙker			
1.	02	आवास विभाग	222.61	220.61	2.00
2.	03	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	61.69	32.45	29.24
3.	07	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	1,006.85	437.20	569.65
4.	09	ऊर्जा विभाग	371.79	0.00	371.79
5.	10	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास)	97.48	87.59	9.89
6.	11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	828.58	26.99	801.59
7.	12	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन)	103.67	19.67	84.00
8.	13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	302.86	77.10	225.76
9.	14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	95.73	63.26	32.47
10.	15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	154.19	0.00	154.19
11.	16	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)	5.03	0.00	5.03
12.	17	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)	58.75	0.00	58.75
13.	18	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	16.86	0.00	16.86
14.	21	खाद्य एवं रसद विभाग	74.71	38.40	36.31
15.	26	गृह विभाग (पुलिस)	886.35	0.00	886.35
16.	27	गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)	10.69	0.00	10.69
17.	28	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)	32.08	16.99	15.09
18.	31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	152.08	147.95	4.13
19.	32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	1,088.42	730.30	358.12
20.	33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी)	240.85	0.00	240.85
21.	34	चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी)	89.27	0.00	89.27
22.	35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	1,263.58	0.00	1,263.58
23.	36	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	281.30	266.59	14.71
24.	37	नगर विकास विभाग	2,751.47	729.56	2,021.91
25.	40	नियोजन विभाग	101.16	99.84	1.32
26.	42	न्याय विभाग	432.26	0.00	432.26
27.	43	परिवहन विभाग	55.64	50.17	5.47
28.	47	प्राविधिक शिक्षा विभाग	64.72	54.83	9.89
29.	49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	1,106.73	0.00	1,106.73
30.	52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)	599.42	594.01	5.41
31.	54	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	1,778.37	310.19	1,468.18
32.	62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते एवं पेंशन)	28.70	0.00	28.70
33.	65	वित्त विभाग (लेखापरीक्षा, अल्प बचत आदि)	50.04	0.00	50.04
34.	70	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	5.08	2.00	3.08

35.	71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	2,414.62	1,935.32	479.30
36.	73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	460.29	0.00	460.29
37.	74	गृह विभाग (होमगार्ड्स)	4.28	0.00	4.28
38.	75	शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद)	38.97	36.52	2.45
39.	76	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	48.95	47.35	1.60
40.	79	समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	34.29	0.00	34.29
41.	80	समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)	386.58	0.00	386.58
42.	81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	39.70	6.77	32.93
43.	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	1,704.21	814.10	890.11
44.	88	संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)	221.30	210.79	10.51
45.	91	संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)	36.99	0.00	36.99
46.	92	संस्कृति विभाग	21.52	0.00	21.52
47.	94	सिंचाई विभाग (निर्माण)	102.54	0.00	102.54
48.	95	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	1,180.41	0.00	1,180.41
		;kx	**21,113.66**	**7,056.55**	**14,057.11**
		ithxr&nÙker			
49.	07	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	1,483.82	1,233.82	250.00
50.	09	ऊर्जा विभाग	248.01	0.00	248.01
51.	10	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास)	6.49	4.66	1.83
52.	11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	432.83	0.00	432.83
53.	13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	3,300.96	280.04	3,020.92
54.	15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	104.92	0.00	104.92
55.	16	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)	46.05	0.00	46.05
56.	21	खाद्य एवं रसद विभाग	286.71	201.31	85.40
57.	22	खेल विभाग	33.78	13.98	19.80
58.	26	गृह विभाग (पुलिस)	452.05	0.00	452.05
59.	32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	281.17	259.80	21.37
60.	33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी)	4.37	0.00	4.37
61.	34	चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी)	3.58	0.00	3.58
62.	35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	188.99	0.00	188.99
63.	36	चिकित्सा विभाग (लोक स्वास्थ्य)	3.93	0.00	3.93
64.	37	नगर विकास विभाग	39.58	30.25	9.33
65.	42	न्याय विभाग	581.42	0.00	581.42
66.	47	प्राविधिक शिक्षा विभाग	82.55	74.11	8.44
67.	49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	35.60	0.00	35.60
68.	52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)	62.05	4.44	57.61
69.	59	लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)	8.91	7.45	1.46
70.	61	वित्त विभाग (ऋण सेवायें तथा अन्य व्यय)	117.50	115.97	1.53
71.	62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशन)	265.43	0.00	265.43
72.	71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	1,276.45	1,275.34	1.11
73.	72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	236.07	0.23	235.84

74.	73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	57.84	0.00	57.84
75.	74	गृह विभाग (होमगार्ड्स)	22.38	0.00	22.38
76.	79	समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	42.72	0.00	42.72
77.	81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	30.77	0.47	30.30
78.	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	2,477.98	791.13	1,686.85
79.	84	सामान्य प्रशासन विभाग	13.25	8.25	5.00
80.	91	संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)	2.00	0.00	2.00
81.	92	संस्कृति विभाग	23.98	0.00	23.98
82.	94	सिंचाई विभाग (निर्माण)	1,634.91	0.00	1,634.91
		;ksx	**13,889.05**	**4,301.25**	**9,587.80**
		jktLo- Hkkfjr			
83.	09	ऊर्जा विभाग	365.42	0.00	365.42
84.	18	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	1.14	0.00	1.14
85.	42	न्याय विभाग	40.79	0.00	40.79
86.	61	वित्त विभाग (ऋण सेवायें तथा अन्य व्यय)	70.47	5.58	64.89
87.	62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते एवं पेंशन)	9.94	0.00	9.94
		;ksx	**487.76**	**5.58**	**482.18**
		iwathxr – Hkkfjr			
88.	18	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	4.50	0.00	4.50
89.	42	न्याय विभाग	2.95	0.00	2.95
90.	94	सिंचाई विभाग (निर्माण)	9.13	0.00	9.13
		;ksx	**16.58**	**0.00**	**16.58**
		egk;ksx	**35,507.05**	**11,363.38**	**24,143.67**

ifjf'k"V 2.12
0;; dk vfrjsd
(संदर्भ: प्रस्तर 2.2.12; पृष्ठ 34)

¼₹ djksM+ e½

Ø0 l0	e[; 'kh"k	0;; dh ifdfr	dy ctV	ekpZ e dy 0;; ¼ldy½	ifr'krrk
		jktLo			
1.	2202	सामान्य शिक्षा	55,376.66	11,841.28	21.38
2.	2049	ब्याज भुगतान	27,382.97	4,342.07	15.86
3.	2515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	14,062.31	3,813.33	27.12
4.	2225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण	5,230.95	3,280.61	62.72
5.	3054	सड़क तथा सेतु	6,834.44	3,247.44	47.52
6.	2235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	16,074.25	3,073.74	19.12
7.	3604	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन	10,687.52	2,692.75	25.20
8.	2211	परिवार कल्याण	6,227.65	2,399.70	38.53
9.	2055	पुलिस	13,137.95	2,213.75	16.85
10.	2210	चिकित्सा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य	9,468.96	1,736.05	18.33
11.	2217	नगर विकास	6,291.22	1,194.06	18.98
12.	2401	फसल कृषि –कर्म	3,232.52	538.61	16.66
13.	2501	ग्राम्य विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	545.78	233.84	42.85
14.	2015	चुनाव	516.74	207.51	40.16
15.	3475	अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें	690.86	191.54	27.72
16.	2403	पशुपालन	1,126.15	184.72	16.40
17.	2402	मृदा एवं जल संरक्षण	746.70	138.40	18.53
18.	2053	जिला प्रशासन	822.36	135.12	16.43
19.	2030	स्टाम्प और पंजीकरण	294.46	114.01	38.72
20.	2220	सूचना एवं प्रचार	636.69	103.59	16.27
21.	2056	कारागार	638.40	99.03	15.51
22.	3055	सड़क परिवहन	244.25	87.23	35.71
23.	2408	खाद्य भण्डारण तथा भण्डागारण	247.17	55.61	22.50
24.	2203	तकनीकी शिक्षा	350.39	53.42	15.25
25.	3454	जनगणना, सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी	159.29	46.26	29.04
26.	2051	लोक सेवा आयोग	156.01	44.71	28.66
27.	2404	दुग्धशाला विकास	126.40	28.32	22.41
28.	2216	आवास	91.35	27.77	30.40
29.	2045	वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	84.72	18.55	21.90
30.	2075	विविध सामान्य सेवायें	47.29	8.77	18.55
31.	3435	पारिस्थितिकी विज्ञान तथा पर्यावरण	10.75	6.09	56.65
32.	3053	नागरिक उड्डयन	2.96	0.65	21.96
		;kx	**1,81,546.12**	**42,158.53**	

iwathxr					
1.	5054	सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	26,210.55	5,937.98	22.65
2.	4216	आवास पर पूंजीगत परिव्यय	6,782.22	2,804.29	41.35
3.	4210	चिकित्सा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	3,849.03	1,209.61	31.43
4.	4215	जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	3,240.00	558.32	17.23
5.	4070	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	1,198.28	431.62	36.02
6.	4235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	1,426.37	412.80	28.94
7.	4055	पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	1,697.50	318.64	18.77
8.	4406	वानिकी तथा वन्य प्राणियों पर पूंजीगत परिव्यय	751.45	296.20	39.42
9.	4711	बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	661.31	205.12	31.02
10.	4851	ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	779.53	190.09	24.39
11.	4575	अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	884.24	174.17	19.70
12.	4702	लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	690.92	167.09	24.18
13.	4250	अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	423.99	119.05	28.08
14.	5053	नागरिक उड्डयन पर पूंजीगत परिव्यय	302.00	116.00	38.41
15.	4701	मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	724.00	113.12	15.62
16.	4403	पशु पालन पर पूंजीगत परिव्यय	264.04	42.14	15.96
17.	4415	कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय	90.97	33.79	37.14
18.	4402	मृदा एवं जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय	26.89	10.68	39.72
19.	4047	अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	5.00	4.98	99.60
20.	4058	लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय	12.34	4.14	33.55
		;ksx	**50,020.63**	**13,149.83**	

ifjf'k"V 3.1
nks izfr'kr vfrfjDr LVkEi M~;wVh ds forj.k dk fooj.k

(संदर्भ: प्रस्तर 3.3; पृष्ठ 38)

¼₹ djksM+ esa½

Ø0 l0	Ukxj fuxe@uxj ikfydk@ifj"kn@fodkl ikf/kdj.kksa dk uke	forfjr /kujkf'k
1	आगरा विकास प्राधिकरण	20.15
2	बुलन्दशहर विकास प्राधिकरण	11.46
3	फिरोजाबाद शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण	4.00
4	कानपुर विकास प्राधिकरण	18.87
5	खुर्जा विकास प्राधिकरण	4.15
6	अलीगढ़ विकास प्राधिकरण	6.09
7	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	45.81
8	हापुड़ पिलखुआ विकास प्राधिकरण	6.66
9	लखनऊ विकास प्राधिकरण	43.88
10	मथुरा विकास प्राधिकरण	9.91
11	मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण	14.65
12	उन्नाव शुक्लागंज विकास प्राधिकरण	6.39
13	इलाहाबाद विकास प्राधिकरण	14.43
14	अयोध्या फैजाबाद विकास प्राधिकरण	2.91
15	आजमगढ़ विकास प्राधिकरण	1.08
16	बांदा विकास प्राधिकरण	1.13
17	बरेली विकास प्राधिकरण	7.47
18	चित्रकूट विकास प्राधिकरण	1.46
19	गोरखपुर विकास प्राधिकरण	9.73
20	झांसी विकास प्राधिकरण	4.59
21	कुशीनगर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण	1.89
22	मेरठ विकास प्राधिकरण	13.27
23	मिर्जापुर विन्ध्याचल विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण	0.67
24	मुरादाबाद विकास प्राधिकरण	9.31
25	उरई विकास प्राधिकरण	1.70
26	रायबरेली विकास प्राधिकरण	1.24
27	रामपुर विकास प्राधिकरण	1.66
28	सहारनपुर विकास प्राधिकरण	4.93
29	शक्तिनगर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण	0.75
30	वाराणसी विकास प्राधिकरण	20.36
31	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद	127.75
	;ksx	**418.35**

lkfjf'k"V 3.2

jkdMcgh dk vuj{k.k u fd;k tkuk

(संदर्भ: प्रस्तर 3.5; पृष्ठ 39)

(₹ djkM e)

Ø0 Lk0	fujh{k.k ifronu l[;k	bdkbZ dk uke	jkdMcgh dk vuj{k.k u fd;s tkus dh vof/k	jkdMcgh e/kujkf'k dk vdu u gkuk
1	09/121/2017-18	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, इटावा	02/2017 से 03\2017	10.73
2	29/2017-18	जिलाधिकारी, जालौन	04/2014 से 03/2017	85.08
3	09/2017-18	जिला उद्यान अधिकारी, ललितपुर	04/2016 से 03/2017	3.76
4	118/17-18	जिला विकास अधिकारी, संतकबीर नगर	04/2014 से 03/2017	210.27
5	01/2017-18	वित्त एवं लेखाधिकारी, (माध्यमिक शिक्षा), अम्बेडकर नगर	09/2012 से 03/2016	8.65
6	09/2017-18	जिला प्रोबेशन अधिकारी, बरेली	05/2015 से 11/2016	5.48
7	13/2017-18	वित्त एवं लेखाधिकारी, (माध्यमिक शिक्षा), बाराबंकी	09/2012 से 03/2017	95.75
8	27/2017-18	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी, प्रतापगढ़	11/2016 से 03/2017	0.48
9	29/2017-18	क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, लखनऊ	02/2016 से 03/2017	299.95
10	40/2017-18	वित्त एवं लेखाधिकारी, (माध्यमिक शिक्षा), संतकबीर नगर	04/2014 से 03/2017	7.74
11	45/2017-18	जिला विद्यालय निरीक्षक, आजमगढ़	02/2016 से 03/2017	18.55
12	48/2017-18	वित्त एवं लेखाधिकारी, (माध्यमिक शिक्षा), बहराइच	04/2013 से 03/2017	34.32
13	55/2017-18	जिला विद्यालय निरीक्षक, फैजाबाद	04/2014 से 03/2017	243.38
14	62/2017-18	वित्त एवं लेखाधिकारी, (माध्यमिक शिक्षा), कुशीनगर	04/2013 से 03/2017	9.14
15	63/2017-18	जिला विद्यालय निरीक्षक, बदायूं	04/2014 से 03/2016	55.61
16	66/2017-18	क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी	08/2016 से 03/2017	125.99
17	68/2017-18	जिला विद्यालय निरीक्षक, गोरखपुर	04/2015 से 03/2017	290.21
18	75/2017-18	क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, आगरा	04/2015 से 03/2017	379.17
19	22/2016-17	बेसिक शिक्षा निदेशालय, उ.प्र. इलाहाबाद	04/2016 से 03/2017	7.77
20	96/2017-18	जिला समाज कल्याण अधिकारी, अम्बेडकर नगर	11/2016 से 03/2017	0.51
21	11/2017-18	जिला समाज कल्याण अधिकारी, आजमगढ़	06/2016 से 03/2017	23.43
22	83/2017-18	जिला समाज कल्याण अधिकारी, हरदोई	04/2016 से 03/2017	20.64
		egk;kx		**1,936.61**

Ikfjf'k"V 3.3

o"k 2016-17 e jkT; Ljdkj }kjk mu Lkoltfud {k= miØeks e fuos'k ftuds ys[k 31 ekp 2017 rd cdk;s Fks

(संदर्भ: प्रस्तर 3.6; पृष्ठ 40)

(₹ djksM+ esa)

Ø0 Lk0	Lkoltfud {k= ds miØeks dk uke	Ok"k tc rd ds ys[kks dk vfUrehdj.k gqvk	iznRr iath	vof/k tc rd ds ys[k vfUrehdj.k grq yfEcr	jkT; Ljdkj }kjk o"k ds nkSjku fuos'k ftuds ys[k cdk;s esa gS			
					bfDoVh	_.k	vuqnku	lfCLMh
v-	fØ;k'khy 'kkldh; dEifu;k							
1.	उ.प्र. भूमि सुधार निगम	2014-15	1.50	2015-16 से 2016-17	00	00	130.00	00
2.	उ.प्र. अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि.	2013-14	230.42	2014-15 से 2016-17	00	00	00	42.44
3.	उ.प्र. राज्य कताई कम्पनी लि.	2015-16	93.24	2016-17	00	2.48	00	00
4.	उ.प्र. इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन लि.	2015-16	91.54	2016-17	00	00	15.84	00
5.	उ.प्र. राज्य यार्न कम्पनी लि. (उ.प्र. राज्य कारपोरेशन लि. की सहायक)	2015-16	53.67	2016-17	00	3.01	00	00
6.	पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि. (उ.प्र. पावर टेक्सटाइल कारपोरेशन लि. की सहायक)	2014-15	5,941.25	2015-16 से 2016-17	00	00	00	1,228.91
7.	जवाहर विद्युत उत्पादन निगम लि.	2015-16	1.05	2016-17	125.00	00	00	00
8.	उ.प्र. पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि. (उ.प्र. पावर कारपोरेशन लि. की सहायक)	2014-15	8,641.20	2015-16 से 2016-17	1,695.00	00	00	00
9.	पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि. (उ.प्र. पावर कारपोरेशन लि. की सहायक)	2014-15	7,558.07	2015-16 से 2016-17	2,073.26	00	00	2,076.22
10.	उ.प्र. पावर कारपोरेशन लि.	2014-15	49,930.46	2015-16 से 2016-17	9,722.98	3,700.32	00	00
11.	उ.प्र. डेवलपमेंट सिस्टम कारपोरेशन लि.	2014-15	1.00	2015-16 से 2016-17	00	20.00	2.00	00
12.	उ.प्र. खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लि.	2008-09	5.50	2009-10 से 2016-17	00	40.00	00	00
13.	उ.प्र. वक्फ विकास निगम लि.	2003-04	5.25	2004-05 से 2016-17	1.50	00	00	00
14.	इलाहाबाद शहर परिवहन सेवा	2013-14	4.91	2014-15 से 2016-17	00	00	5.49	00
15.	वाराणसी शहर परिवहन सेवा लि.	-		2010-11 से 2016-17	00	00	2.54	00
	;kx v ¼fØ;k'khy 'kkldh; dEifu;k½				**13,617.74**	**3,765.81**	**155.87**	**3,347.57**

c-	fØ;k'khy lkfof/kd fuxe							
1.	उ.प्र. राज्य सड़क परिवहन निगम	2014-15	568.08	2015-16 से 2016-17	100.00	50.00	00	00
;kx (v + c)					**13,717.74**	**3,815.81**	**155.87**	**3,347.57**
l-	vfØ;k'khy dEifu;k							
1.	छाता चीनी कम्पनी लि. (उ.प्र. राज्य चीनी कारपोरेशन लि. की सहायक)	2014-15	81.38	2015-16 से 2016-17	00	0.68	00	00
2.	उ.प्र. राज्य टेक्सटाइल कारपोरेशन लि.	2015-16	160.79	2016-17	00	0.85	00	00
;kx l (vfd;k'khy dEifu;k)					**00**	**1.53**	**00**	**00**
Ekgk;kx (v + c + l)					**13,717.74**	**3,817.34**	**155.87**	**3,347.57**

Ikfjf'k"V 3.4

o"k 2016-17 e jkT; Ijdkj }kjk mu Ikoltfud {k= miØeks e fuos'k ftudh y[k 31 ekpZ 2016 rd cdk;k Fk

(संदर्भ: प्रस्तर 3.6; पृष्ठ 40)

(₹ djkM+ e)

Ø0 LkO	Ikoltfud {k= d miØe dk uke	0k"k tc rd d y[kk dk vfUrehdj.k gvk	inRr iwth	vof/k tc rd d y[k vfUrehdj.k gr yfEcr	jkT; Ijdkj }kjk o"k d nkSjku fuos'k ftud y[k cdk;k e g			
					bfDoVh	_.k	vunku	IfCIMh
v-	fØ;k'khy 'kkIdh; dEifu;k							
1.	उ.प्र. अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि.	2011-12	216.99	2012-13 से 2015-16	00	00	00	59.17
2.	उ.प्र. इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन लि.	2014-15	91.54	2015-16	00	00	20.93	00
3.	उ.प्र. राज्य यार्न कम्पनी लि. (उ.प्र. राज्य टेक्सटाइल कारपोरेशन लि. की सहायक)	2014-15	53.67	2015-16	00	0.85	00	00
4.	उ.प्र. राज्य पर्यटन विकास कारपोरेशन लि.	2013-14	18.60	2014-15 से 2015-16	14.00	00	00	00
5.	लखनऊ मेट्रो कारपोरेशन	2014-15	80.05	2015-16	450.00	150.00	300.00	00
6.	उ.प्र. खाद्य एवं आवश्यक वस्तु कारपोरेशन लि.	2007-08	5.50	2008-09 से 2015-16	5.50	11.88	00	00
7.	उ.प्र. राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि.	2014-15	8,043.05	2015-16	832.91	00	00	00
8.	उ.प्र. पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि. (उ.प्र. पावर कारपोरेशन लि. की सहायक)	2014-15	8,641.20	2015-16	1,450.00	00	00	00
9.	उ.प्र. पावर कारपोरेशन लि.	2013-14	35,690.22	2014-15 से 2015-16	16,498.92	00	00	00
;kx v ¼fØ;k'khy 'kkIdh; dEifu;k½			**52,840.82**		**19,251.33**	**162.73**	**320.93**	**59.17**
c-	fØ;k'khy Lkkafof/kd fuxe				शून्य			
I.	vfØ;k'khy dEifu;k				शून्य			
Ekgk;kx (v+c+I)			**52,840.82**		**19,251.33**	**162.73**	**320.93**	**59.17**

lkfjf'k"V 3.5

ykHk vftZr djus okys lkoZtfud {ks= miØe

(संदर्भ: प्रस्तर 3.7; पृष्ठ 41)

(₹ djksM+ esa)

Ø0 Lk0	lkoZtfud {ks= miØe dk uke	ys[kk dh vof/k	fuoy ykHk	lafpr ykHk@gkfu	iznRr iwath ¼jkT; ljdkj½	?kksf"kr gksus okyk ykHkka'k	?kksf"kr ykHkka'k
1.	उ.प्र. राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि.	2016-17	871.58	920.97	9970.40	498.52	0.00
2.	उ.प्र. राज्य औद्योगिक विकास निगम लि.	2012-13	125.63	282.16	24.08	1.20	1.20
3.	उ.प्र. राजकीय निर्माण निगम लि.	2012-13	115.29	800.72	1.00	0.05	0.20
4.	उ.प्र. राज्य भण्डारण निगम	2014-15	87.07	426.00	7.79	0.39	0.00
5.	उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद	2015-16	50.68	4,747.26	0.00	0.00	0.00
6.	उ.प्र. राज्य सेतु निगम लि.	2014-15	47.03	172.66	15.00	0.75	3.71
7.	उ.प्र. पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि.	2014-15	28.97	149.35	0.43	0.02	0.02
8.	उ.प्र. जल विद्युत निगम लि.	2014-15	27.88	-327.03	434.53	0.00	0.00
9.	उ.प्र. वित्त निगम	2012-13	17.38	-898.38	114.17	0.00	0.00
10.	उ.प्र. जल निगम	2011-12	16.82	-81.15	0.00	0.00	0.00
11.	उ.प्र. पुलिस आवास निगम लि.	2015-16	16.53	25.24	3.00	0.15	0.00
12.	उ.प्र. राज्य एग्रो औद्योगिक कारपोरेशन लि.	2010-11	16.12	-16.09	46.30	0.00	0.00
13.	उ.प्र. राज्य निर्माण एवं अवसंरचना विकास निगम लि. (उ.प्र. समाज कल्याण निर्माण निगम लि. के रूप में पूर्व में जाना जाता था)	2015-16	15.82	71.56	0.15	0.01	0.02
14.	उ.प्र. प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि.	2014-15	11.16	56.62	5.40	0.27	0.64
15.	उ.प्र. अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि.	2013-14	8.74	121.76	123.24	6.16	0.00
16.	उ.प्र. खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लि.	2008-09	7.39	30.79	5.50	0.28	0.65
17.	उ.प्र. लघु उद्योग कारपोरेशन लि.	2007-08	4.39	-9.48	5.96	0.00	0.00
18.	उ.प्र. वन निगम	2015-16	4.26	1,424.63	0.00	0.00	0.00
19.	उ.प्र. राज्य सड़क परिवहन निगम	2014-15	3.96	-1,313.10	508.07	0.00	0.00
20.	उ.प्र. बीज विकास निगम लि.	2012-13	3.51	113.37	6.92	0.35	0.00
21.	नोएडा मेट्रो रेल कारपोरेशन लि.	2015-16	3.04	525.61	0.00	0.00	0.00
22.	उ.प्र. डेवलपमेंट सिस्टम कारपोरेशन लि.	2014-15	2.66	5.18	1.00	0.05	0.00
23.	उ.प्र. इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन लि.	2015-16	1.93	5.40	91.54	4.58	0.10
24.	अलमोड़ा मैग्नेसाइट लि. (139 (5) एवं (7) कम्पनी)	2015-16	1.90	2.54	0.00	0.00	0.00
25.	अपट्रॉन पावरट्रॉनिक्स लि. (उ.प्र. इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन की सहायक)	2015-16	1.87	-2.70	0.00	0.00	0.00
26.	श्रीट्रॉन इंडिया लि. (उ.प्र. इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन की सहायक)	2015-16	1.40	2.84	0.00	0.00	0.00

27.	उ.प्र. महिला कल्याण निगम लि.	2013-14	0.36	2.07	4.71	0.24	0.00
28.	उ.प्र. राज्य चमड़ा विकास एवं विपणन कारपोरेशन लि.	2000-01	0.26	-6.85	5.74	0.00	0.00
29.	उ.प्र. अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लि.	2002-03	0.22	2.68	30.00	1.50	0.00
30.	उ.प्र. मत्स्य विकास निगम लि.	2009-10	0.19	1.11	1.07	0.05	0.00
31.	उ.प्र. भूमि सुधार निगम	2014-15	0.08	0.74	1.50	0.08	0.00
32.	उ.प्र. (मध्य) गन्ना बीज एवं विकास निगम लि.	2016-17	0.02	-0.80	0.15	0.00	0.00
33.	यू0सी0एम0 कोयला कम्पनी लि.	2015-16	0.01	-0.08	0.00	0.00	0.00
		;kx	**1,494.15**		**11,407.65**	**507.48**	**6.54**

10 पी0एस0यू0 ने ₹ 507.48 करोड़ का लाभांश घोषित नहीं किया।

lkfjf'k"V 3.6

foHkkxokj@vof/kokj yfEcr izdj.kksa dk fooj.k
¼fteesa vfUre dk;Zokgh ekpZ 2017 rd yfEcr FkhA½

(संदर्भ: प्रस्तर 3.9; पृष्ठ 42)

(dk"Bd esa vkadMs ₹ yk[k esa* izknf'kZr gSA)

Ø0 LkO	foHkkx dk uke	5 o"kZ rd	5 ls 10 o"kZ rd	10 ls 15 o"kZ rd	15 ls 20 o"kZ rd	20 ls 25 o"kZ rd	25 o"kZ ls vf/kd	izdj.kksa dk ;ksx
1	कृषि विभाग	-	-	2(7.44)	-	-	1(0.18)	3(7.62)
2	पशुपालन विभाग	-	-	-	2(3.46)	6(1.18)	8(1.91)	16(6.55)
3	सहकारिता विभाग	-	-	-	1(1.28)	1(0.17)	-	2(1.45)
4	शिक्षा विभाग	-	5(112.94)	-	1(5.00)	-	-	6(117.94)
5	मत्स्य विभाग	-	1(1.01)	-	-	-	2(1.60)	3(2.61)
6	खाद्य एवं रसद विभाग	-	-	1(3.06)	-	-	8(25.72)	9(28.78)
7	सिंचाई विभाग	3(53.12)	4(57.89)	10(0.52)	7(3.67)	17(5.83)	-	41(121.03)
8	न्याय विभाग	-	-	1(4.44)	-	-	-	1(4.44)
9	भूमि अध्याप्ति विभाग	-	-	-	-	-	3(331.78)	3(331.78)
10	चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	-	-	-	-	2(3.95)	9(11.94)	11(15.89)
11	पुलिस विभाग	1(0.00)	1(4.00)	-	-	1(1.21)	3(2.89)	6(8.10)
12	पी.ए.सी.	-	-	-	1(47.48)	-	1(0.51)	2(47.99)
13	लोक निर्माण विभाग	-	4(111.96)	6(36.41)	-	-	-	10(148.37)
14	राजस्व विभाग	1(6.68)	-	-	1(1.72)	-	3(6.09)	5(14.49)
15	ग्राम्य विकास विभाग	-	-	-	-	2(1.21)	7(2.07)	9(3.28)
16	समाज कल्याण विभाग	1(4.44)	-	-	1(0.25)	-	2(0.70)	4(5.39)
17	प्राविधिक शिक्षा विभाग	-	-	1(11.59)	-	-	-	1(11.59)
18	बाट एवं माप विभाग	-	-	-	-	-	1(1.01)	1(1.01)
19	उद्यान विभाग	-	-	1(3.59)	-	-	-	1(3.59)
20	वित्त विभाग	-	-	-	-	-	1(0.67)	1(0.67)
	;ksx	**6(64.24)**	**15(287.80)**	**22(67.05)**	**14(62.86)**	**29(13.55)**	**49(387.07)**	**135(882.57)**

ifjf'k"V 3.7

pkjh] nfofu;kx] 'kkldh; lkefx;k dh gkfu ,o xcu d dkj.k jkT; ljdkj dk gb {kfr d i:dj.kk dk foHkkxokj@J.khokj fooj.k

(संदर्भ: प्रस्तर 3.9; पृष्ठ 42)

(₹ yk[k e)

Ø0 l0	foHkkx dk uke	pkjh d i:dj.k		nfofu;kx d i:dj.k		'kkldh; lkefx;k dh gkfu d i:dj.k		xcu d i:dj.k		;kx	
		i:dj.k dh l[;k	/kujkf'k	i:dj.k dh l[;k	/kujkf'k	i:dj.k dh l[;k	/kujkf'k	i:dj.k dh l[;k	/kujkf'k	i:dj.k dh l[;k	/kujkf'k
1	कृषि विभाग	-	-	1	5.45	2	2.17	-	-	3	7.62
2	पशुपालन विभाग	11	1.78	-	-	3	1.55	2	3.22	16	6.55
3	सहकारिता विभाग	1	1.28	-	-	-	-	1	0.17	2	1.45
4	शिक्षा विभाग	2	6.60	1	6.19	-	-	3	105.15	6	117.94
5	मत्स्य विभाग	-	-	-	-	1	1.23	2	1.38	3	2.61
6	खाद्य एवं रसद विभाग	-	-	-	-	4	10.15	5	18.63	9	28.78
7	सिंचाई विभाग	33	15.84	3	29.72	3	5.28	2	70.19	41	121.03
8	न्याय विभाग	-	-	-	-	-	-	1	4.44	1	4.44
9	भूमि अध्याप्ति विभाग	-	-	1	5.78	-	-	1	326.00	3	331.78
10	चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	6	4.13	-	-	1	1.09	4	10.67	11	15.89
11	पुलिस विभाग	-	-	-	-	2	4.00	4	4.10	6	8.10
12	पी.ए.सी.	-	-	-	-	-	-	2	47.99	2	47.99
13	लोक निर्माण विभाग	3	1.63	-	-	7	146.74	-	-	10	148.37
14	राजस्व विभाग	-	-	-	-	-	-	5	14.49	5	14.49
15	ग्राम्य विकास विभाग	4	0.94	-	-	1	0.14	4	2.20	9	3.28
16	समाज कल्याण विभाग	-	-	-	-	-	-	4	5.39	4	5.39
17	प्राविधिक शिक्षा विभाग	-	-	1	11.59	-	-	-	-	1	11.59
18	बाट एवं माप विभाग	1	1.01	-	-	-	-	-	-	1	1.01
19	उद्यान विभाग	-	-	-	-	-	-	1	3.59	1	3.59
20	वित्त विभाग	-	-	-	-	-	-	1	0.67	1	0.67
	;kx	**61**	**33.21**	**8**	**58.73**	**24**	**172.35**	**42**	**618.28**	**135**	**882.57**

ifjf'k"V 3.8
foHkkxh; okf.kfT;d miØek d y[kkvk dk vfUrehdj.k vkj fuo'kk dk fooj.k

(संदर्भः प्रस्तर 3.10; पृष्ठ 43)

Ø0 l0	miØe dk uke	y[kkvk d vfUrehdj.k dk o"k	v|ru vfUre y[k d vuqlkj fuo'k (₹ djkM e)
	fl pkb foHkkx		
1	सिंचाई कार्यशाला खण्ड, कानपुर	2016-17	1.69
2	सिंचाई कार्यशाला खण्ड, झाँसी	2016-17	12.78
3	सिंचाई कार्यशाला खण्ड, बरेली	2016-17	11.72
4	सिंचाई कार्यशाला खण्ड, मेरठ	2016-17	0.51
5	सिंचाई कार्यशाला खण्ड, गोरखपुर	2016-17	(-)0.14
6	सिंचाई कार्यशाला खण्ड, इलाहाबाद	2016-17	3.71
	[kk| ,o jln foHkkx		
7	खाद्यान्न की सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना	2012-13	3,659.94
	Ik'kikyu foHkkx		
8	राजकीय पशुधन सहकृषि फार्म	2014-15	27.97
	LokLF; foHkkx		
9	स्टेट फार्मेसी आफ आयुर्वेदिक एण्ड यूनानी मेडिसिन	1987-88	उपलब्ध नहीं
		;kx	**3, 718.18**

ifjf'k"V 4

'kCnkoyh ¼vfrfjDr vkdM½

x.kuk dk vk/kkj

in	x.kuk dk vk/kkj
वृद्धि दर (आर.ओ.जी.)	[(वर्तमान वर्ष की धनराशि/विगत वर्ष की धनराशि) –1] x 100
विकास पर व्यय	सामाजिक सेवाएं + आर्थिक सेवाएं
राज्य द्वारा औसत ब्याज भुगतान	ब्याज भुगतान/[(विगत वर्ष की राजकोषीय देयताएं + वर्तमान वर्ष की राजकोषीय देयताएं)/2] x 100
बकाया ऋण से ब्याज प्राप्ति का *प्रतिशत*	प्राप्त ब्याज [(प्रारम्भिक अवशेष + ऋण एवं अग्रिम का अन्तिम अवशेष)/2] x 100
राजस्व घाटा	राजस्व प्राप्तियां – राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय + पूंजीगत व्यय + निवल ऋण एवं अग्रिम – राजस्व प्राप्तियां – विविध पूंजीगत प्राप्तियां
प्राथमिक घाटा	राजकोषीय घाटा – ब्याज भुगतान
वर्तमान राजस्व से शेष (बी. सी. आर.)	राजस्व प्राप्तियां – लेखाशीर्ष ''2048 ऋण में कमी अथवा परिहार हेतु विनियोग'' के अन्तर्गत व्यय को छोड़कर समस्त आयोजनागत अनुदान तथा आयोजनेत्तर राजस्व व्यय

inks dh 0;k[;k

in	0;k[;k
विकास व्यय	व्ययों के आँकड़ों का विश्लेषण विकास एवं गैर विकास के कार्यो पर हुए व्यय में विभाजित किया गया है। राजस्व लेखा पूंजीगत परिव्यय एवं ऋण तथा अग्रिमों से संबंधित व्यय को सामाजिक सेवा, आर्थिक सेवा एवं सामान्य सेवाओं में विभाजित किया गया है। वृहद् रूप से सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर किया गया व्यय विकास व्यय होता है जबकि सामान्य सेवाओं पर किया गया व्यय गैर विकास व्यय है।
ऋण संवहनीयता	राज्य द्वारा ऋण–सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात को स्थिर रखने की क्षमता को ऋण संवहनीयता के रूप में परिभाषित किया जाता है, यह ऋण वापसी की क्षमता को भी प्रदर्शित करता है। तरल संपत्तियों की पर्याप्तता, चालू या वचनबद्ध बाध्यताओं को पूरा करने तथा अतिरिक्त उधारी की लागत तथा उधारी के प्रतिफल में संतुलन बनाये रखने की क्षमता को प्रदर्शित करता है। इसका अर्थ यह है कि राजकोषीय घाटे में वृद्धि का ऋण वापसी की क्षमता से सुमेल होना चाहिए।
ऋण स्थिरता	यदि अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर, ब्याज की लागत दर या सार्वजनिक उधारी से अधिक है तो ऋण–सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात संभवतः स्थिर होगा। बशर्ते प्राथमिक अवशेष या तो शून्य या धनात्मक या मामूली ऋणात्मक हो। आगणित दर विस्तार (सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर–ब्याज दर) एवं प्रमात्रा विस्तार (ऋण* दर विस्तार), के आधार पर यदि प्राथमिक घाटे के साथ प्रमात्रा विस्तार शून्य है तो ऋण–सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात स्थिर होगा या अंततोगत्वा ऋण में स्थिरता होगी। दूसरी स्थिति में, यदि प्रमात्रा विस्तार के साथ प्राथमिक घाटा ऋणात्मक हो जाय तो ऋण–सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात में वृद्धि होगी एवं यदि किसी स्थिति में यह धनात्मक हो तो ऋण–सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात अंततः गिरेगा।
गैर–ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता	वृद्धिमान ब्याज देयताओं एवं वृद्धिमान प्राथमिक व्यय को आच्छादित करने के आधार पर राज्य की वृद्धिमान गैर–ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता सुनिश्चित होती है। यदि वृद्धिमान गैर–ऋण प्राप्तियाँ वृद्धिमान ब्याज भार एवं वृद्धिमान प्राथमिक व्यय को वहन कर लेती है तो ऋण की संवहनीयता में पर्याप्त मात्रा में मदद मिल सकेगी।
उधार निधियों की निवल उपलब्धता	उधार निधियों की निवल उपलब्धता, ऋण विमोचन (मूलधन+ब्याज भुगतान) एवं कुल ऋण प्राप्तियों के अनुपात के रूप में परिभाषित है तथा उधार निधियों की निवल उपलब्धता प्रदर्शित करती है कि ऋण प्राप्तियों का किस सीमा तक ऋण विमोचन हेतु प्रयोग किया गया है।
विनियोग लेखे	विधान सभा द्वारा प्रत्येक दत्तमत अनुदानों एवं भारित विनियोगों के अन्तर्गत बजट अनुदान में प्राधिकृत कुल निधियों (मूल एवं अनुपूरक) की धनराशि की तुलना में प्रत्येक के विरूद्ध व्यय धनराशि एवं प्रत्येक अनुदान या विनियोग के अन्तर्गत बचत या आधिक्य का विवरण विनियोग लेखे में होता है। अनुदान से अधिक किसी भी व्यय का विधायिका द्वारा विनियमन अपेक्षित होता है।
स्वायत्त निकाय	जब कभी सरकारी व्यवस्था से अलग कुछ सीमा तक स्वतंत्रता एवं सरकारी कार्य प्रणाली के दिन–प्रतिदिन के हस्तक्षेप के बगैर, लचीलेपन के साथ कुछ क्रियाओं को संपादित करने की आवश्यकता महसूस होती है तब स्वायत्त निकायों (प्रायः पंजीकृत समितियां या सांविधिक निगमों) की स्थापना की जाती है।
वचनबद्ध व्यय	राजस्व लेखों पर मुख्यतः ब्याज भुगतान, वेतन एवं मजदूरी पर व्यय, पेंशन एवं सब्सिडी, जिस पर वर्तमान कार्यकारिणी का सीमित नियंत्रण होता है, राज्य सरकार के वचनबद्ध व्यय होते हैं।
राज्य क्रियान्वयन अभिकरण	राज्य सरकार द्वारा जिन संगठन/संस्थानों, अशासकीय संगठनों को राज्य में विशेष कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार से निधियों को प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है वे राज्य क्रियान्वयन अभिकरण होते है। जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन हेतु राज्य स्वास्थ्य समिति एवं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु उ.प्र. ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण इत्यादि।

आकस्मिक देयतायें	किसी के द्वारा भविष्य में घटने वाली घटनाओं के परिणामस्वरूप आकस्मिक देयताओं का सृजन किया/नहीं किया जा सकता है जैसे न्यायालयी प्रकरण।
सिंकिंग फण्ड (निक्षेप निधि)	सरकार द्वारा एक निधि की स्थापना अपने ऋणों से मुक्ति हेतु की जाती है जिसमें समयान्तर्गत धन आरक्षित किया जाता है।
प्रत्याभूति विमोचन निधि	राज्य के समेकित निधि पर ऋणी, जिसके लिए प्रत्याभूति विस्तारित की गयी, ऋणी द्वारा ऋण वापस न करने की स्थिति में उत्पन्न आकस्मिक प्रत्याभूति देयतायें होती है। प्रत्याभूति विमोचन निधि की शर्तों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा बकाया प्रत्याभूतियों के प्राप्त न हुए एवं वर्तमान वर्ष में वृद्धिमान प्रत्याभूतियों के प्राप्त न होने वाली धनराशि की स्थिति में उसके कम से कम पांचवें हिस्से के योगदान निधि में होना चाहिए।
आन्तरिक ऋण	भारत में लोगों द्वारा प्राप्त नियमित ऋणों को आन्तरिक ऋण कहते हैं। जिसे "भारत में एकत्र ऋण" भी कहा जाता है। यह समेकित निधि को क्रेडिट किये जाने वाले ऋण तक सीमित होता है।
प्राथमिक राजस्व व्यय	राजस्व व्यय से ब्याज भुगतान घटाने पर प्राथमिक राजस्व व्यय आता है।
पुनर्विनियोग	मूल विनियोग के इकाई से अन्य उसी प्रकार की इकाई को धनराशि का हस्तांतरण।
लोक लेखा समिति	विधान सभा द्वारा गठित समिति जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के, राज्य के विनियोग लेखों, राज्य के वार्षिक वित्तीय लेखों या इस प्रकार के अन्य लेखों या वित्तीय मामलों, जिसकी जाँच करना यह समिति आवश्यक समझे, की जाँच करें।

iFkek{kjh

iFkek{kjh	i.k foLrkj
ए सी बिल	संक्षिप्त आकस्मिक बिल
ए ई	कुल व्यय
बी ई	बजट अनुमान
सी ए जी	भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक
सी ई	पूँजीगत व्यय
डी सी सी बिल	विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक बिल
डी सी आर एफ	ऋण संकलन एवं राहत सुविधा
डी ई	विकास व्यय
एफ सी पी	राजकोषीय सुदृढ़ीकरण पथ
जी ओ आई	भारत सरकार
जी एस डी पी	सकल राज्य घरेलू उत्पाद
एफ आर बी एम अधिनियम	राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम
आई पी	ब्याज भुगतान
एम टी एफ आर पी एस	मध्यकालिक राजकोषीय पुर्नसंरचना नीति विवरण
एन पी आर ई	आयोजनेत्तर राजस्व व्यय
ओ एण्ड एम	संचालन एवं रख–रखाव
पी ए सी	लोक लेखा समिति
आर ई	राजस्व व्यय
आर आर	राजस्व प्राप्तियाँ
एस एण्ड डब्ल्यू	वेतन एवं मजदूरी
एस ए आर	पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन
एस एस ई	सामाजिक सेवा व्यय
टी ई	कुल व्यय
टी एफ सी	तेरहवां वित्त आयोग
एफ एफ सी	चौदहवां वित्त आयोग
यू सी	उपभोग प्रमाण–पत्र